

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXV, Twelfth Session, 2017/1939 (Saka)
No. 5, Friday, July 21, 2017/ Ashadha 30, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 81 to 86	11-86
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 87 to 100	87-118
Unstarred Question Nos. 921 to 1150	119-594

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 596-625

**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT
43rd Report**

626

BUSINESS OF THE HOUSE

627-632

**STATE BANKS (REPEAL AND AMENDMENT)
BILL, 2017**

633

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Need to address the widespread agrarian distress
throughout the country resulting in suicides by farmers 634-635

(ii) Re: Problems faced by the people of Darjeeling due
to prevailing unrest 636-638

**RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY
EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2017**

669-736

Motion to Consider 669-671

Shri Prakash Javadekar 669-671,
731-736

Prof. K.V. Thomas 672-678

Shri Jagdambika Pal 679-685

Shri Arvind Sawant 686-689

Shri Bhartruhari Mahtab 690-696

Shri Jayadev Galla 697-700

Shri Balka Suman 701-702

Dr. A. Sampath 703-707

Shri Mekapati Raja Mohan Reddy 708-709

Shrimati Supriya Sule	710-712
Shri Kaushalendra Kumar	713-714
Shri Rajesh Ranjan	715-717
Shri N.K. Premachandran	718-720
Dr. Satya Pal Singh	721-723
Shri Gaurav Gogoi	724-726
Shri Dushyant Chautala	727-728
Shri Bhagwant Mann	729-730
Clauses 2 and 1	734-736
Motion to Pass	736
 MOTION RE: 34TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	 737
 PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced	 738-757
(i) Population (Stabilisation) Bill, 2017	
By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	738
(ii) Victims of Acid Attack, Sexually Abused and Trafficked Girls and Women (Compensation and Rehabilitation) Bill, 2017	
By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	739
(iii) Vexatious Litigation (Prevention) Bill, 2017	
By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	740
(iv) Prohibition of Publication and Dissemination of objectionable Material and Religion Bill, 2017	
By Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	740

(v) Compulsory Teaching of Vedic Education in Educational Institutions Bill, 2017	
By Dr. Satya Pal Singh	741
(vi) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Sub Plans (Budgetary) Allocation and Special Schemes Bill, 2017	
By Dr. Udit Raj	743
(vii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017 <i>(Omission of section 124A)</i>	
By Shri P. Karunakaran	744
(viii) Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of section 5)</i>	
By Shri P. Karunakaran	744
(ix) Constitution (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of article 51A)</i>	
By Shri P. Karunakaran	745
(x) Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) (Amendment) Bill, 2017 <i>(Insertion of new section 63A)</i>	
By Shri P. Karunakaran	745
(xi) Cervical Cancer (Awareness and Compulsory Vaccination) Bill, 2016	
By Shri Maheish Girri	746
(xii) Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of section 31)</i>	
By Dr. Udit Raj	746
(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of Seventh Schedule)</i>	
By Shrimati Meenakashi Lekhi	747

(xiv) Constitution (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of article 12)</i>	
By Shrimati Meenakashi Lekhi	747
(xv) Constitution (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of article 51A)</i>	
By Shrimati Meenakashi Lekhi	748
(xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of Seventh Schedule)</i>	
By Shrimati Meenakashi Lekhi	748
(xvii) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017 <i>(Substitution of new section for section 27)</i>	
By Shri Maheish Girri	749
(xviii) Regulation of Private Hostels and Paying Guest Accommodation Centres Bill, 2017	
By Shri Maheish Girri	749
(xix) Indian Penal Code(Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of section 326A)</i>	
By Shri Maheish Girri	750
(xx) Distressed Widows and Single Women (Protection, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2017	
By Shri Nishikant Dubey	750
(xxi) Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017 <i>(Omission of section 19)</i>	
By Shri Nishikant Dubey	751
(xxii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 <i>(Amendment of section 14)</i>	
By Shri Nishikant Dubey	751

(xxiii) High Court of Bombay (Establishment of a Permanent Bench at Hingoli) Bill, 2017	
By Shri Rajeev Satav	752
(xxiv) Paternity Benefit Bill, 2017	
By Shri Rajeev Satav	753
(xxv) Domestic Workers (Regulation of Work and Social Security) Bill, 2017	
By Shri Sankar Prasad Datta	754
(xxvi) Data (Privacy and Protection) Bill, 2017	
By Shri Baijayant Panda	755
(xxvii) Fishermen (Protection and Welfare) Bill, 2017	
By Adv. Narendra Keshav Sawaikar	756
(xxviii) Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Amendment Bill, 2017	
<i>(Amendment of section 2, etc.)</i>	
By Shri Balka Suman	757
PRIVATE MEMBER'S BILL - WITHDRAWN	
Special Financial Assistance to the State of Andhra Pradesh Bill, 2015	
By Shri M. Murali Mohan	742

**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION
(AMENDMENT) BILL, 2015**

	758-784
Shri Ninong Ering	758-766
Shri Sharad Tripathi	766-777
Shri Thangso Baite	778-780
Kunwar Bhartendra Singh	781-783
Shri Hari Narayan Rajbhar	784

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	786
Member-wise Index to Unstarred Questions	787-792

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	793
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	794

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 21, 2017/Ashadha 30, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam, I have given a notice of Adjournment. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर से पहले, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 23 तारीख को हम सभी लोग मिलकर हमारे राष्ट्रपति जी को विदाई दे रहे हैं। कल शनिवार है, हो सकता है आप सभी लोग घर जाएं, लेकिन रविवार को सभी लोग दोपहर तक वापस आ जाना, जिससे उस कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित रहें।

... (*Interruptions*)

11.02 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 81, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान ।

(Q. 81)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Madam, I have seen the reply of the Minister.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: You can come here, if they are not allowing you.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: This is not the way.

... *(Interruptions)*

11.03 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... *(Interruptions)*

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: I am not satisfied with his answer. So, I wish to ask some questions.

As you know, public health is a State subject. But, under the National Health Mission, financial and technical support is provided to the States to strengthen their healthcare system. So, the Central Government cannot avoid its responsibility. According to the data put up on the website of the Union Health Ministry as on 31st March, 2015, the position of the specialist manpower in CHCs reveals that out of the sanctioned posts, the posts of 74.6 per cent of Surgeons, 65.4 per cent of Obstetricians and Gynecologists and 68.1 per cent physicians have fallen vacant. The worst position is in West Bengal. There is no doctor at all. Out of 2,600 doctors, the posts of 1,800 doctors have fallen vacant. About 8.1 per cent of the PHCs are running without a doctor and 38.1 per cent of PHCs are without any laboratory technicians. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: You have to ask the question. What is your question?

... (Interruptions)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: I am putting my question. Actually, in this manner, private players are taking the advantage of such a situation. My question is whether the Government of India is intentionally allowing these private players to play in this open field. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is not proper.

... (Interruptions)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक बार फिर कांग्रेस के मित्रों से, कांग्रेस के सांसदों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे चर्चा में पार्टिसिपेट करें और प्रश्न काल चलने दें, क्योंकि परसों जब कृषि संकट के बारे में चर्चा हुई और देर रात तक आप खुद यहां विराजमान थीं, तब ये सभी लोग सदन में नहीं थे। उस समय ये लोग कहां गए थे? क्यों चले गए थे? केवल दीपेन्द्र हुड्डा जी और ज्योतिरादित्य जी थे, बाकी कांग्रेस के सांसद हाउस में नहीं थे और ये हमदर्दी दिखाते हैं।... (व्यवधान) इससे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सांसदों की झूठी हमदर्दी दिखती है।... (व्यवधान) घड़ियाली आंसू मत बहाइए, अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seat. This is not proper.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं डिस्कशन दस बार अलाऊ करूंगी, डिस्कशन के लिए मना नहीं है। लेकिन यह तरीका नहीं है कि आप चर्चा के और रिप्लाय के समय नहीं रहेंगे।

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उस दिन यह भी कहा था कि दोबारा चर्चा करना चाहेंगे तो दोबारा करूंगी। मैं एसआरआई में विशेषज्ञों को बुलाकर चर्चा करवा रही हूँ। Please do not do that. यह समस्या का निदान करने का तरीका नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री फगन सिंह कुलस्ते: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अस्पताल की व्यवस्था के बारे में कहा है और खास तौर से टेक्नीशियन और डॉक्टरों की कमी के बारे में चिंता जाहिर की है। ... (व्यवधान) यह राज्य का विषय है इसलिए कमियों को पूरा करने का काम राज्य सरकारों का है। हमारे पास किसी प्रकार के आंकड़ें नहीं रहते हैं।... (व्यवधान)

जहां तक पीएचसी, सीएचसी का सवाल है, देश में 5510 सीएचसी, 25,354 पीएचसी हैं। पश्चिम बंगाल में 349 सीएचसी और 909 पीएचसी हैं।... (व्यवधान) जहां तक तकनीकी तौर पर सुझाव का सवाल है, मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का काम फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्नीकली असिस्टेंस प्रदान करना है। हमारे यहां से डायरेक्शन बाकी चीजों के लिए अस्पताल को बेहतरीन करने के लिए दी जाती है। यह हमारा काम है।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मुझे लगता है यह इन्कम्प्लीट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी दायित्व होता है, लेकिन इससे इंकार कर रहे हैं। ... (व्यवधान) अब इतनी पुअर कंडीशन हो गई है। यह एक, दो या तीन साल में नहीं हुआ है। इसमें दो, तीन साल में सुधार होने वाला भी नहीं है, ऐसी स्थिति बन गई है। ... (व्यवधान) सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, कायाकल्प हुआ, नेशनल हैल्थ मिशन आया, क्वालिटी के लिए कुछ किया लेकिन डॉक्टर तो नहीं आए, डॉक्टरों की इतनी कमी हो गई। मेडिकल कॉलेज बनना था, नहीं बना। आप देखिए कि केरल में क्या हुआ। मेडिकल कॉलेज बनाने में करप्शन हो गया, सबने देखा कि करप्शन होता है, लेकिन इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। ... (व्यवधान) What steps have been taken by the Government in the last three years and what steps you want to take in the coming days to fill up the vacancies of the doctors?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): The question relates to the quality of the health institutions. The question is about the ISO marking. We do not have ISO marking. In ISO 9001, it is generic in nature. So, we have decided that Ministry will develop its own quality assurance programme. That quality assurance programme includes National Quality Assurance Standard (NQAS). Service provision, patient rights, inputs, support services, clinical services, infection control and quality management outcome, इन पैरामीटर्स पर क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वर्कआउट करते हैं।

As far as West Bengal is concerned, there are only two institution, जिन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एप्लिकैशंस लगायी हैं, They are in Siliguri and Cooch Behar. दोनों ने ही जून महीने में एप्लिकैशंस लगायी हैं।... (व्यवधान) यह जो सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछ रहे हैं, यह प्रश्न ह्यूमन रिसोर्स का है कि डॉक्टर्स वहां लगने चाहिए या नहीं। ... (व्यवधान) वह अगला प्रश्न है। ... (व्यवधान) जब वह प्रश्न आयेगा तो हम उसका विस्तृत जवाब देंगे। ... (व्यवधान)

As far as quality assurance is concerned, it is for the States to see. We have made the system. We have given them technical and financial support and we will keep giving them technical and financial support. They have to ask for accreditation. We will give it to them accordingly.

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की है।...(व्यवधान) सबसे पहले मैं अपने मंत्री जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने 'इन्द्रधनुष' जैसी योजना चला कर और 'प्रधानमंत्री जन औषध कल्याण' योजना के माध्यम से पूरे देश के स्वास्थ्य की चिंता करने का कार्य किया है।...(व्यवधान) मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करवा रही हैं, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी लोग सदन को अस्वस्थ करके देश के स्वास्थ्य के साथ मजाक करने का कार्य कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, निश्चित ही माननीय मंत्री जी ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में किया है।...(व्यवधान) मैं उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हो कर आया हूँ जहां पर 773 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और 3,497 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।...(व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी इस डिजिटल इंडिया के युग में,...(व्यवधान) जब हम लोग 'दिशा' कमेटी की बैठक करते हैं तो उसमें यह देखने को मिलता है कि फलां डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिस एलाउंस लेकर भी, न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ड्यूटी करते हैं और न ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ड्यूटी करते हैं। माननीय मंत्री जी ने यह व्यवस्था बना रखी है कि हम लोगों की अध्यक्षता में एक मीटिंग करके उसकी हर तिमाही रिपोर्ट प्रेषित किया जाये।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया के मैकेनिज्म के आधार पर क्या कोई ऐसा ऐप डेवलप करेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं अपने कार्यालय में समय-समय पर वह कर लिया करें कि आज कौन डॉक्टर उपस्थित हैं और कौन अनुपस्थित हैं?...(व्यवधान) धन्यवाद।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, जो भी स्वास्थ्य केन्द्र और जिला केन्द्र में हम सपोर्ट करते हैं, वह प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन प्लान के तहत होता है। प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन प्लान ब्लॉक लेवल से बन कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल उसे स्टेट लेवल ले जाता है और स्टेट लेवल वाले हम से बातचीत करते हैं और हम उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं।...(व्यवधान) अगर प्रदेश सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल लेकर आती है, ...(व्यवधान) हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए और फ्लैक्सी पुल भी है, ...(व्यवधान) न्यू इनिशिएटिव्स के लिए भी हमारे पास फाइनेंसर्स हैं तो अगर उसमें कोई प्रपोजल आयेगा तो हम निश्चित रूप से देखेंगे।...(व्यवधान)

SHRI THOTA NARASIMHAM: Madam Speaker, I want to know from the hon. Minister whether there is any proposal to increase the number of Primary Health Centres in the State of Andhra Pradesh. I want to know from the hon. Minister if the Government is planning to increase the fund allocation to Community Health Centres and Primary Health Centres in the State of Andhra Pradesh. I also want to know from the hon. Minister if there is any proposal to introduce and increase the number of mobile medical units in far flung rural areas under Primary Health Centres. Finally I want to know from the hon. Minister if the Government has any proposal to increase Primary Healthcare Centres to match the population ratio.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, Primary Health Centres and Community Health Centres are decided by the State Governments. It is they who decide. We have formed the norms that for 30,000 population there will be one PHC and for 1,20,000 population there will be one CHC. It is for the State Governments to notify the CHCs according to the place and according to the population. So, it is they who decide. What we do is, when they declare it we give them funds. And for that they have to come out with a plan, which includes the infrastructure development, which includes the human resource development, which includes the technical support, which includes the funding for the diagnostics and the funding for the drugs. And we also give them flexipool budget which is flexible in nature so that they can decide what they want to develop. So, whenever and wherever there is a Programme Implementation Plan (PIP) which is made at the CHC level and the PHC level - which they forward to the Block, from the Blocks they go to the Districts, from the Districts they go to the States and from the States they come to us - we give them the funds accordingly. So, if there is anything which will come from Andhra Pradesh, we will be taking care accordingly.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: Hon. Speaker Madam, nowadays kidney diseases are increasing in an alarming way and the treatment facilities are quite inadequate. The number of Indians suffering from chronic kidney ailment has

doubled in past 15 years. ... (*Interruptions*) At present, 17 in every 100 citizens suffer from some kind of kidney disease. Several Indian population based studies in the past estimated that 150 to 230 in every one million persons suffer from last stage of kidney diseases and about 2,20,000 to 2,75,000 patients need replacement therapy every year. ... (*Interruptions*) The number of patients undergoing dialysis in India is also increasing by 10 to 15 per cent every year and they include children too. The hon. Minister says that they are going to have 2000 new dialysis centres at the district hospital level. ... (*Interruptions*) Considering the gravity of the issue, my question is whether the Government will have a comprehensive national programme for controlling kidney diseases and providing treatment nationwide.

I have one more question. The Government says that in CHCs this facility is not there. ... (*Interruptions*) I would humbly ask the Minister whether we can have a programme in phased manner to do this kind of treatment in CHCs also. I would expect a favourable reply from the hon. Minister.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Hon. Speaker Madam, although the supplementary is not pertaining to the main question, I would just give one answer that our Prime Minister Shri Narendra Modi has initiated a programme which is called Pradhan Mantri Dialysis Programme. ... (*Interruptions*) In this programme, we have asked every district to come out with a dialysis centre and we will be paying for all the BPL cases. I do not have the exact number, but you will be happy to note that within a short span of one year, approximately 400 centres at the district level have been opened, one lakh patients have been given free dialysis and more than 10 lakh sessions of dialysis have been done.... (*Interruptions*) Every district has been allowed to do this. Even if they want it at the CHC level, we are ready to give them. If there is a proposal which comes from the States, we will be giving it to them on need basis.

माननीय अध्यक्ष : आप लोग जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि मुझे तो तकलीफ है ही, लेकिन यहां बैठे हुए लोगों के कानों में भी असर पड़ेगा। इसके लिए कहीं न कहीं आपकी जिम्मेदारी होगी। आज जिस तरह से उनके कानों के पास चिल्ला रहे हैं, *this is not the way. Please understand this.*

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न-82। श्री कोडिकुन्नील - उपस्थित नहीं।

डॉ. किरीट सोमैया।

(Q. 82)

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री और कम्पनी मंत्रालय के मंत्री जी से विनती करूंगा कि शेल कम्पनी का जो अर्थ है, प्रैक्टिकल सेंस में जो फ्रेज है, उसके संदर्भ में वे उत्तर दें। हमें जानकारी मिली थी कि प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार ने शेल कम्पनी के ऊपर एक टॉस्क फोर्स बनाई थी।... (व्यवधान) डिमोनेटाइजेशन के समय भी शेल कम्पनी विद बेनामी कम्पनीज, पेनीस्टॉक कम्पनीज, बोगस कम्पनीज द्वारा बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को व्हाइट किया जाता है और मनी लांड्रिंग की जाती है। ... (व्यवधान) इस संदर्भ में मोदी सरकार ने काले धन के विरोध में जो योजना बनाई है, उसमें एक लाख कम्पनियाँ आलरेडी डिरेजिस्टर्ड कर दी हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन इन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, मनी लांड्रिंग कैसे बंद होगी और इनकम टैक्स विभाग, कम्पनी मंत्रालय तथा ईडी विभाग में कैसे कोर्डिनेटेड एफर्ट्स होगा, इस संबंध में माननीय मंत्री जी जानकारी दें?... (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि शेल कम्पनी वह होती है, जो कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसकी परिभाषा अलग से नहीं है। वह कोई सक्रिय व्यवसाय नहीं करती है, लेकिन पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए इसको रजिस्टर करके रखा जाता है। उनका अंदाजा सही है, इनमें से बड़ी मात्रा में ऐसी कम्पनियाँ हैं, जिनका प्रयोग टैक्स वायलेशन के लिए होता है। इसी वजह से, ऐसी कम्पनियाँ, जो डॉर्मेंट हो गयी थीं, वे 12 जुलाई 2017 के आसपास, पिछले वर्ष कुल मिलाकर ऐसी 1,62,618 कम्पनियाँ डिटेक्ट हुई थीं, जिनको डि-रजिस्टर कर दिया गया और आर.ओ.सी. के रजिस्टर से हटा दिया गया। ... (व्यवधान)

इसके अतिरिक्त, सरकार ने जो टास्क फोर्स बनायी थी, उसकी रिक्मेंडेशंस आ गयी हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। बड़े पैमाने पर इन शेल कम्पनीज को डिटेक्ट किया जाता है और इनके माध्यम से जो इनकम आती है, उसके ऊपर कैसे टैक्स एसेस किया जा सके, उसकी कार्रवाई होती है। ... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ बेनामी कम्पनीज के संबंध में जो कानून बनाया गया था, वह केवल बेनामी सम्पत्तियों पर नहीं, बल्कि इस प्रकार की कम्पनियों के जो पैसे और साधन होते हैं, वह उनके ऊपर भी लागू होता है और सरकार इस दिशा में बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। ... (व्यवधान)

SHRI K. ASHOK KUMAR: Thank you, Speaker Madam. ... (*Interruptions*)

I would like to know whether the Government has taken any action against the directors of these shell companies involved in various corruption scams

including the 2G spectrum scam and the steps taken by the Corporate Affairs Minister to provide adequate support to ROC including filling up vacant posts. ...
(Interruptions)

Thank you.

SHRI ARUN JAITLEY : As far as the second part of the question is concerned wherever there are vacancies, we are trying to fill up those vacancies so that the ROC can effectively discharge its functions. ... (Interruptions)

As far as the action against these companies' directors are concerned, wherever any infraction of law is noticed, action can only be taken against a director when he is held liable for any infraction or violation of law. ...
(Interruptions) When that gets detected, under whichever provision of law the violation has taken place adequate action is taken. There are provisions to that effect. ... (Interruptions)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदया, पहले मैं सरकार और मंत्री जी को बधाई दूँगा। जिन कम्पनियों ने भ्रष्टाचार किया और किन्हीं कारणों से भी वे समय लिया करती हैं, सदन के आश्वासन में ऐसे 10 से ज्यादा मामले होंगे। न्यायालय के कहने पर जहाँ पर डीजी लेवल का अधिकारी जाँच करता है, लेकिन उसके बाद भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के माध्यम से वे समय को एक्सटेंड करते रहते हैं। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब सरकार कालेधन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो कम्पनियाँ जो रास्ता निकालती हैं, न्यायालय द्वारा स्टे के माध्यम से या अन्य तरीके से, लेकिन जब डीजी लेवल का कोई अधिकारी जाँच कर लेता है, तो क्या ऐसे मामलों में समयसीमा के भीतर इन कम्पनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? ... (व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, यह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का दोष पाया जाता है और उस पर किस प्रकार की कार्रवाई हो। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ डॉर्मेंट कम्पनियाँ हैं, जो इस इस परपज़ के लिए बनी थीं और कोई सक्रिय व्यवसाय नहीं करती हैं, तो उनको डि-रजिस्टर किया गया। कहीं टैक्स वायलेशन हुआ, तो एसेसमेंट करके वसूली होती है। यदि कहीं कम्पनी बेनामी चल रही है, तो उसकी सम्पत्ति को एक्वायर करना और उसे फ्रीज़ करने की कार्रवाई होती है। जिस-जिस कानून में इसके लिए जो सीमा है, उसका पालन करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाता

है, तो सरकार के हर ऐक्शन के खिलाफ लोग न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय उसमें कितना समय लेती है, यह न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता है, सरकार के अधिकार-क्षेत्र में नहीं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 83, श्री के.सी. वेणुगोपाल भी नहीं हैं और डॉ. प्रीतम मुंडे भी नहीं हैं। भर्तृहरि महताब जी।

(Q. 83)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, Speaker, in India around 80 per cent of Malaria cases occur among 20 per cent of our population living in 200 high-risk districts, that is in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, West Bengal, seven Northeastern States, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh and Maharashtra. Over the past two decades the world is shifting from vector control to parasite control strategy to fight Malaria. My question is, whether the Government is considering to set up more number of diagnostic centres through the National Health Mission on priority basis, especially in the above 200 districts. What are your plans to scale up the last mile delivery, which is a major problem, to eliminate Malaria, which is curable?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: As far as Malaria is concerned, certainly the hon. Member is correct that in Northeastern States and in States like Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha the impact of the disease is more. In the last three years new initiatives like distributing Long-Lasting Insecticidal nets (LLINs) have been taken. This is a very effective programme. Approximately, 40 million nets have been distributed and 2.20 million are in the pipeline which will be distributed to take control of the disease.

We propose to strengthen our surveillance system as also the diagnostic system. We keep doing it from time to time, according to our own position. The Integrated Disease Surveillance Programme is continuing. The National Vector Borne Disease Control Programme is also continuing. We try to see to it that as far as possible we make our surveillance system robust. We also see to it that our laboratory facilities are enhanced. Funds are being given for that purpose. At the Central level we keep giving funds for this.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। आज पूरे देश में मलेरिया, डेंगू, चिकिनगुनिया, जापानी इंसेफलाइटिस और कालाजार जैसी बीमारियाँ बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। खास तौर पर स्लम ऐरियाज़ में बरसात के बाद मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण गरीब बस्तियों में मलेरिया

जैसी बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। इन बीमारियों के समुचित इलाज के अभाव में बड़ी संख्या में लोग मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए और इन रोगों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गवर्नमेंट अस्पतालों और शासकीय चिकित्सालयों के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ जनता को दिलाने की पहल करेगी? हमारे देश की 70 फीसदी जनता गाँवों में रहती है। अतः क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैनों के माध्यम से इन रोगों के रोकथाम के लिए चिकित्सा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा कोई पहल की जाएगी? धन्यवाद।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : वैक्टर-बोर्न डिज़ीजिज़ की दृष्टि से इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स हमें प्रपोज़ल्स देती हैं। हम उन प्रपोज़ल्स को फुलफिल करते हैं। हमारे नेशनल प्रोग्राम्स में हम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, ड्रग्स, एल.एल.आई. और और साथ ही साथ इंफ़ोर्मेशन व एजुकेशन देने का काम करते हैं। यदि स्टेट गवर्नमेंट्स इनसे संबंधित प्रपोज़ल्स लेकर हमारे पास आती हैं, तो हम उन पर विचार कर सकते हैं।

DR. A. SAMPATH: Thank you Madam, Speaker. Our hon. Minister has given a very detailed reply to the Question on Vector Borne Diseases. We all know that corruption in the medical education is spreading like the vector borne diseases.

Quite recently, it has been reported from my own State and from my own constituency. It has been reported in the national media also. Certain political party leaders have accepted bribe under the promise of giving sanction to a medical college. An amount of Rs.5.16 crore has been taken as a bribe and that has been routed through the Hawala. It has reached Delhi also. It has been reported in the national media. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Ask the question.

DR. A. SAMPATH: It is spreading just like the vector-borne diseases. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. You are not asking the question.

... (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH: We tried to raise this issue on the floor of the House. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Heena Vijaykumar Gavit.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Thank you, Madam Speaker. ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: You should have asked the question. Please take your seat.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Madam, every year during monsoon, many people in the country die because of diseases like dengue, malaria, etc. Madam, especially in the rural areas, the infrastructure is not available and such diseases ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please take your seat. Now, I will not allow you. You have not asked any question.

... (Interruptions)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Madam, patients suffering with malaria and dengue are increasing day by day. In the rural areas, there are less doctors and the number of patients is more. We have programmes of NHM, especially NRHM in the rural areas. So, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will make a special provision under these programmes for treating these vector-borne diseases. I would also like to know whether the Government will appoint special doctors in the monsoon season as there are more patients and less doctors. The doctors are burdened and each hospital is overflown with almost 100-200 patients. Thank you, Madam Speaker. ...
(Interruptions)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: As far as increase in such cases is concerned, every disease has got its own nature. If we talk about malaria, the increase is in a different progression and if we talk about dengue and H1N1, the progression is in a different manner. But, as far as the issue of providing special doctors is concerned, the Government of India gives technical and financial support. It is for the State Governments to come out with the proposals. If they have any proposal under the HR component, we will be giving them the support.

(Q. 84)

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE : Thank you, hon. Madam Speaker. As per the annual report of HAL, the company conducts skill development activities as part of their CSR activity. Hon. Speaker Madam, through you, I would like to ask the Hon. Minister whether skill development and vocational training is aligned to the National Skills Qualifications Framework as per the norms of Sector Skill Council Committee. If so, how many beneficiaries have been certified by NSDC? I would also like to know whether any impact assessment study has been done to measure as to how many beneficiaries have been benefited through better jobs or well-settled in business from the skill development activities undertaken by the HAL company under CSR. Further, I would like to know whether the Ministry will direct the HAL company to align skill development training as per the National Skills Qualifications Framework for better results.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : Madam, through you, I would like to inform the House that the contribution of HAL towards the skill development has been excellent. During 2015-16, HAL had entered into an MOU with the Indian Institute of Science, Bangalore to establish the HAL-IISc Skill Development Centre at Indian Institute of Science's new campus at Challakere in Chitradurga District of Karnataka with an estimated Budget of Rs.73 crore for the Phase-I activities, that is, from 2015-16 to 2019-20. The initiative will address critical training gaps in niche engineering sectors such as aerospace, mechanical and electronics at multiple levels in line with our hon. Prime Minister's initiative Make-In-India mission.

Besides that, there are sponsorships of M.Tech students. Realizing the need to support the manpower generation in the technology development in rural areas, HAL has agreed to sponsor students to be trained in the Masters level technology and development programme at a centre. Besides that, HAL has decided to adopt the ITIs and so far has adopted six ITIs with a view to provide support for upgradation of infrastructure and to augment the facilities for training the students.

A support of Rs.25 lakh was provided for facilities such as machines, equipment, tools, computer training, audio visual equipment, construction of class rooms, etc.... *(Interruptions)*

Then there were donations of spare equipment. The Centre of Excellence was established under its Technical Training Institute, Bengaluru. The CoE will have the state-of-the-art Workshops and Laboratories for imparting skill and vocational training to employable youth... *(Interruptions)*.

Besides that, unemployed youth nearer to Koraput Division have been sponsored for job oriented courses for a duration ranging from six months to one year... *(Interruptions)*.

HAL had spent Rs.23 crore during 2016-17 on skill development initiatives under CSR, out of the total CSR Budget of Rs.66 crore. The percentage works out to be 35 per cent against the set target of 20 per cent as per the MoU entered between MoD and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship... *(Interruptions)*.

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE: Madam, I wanted to know whether skill development was aligned to the national skill qualification framework.

As per the annual report of HAL, the Company has decided to develop villages as part of their CSR activities... *(Interruptions)*.

The Sansad Adarsh Gram Yojana is also a Central Government's ideal project to develop Adarsh village. But because there is no separate source of funds and also there is lack of funds to complete the work from departments concerned, it is difficult to develop the village as per the approved Village Development Plan... *(Interruptions)*.

For Swachh Bharat Abhiyan, the Company had reserved an amount of Rs.20 crore from CSR in 2014-15. So, I want to know from the hon. Minister whether for successful implementation of Sansad Adarsh Gram Yojana, the Government will direct HAL Company to reserve some percentage of revenue

from CSR policy and will mandate spending funds exclusively in the district where HAL is present... *(Interruptions)*.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to tell the hon. Member that there are so many other issues which have to be tackled. He has given a very good suggestion. I would request him that he could give an application to the authorities concerned. Then the CSR Committee will go through the details. After that contribution through CSR can be provided for providing drinking water. It is because in all these rural areas, there is a problem of drinking water. So, we can provide that facility through CSR... *(Interruptions)*.

Besides that, we can give contribution towards education. HAL has been providing things like desks, benches, computers and stationery items like books, pens, etc. for the children studying in the Government schools in villages.

We can also contribute for health facilities. As far as your suggestion is concerned, it is well taken... *(Interruptions)*.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam, I thank you for giving me this opportunity.

HAL is a proud Navaratna Company manufacturing LCA-Tejas, helicopters, and trainer jets. It is inducting them into our Forces. It is a profit making DPSU and it has participated in many CSR activities... *(Interruptions)*

As you are aware, there is a large percentage of youth in our country. Will the HAL contribute for sports infrastructure like cricket pavilions and indoor stadiums for youth sports in Mehboob Nagar District of Telangana, in particular?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : Madam, I would like to inform the House that HAL has taken up many projects for sports. HAL has established Football Academy at Bengaluru. HAL has taken up significant activities for youth in sports. In the quest to nurture young talents to develop top class players, Football Academy Under-15 was inaugurated in February, 2016.

Besides this, Sports Authority of India has a Training Centre at HAL, Koraput to identify and nurture tribal and local sports talent and bring them to the national and international level. SAI's HAL Sports Training Centre has been established at HAL, Koraput Division with the technical support and posting of coaches of the Sports Authority of India.

Besides this, facilities are provided like free furnished accommodation and boarding, free medical facilities in the HAL hospitals, free sports kits, latest sports equipment, free education and study materials, school bags, shoes, etc. These activities are undertaken by HAL as far as sports is concerned.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: Madam, the hon. Minister has given a comprehensive list of CSR projects and expenditure in various parts of the country. I have noted that it also includes a list for Koraput district which is a remote adivasi district. It has an HAL factory which late Shri Biju Patnaik was instrumental in setting up.

Originally when CSR was implemented, the intention was that the money should be spent within 20 to 30 kilometres because the local community should get back something from the enterprise that was operating there. Later, there was a pressure to increase that radius to 50 kilometres. Subsequently, there is pressure that, for National Navratna PSUs, the CSR funds can be spent anywhere in the country which defeats the original purpose.

Does the hon. Minister have the information or can he subsequently submit as to how much of the CSR expenditure is made within a small radius, say, 30 or 50 kilometres of the units and will he commit that that is where the money will be spent and not in other areas?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : Madam, for CSR activities in Koraput of Odisha, an amount of Rs. 4 crore was allocated in 2014-15, Rs. 12 crore in 2015-16 and Rs. 3.76 crore in 2016-17. The funds are allocated by the Board Members of the CSR Committee. It depends upon the assessment and requirement of the

local area. As you have rightly brought out, the convention is that it has to be distributed in the local and nearby areas.

I assure the hon. Member that if he writes his grievances to the Ministry, those will be looked into.

(Q. 85)

श्री अजय मिश्रा टेनी : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए बहुत सारे प्रभावी प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप दस वर्षों की जनसंख्या वृद्धि दर, सन् 2001 की 21.5 से घटकर सन् 2011 में 17.7 पर पहुंच गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, सन् 2015 के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर टीआरएफ घट कर 2.2 पर आ गई है। जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट स्तर माना जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार और यह एक अनुमान भी है कि 2.1 की प्रजनन दर हमारे देश के लिए जनसंख्या बढ़ोत्तरी का खतरा समाप्त कर देगी। इसके लिए पूर्व में जैसा मंत्री जी ने उत्तर में भी बताया है कि 2045 का वर्ष, लक्ष्य वर्ष के रूप में तय किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूँ कि अनुकूलतम स्थितियां हैं, इसलिए अनुकूलतम जनसंख्या स्तर प्राप्त करने के लिए क्या सन् 2045 के लक्ष्य को सुधार कर अब सन् 2022 पर लाने का विचार सरकार करेगी ?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदया, पहले तो मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आँकड़े जो स्वास्थ्य विभाग से और विशेष रूप से जनसंख्या से जुड़े हुए हैं, उनकी आपको बहुत अच्छे से जानकारी है।...(व्यवधान) जैसा कि आपने स्वयं कहा कि हमारा जो टीएफआर का टारगेट है, वह 2.1 है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि देश के 36 राज्यों और यूटीज में 24 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने 2.1 की टीएफआर को अचीव कर लिया है।...(व्यवधान) बाकी जो हमारे राज्य बचे हुए हैं, उनमें हम विशेष प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) इसमें सात राज्यों के ऐसे 146 जनपद हैं, जिनमें हम मिशन परिवार विकास के तहत एक माइक्रो प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, जिससे जहाँ पर टीएफआर की समस्या है, उसको भी हम नियन्त्रित कर सकें।...(व्यवधान) फिलहाल नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के हिसाब से जो पॉपुलेशन स्टैबलाइजेशन का हमारा लक्ष्य है, वह वर्ष 2045 का है और इस दिशा में हमने बहुत सारे कदम उठाये हैं। उसे हम आगे बढ़ाकर अभी वर्ष 2022 तक लाने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान) वर्ष 2045 का जो हमारा एक लक्ष्य है, उसमें हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो हमने वर्ष 2045 का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हम अचीव करें।...(व्यवधान) एक और महत्वपूर्ण बात है, जो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि एक बार जब हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव कर लेते हैं यानी 2.1 का टीएफआर अगर हम सारे राज्यों में भी अचीव कर लेंगे, तो भी पॉपुलेशन स्टैबलाइजेशन तुरन्त नहीं आता है।...(व्यवधान) उसके लिए कुछ डेकेड्स का समय लगता है, जिसे पॉपुलेशन मोमेन्टम कहते हैं।...(व्यवधान) इसलिए कुछ समय हमें उसके बाद भी लगेगा, जब हम सारे राज्यों में टीएफआर 2.1 को अचीव कर लेंगे।...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी: महोदया, जन्म दर धीमी होने के बावजूद बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में अनेक चुनौतियाँ हैं।... (व्यवधान) अभी 11 जुलाई को जो हम लोगों ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया है, उसका थीम परिवार नियोजन, लोगों का सशक्तीकरण और राष्ट्र का विकास था।... (व्यवधान) यह पहले से ही सिद्ध है कि जिन परिवारों में महिलाएँ शिक्षित हैं और यह एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप भी इस समय स्पीकर की कुर्सी पर हैं और हमारी माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रही हैं, बहुत अच्छा उत्तर उन्होंने दिया।... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन परिवारों में महिलाएँ शिक्षित हैं तथा वे निर्णय लेने की स्थिति में हैं, उनमें बच्चों की संख्या कम है।... (व्यवधान) भारत में 54 प्रतिशत परिवारों में एक या दो बच्चे हैं।... (व्यवधान) यदि महिलाएँ शिक्षित, सशक्त व निर्णय लेने की स्थिति में आ जायें, तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या से आसानी से निबटा जा सकता है।... (व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में महिलाओं को शिक्षित, जागरूक और सशक्त करने के साथ-साथ पुरुषों में पुरुष नसबन्दी की दर में वृद्धि हो, इसके लिए जागरूक करने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया जायेगा?... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदया, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमली प्लानिंग के दो तरीके होते हैं।... (व्यवधान) लिमिटिंग मैथेड्स होते हैं और स्पेसिंग मैथेड्स होते हैं।... (व्यवधान) लिमिटिंग यानी मेल एंड फीमेल स्टर्लाइजेशन।... (व्यवधान) अगर हम देखें तो स्टर्लाइजेशन के आँकड़े हमें बताते हैं कि 36 प्रतिशत जो स्टर्लाइजेशन आपरेशंस होते हैं, वे महिलाओं के होते हैं और पुरुषों की भागीदारी केवल दशमलव तीन प्रतिशत है।... (व्यवधान) हमारे यहाँ पुरुष नसबन्दी नहीं कराना चाहते हैं।... (व्यवधान) हमने इस बात का अहसास किया है और हम इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रहे हैं।... (व्यवधान) सभी राज्यों में नवम्बर माह में हम एक स्पेशल वेसेक्टमी फोर्ट नाइट ऑब्जर्व करते हैं।... (व्यवधान) यह 15 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें पहले एक हफ्ते में मोबलाइजेशन ड्राइव चलाते हैं।... (व्यवधान) लोगों को जागरूक करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और अगला जो एक हफ्ता होता है, उसमें हम स्टर्लाइजेशन आपरेशंस को आगे बढ़ाते हैं।... (व्यवधान) पुरुषों का विशेष तौर से इसमें योगदान हो, जागरूकता बढ़े, इसके लिए विशेष प्रयास हैं।... (व्यवधान) साथ ही हम 360 डिग्री मीडिया कैम्पेन भी कर रहे हैं।... (व्यवधान) उसमें भी हमने अब ऐसे विशेष ऐड फिल्म्स बनायी हैं, जिसमें विशेष रूप से पुरुषों पर फोकस है कि हम उनको इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वे भी रिस्पॉंसिबल फैमली प्लानिंग की तरफ अपना योगदान दें।... (व्यवधान) ये हमारे कुछ प्रयास हैं।... (व्यवधान)

श्री चंदूलाल साहू: महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।... (व्यवधान) वैसे तो स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिकांश जगह डॉक्टर्स की कमी है।... (व्यवधान) मैं महासमन्द लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गरियाबन्द जिले के सुपेबेड़ा में एक ऐसा गाँव है, जहाँ वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2017 तक 35 लोगों की किडनी खराब होने के कारण मृत्यु हो चुकी है।... (व्यवधान) राज्य सरकार की स्वास्थ्य टीम वहाँ गयी थी, वहाँ पानी का परीक्षण किया, अन्य चीजों का परीक्षण किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला।... (व्यवधान) इस सम्बन्ध में मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि विशेष टीम ले जाकर यह पता लगाये कि वहाँ लोगों की किडनी क्यों फेल हो रही हैं।... (व्यवधान) इस सम्बन्ध में वहाँ जाँच की जाये।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिख चुका हूँ।... (व्यवधान) धन्यवाद।... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : निश्चित रूप से आपने जो पत्र दिया है, उस पर कार्रवाई करेंगे।... (व्यवधान) यह प्रश्न विषय से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन पत्र पर कार्रवाई करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न इस विषय से बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है, फिर क्यों अभी इस विषय पर प्रश्न पूछ रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखकर दिया है कि सरकार के पास आज के दिन ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है कि एजुकेशन में या इंप्लायमेंट में इस आधार पर कोई बैनिफिट प्रोवाइड करे। आज यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। चाइना क्योंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो उसने कंट्रोल किया मगर आज उस पर वह बैकफायर हुआ। मगर क्या हैल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ कोई कोलैबोरेशन करके प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लैवल तक आने वाले वर्षों में ऐसा कोई प्रोग्राम चलाने का विचार रखती है जिससे जनसंख्या नियंत्रण पर कदम भी उठाया जाए और जो युवा पीढ़ी आने वाले समय में पॉपुलेशन ग्रोथ में भागीदार रहेगी, उसको शिक्षित किया जाए कि कहीं न कहीं जो पहले की योजनाएँ हैं, हम दो हमारे दो की तरह, उसके तहत परिवार नियंत्रण और पापुलेशन ग्रोथ पर कोई ठोस कदम उठाने का काम किया जाएगा। ... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न पूछा कि हम सिंगल चाइल्ड नॉर्म को बढ़ाने के लिए क्या एजुकेशन या इंप्लॉयमेंट में बैनिफिट्स दे रहे हैं? इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि 1994 में हुई इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन पॉपुलेशन के हम सिगनेटरी हैं और इसके तहत हम स्वीकार करते हैं कि जो एलिजिबल कपल्स हैं, हम उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को ऑनर करेंगे। हम एक टार्गेट फ्री

अप्रोच लेकर चलेंगे और इसलिए हम कपल्स को खुद डिसाइड करने देंगे, खुद तय करने देंगे कि उनको रिस्पॉसिबल फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ना है और उनको स्वयं तय करना है कि हमें पहला बच्चा कब करना है या दो बच्चों के बीच में कितना स्पेस रखना है। उसके लिए हम उनको एनकरेज कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 146 जिले ऐसे हैं जिनमें हमारा टीएफआर बहुत हाई है। वहाँ हमने विशेष रूप से मिशन परिवार विकास चलाया है और उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही जो हमारा जनसंख्या स्थिरता कोष है, उसके तहत जो आपने कहा कि युवाओं को हम ज्यादा जानकारी दें, इसके तहत हमारी कोशिश है - प्रेरणा स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत ऐसे जो दंपति हैं, जो चार क्राइटीरिया फुलफिल करते हैं, यानी जो लड़की है, उसकी मैरिज की एज 18 वर्ष से ज्यादा होती है, पहला बच्चा शादी के दो साल के बाद होता है, दो बच्चों के बीच में तीन साल का गैप होता है, और इसके बाद कोई भी एलिजिबल कपल में से कोई भी एक अगर वालंटरी स्टर्लाइज़ेशन कराता है तो उनको एनकरेज करने के लिए हम उनको अवार्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, किसान विकास पत्र भी देते हैं। *This is one of the strategies under Jansankhya Sthirata Kosh.* इसके अलावा हमने एक अपना काल सेंटर भी बना रखा है जिसके जरिये कोई भी काल करता है तो हम उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में या इसके बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी यदि वह चाहे तो दे सकते हैं। *So we are trying our level best so that we can educate our youth towards responsible parenthood. ...* (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी युवा इस पर चिन्ता कर रहे हैं, यह अच्छी बात है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने विस्तार में उत्तर लिखित रूप में भी दिया है और बताया भी है।

अध्यक्ष जी, यह समस्या पूरे देश की है। कई बार इसको धर्म के साथ जोड़कर या अलग तरह से देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि भारत के लिए जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ है, यह बहुत समस्या का विषय भी बनता जा रहा है। जहाँ पढ़ा-लिखा समाज है, जहाँ पर संपन्न परिवार है, उनके यहाँ एक ही बच्चा है या ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे हैं। जहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, जहाँ गरीब तबका है, कहीं न कहीं वहाँ पर देखा गया है कि उनके बच्चे ज्यादा हैं। इस तरह से डिपार्टमेंट ने क्या कोई सर्वे किया है या आप इन स्कीमों के माध्यम से सफल हो पाए हैं या आपको इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम की ओर आगे जाना पड़ेगा जहाँ आप इसको इंसेंटिवाइज़ करो। आप शिक्षा के साथ इसको जोड़कर जागरूकता अभियान भी चलाएँ ताकि लोग इंसेंटिव लेने के लिए भी फैमिली प्लानिंग की बात करें और उनकी वैलफेयर भी हो पाए। नहीं तो केवल नाम बदलने से फैमिली प्लानिंग कहने से फैमिली वैलफेयर नहीं होगा। न देश का भला होगा, न

डिपार्टमेंट का भला होगा। क्या आपने ऐसा कोई सर्वेक्षण करवाया है, क्या उसमें आपको सफलता हासिल हुई, क्या आप इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम की ओर जाने के लिए तैयार हैं, और इस विषय में डिपार्टमेंट क्या कदम उठाने वाला है? ...(व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रीया पटेल : मैडम, सरकार कोई काम करती है तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करती है। पॉपुलेशन स्टैबिलाइज़ेशन हमें 2045 तक अचीव करना है और इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं।

मैं आँकड़ों के संबंध में आपको बताना चाहूँगी कि देश की आबादी जो 23.8 करोड़ थी 1901 में, वह 1991 में 36 करोड़ हुई, 2011 में 121 करोड़ हुई और आज 126 करोड़ के लगभग है। सबसे पहली जो हमारी एचीवमेंट रही, वह यह रही कि वर्ष 1990-2000 के दशक में हमारी जो डेकाडेल ग्रोथ रेट 21.54 प्रतिशत थी, उसे हमने घटा कर वर्ष 2001-2011 में 17.64 प्रतिशत तक पहुंचाया।...(व्यवधान) हमारा टी.एफ.आर., जो वर्ष 1951 में 6 हुआ करता था, वह आज वर्ष 2015 में घट कर 2.3 हो चुका है, जिसमें 24 ऐसे राज्य हैं, जो हमारे टारगेट 2.1 को एचीव कर सकते हैं।...(व्यवधान)

साथ ही, हमारे यहां पॉपुलेशन ग्रोथ के जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे teenage marriage, teenage fertility, spacing between births, उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी टीन एज मैरिजेज हैं, जो 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे - 3' में 47.4 परसेंट हुआ करता था, वह 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे - 4' में 26.8 परसेंट पहुंच चुका है।...(व्यवधान) हमारी टीन एज फर्टिलिटी, जो 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे - 3' के अनुसार 16 प्रतिशत थी, 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे - 4' के अनुसार 7.9 परसेंट पहुंच चुकी है।...(व्यवधान) साथ ही, spacing between births, जो हमारे यहां वर्ष 2012 में 42.6 परसेंट था, वह आज वर्ष 2015 में 59.4 परसेंट हुआ है, यानी वह भी इम्प्रूव हुआ है।...(व्यवधान) हमारा आई.एम.आर. 51 से डिक्लाइन होकर वर्ष 2015 में 37 हुआ है।...(व्यवधान) साथ ही, हमारा जो क्रूड बर्थ रेट है, वह भी वर्ष 1951 में 40 प्रति हजार जन्म से घट कर वर्ष 2015 में 20.8 प्रति हजार जन्म पर पहुंच गया है।...(व्यवधान) इसलिए आँकड़ों के संबंध में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने फैमिली प्लानिंग की दिशा में जो तमाम प्रयास किए हैं, उससे हमें यह सफलता मिली है।...(व्यवधान) हमारे जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, वे अपने आप में इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम है, वह सही दिशा में चल रहा है।...(व्यवधान) We get data on literacy, trends and corresponding TFR. But no data is available based on zero poverty levels, religions, castes or creeds. That is not our purpose. We talk in terms of the indicators.

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया।...(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इनसे इस देश में जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है।... (व्यवधान) हिन्दुस्तान ने जिन विषयों में टारगेट को एचीव किया है, उनमें कहीं न कहीं कानून का सहारा लिया है।... (व्यवधान) चाहे वह 'राइट-टू-एजुकेशन' हो, 'राइट-टू-फूड' हो, आर.टी.आई. हो, जहां पर भी हमने टारगेट एचीव किए हैं, वहां पर कानून का सहारा लिया है।... (व्यवधान) इस देश में लोगों के मन में यह विचारधारा है कि जब तक कानून का दबाव नहीं पड़ता, तब तक लोग नहीं मानते हैं।... (व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।... (व्यवधान) वर्ष 2045 को हमने एक बैरियर लिमिट रखा है कि वर्ष 2045 तक इस देश को सारे संसाधन उपलब्ध कराने के बाद भी शायद हम बचा नहीं पाएंगे।... (व्यवधान)

वह गरीब वर्ग, जो जागरूकता की कमी के कारण सुविधाओं का लाभ नहीं लेता और लगातार जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहा है, एक वर्ग विशेष, जो अपनी सोच के कारण जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहा है।... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार आगे आने वाले समय में कोई ऐसा कानून बनाने जा रहा है, जिसमें हिन्दुस्तान का नागरिक इस देश की जनसंख्या के नियंत्रण और समाज के उत्थान में काम करे?... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले भी बताया, we are signatory to the ICPD. According to that, we respect the reproductive rights of our citizens. हम कोई टारगेटेड एप्रोच लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश यह है कि हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर हम एक जागरूकता पैदा करें और लोगों को स्वयं हम मोटिवेट करें कि फैमिली प्लानिंग के जो सही तरीके हैं, वे उसे अपनाएं।... (व्यवधान) इसके लिए हम उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं।... (व्यवधान) हमने बास्केट-ऑफ-कंट्रासेप्टिव-चॉयसेज को बढ़ाया।... (व्यवधान) हमने जागरूकता के लिए कैम्पेन शुरू किया है।... (व्यवधान) 'मिशन परिवार विकास' के तहत मैंने आपको बताया कि जिन हिस्सों में ज्यादा समस्याएं हैं, वहां के लिए हम विशेष स्ट्रैटजी अपना रहे हैं।... (व्यवधान) हमने आई.ई.सी. एक्टिविटीज़ को बढ़ाया है।... (व्यवधान) कोई भी ऐसा कानून लाने के संबंध में फिलहाल सरकार विचार नहीं कर रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हर तरीके से प्रयास करें, जिससे लोग स्वयं इस दिशा में अपने आप बढ़ें।... (व्यवधान) मैंने आंकड़ों के संबंध में उसे स्पष्ट करने का भी प्रयास किया है।... (व्यवधान) कहीं-न-कहीं समाज में वह जागरूकता आई है।... (व्यवधान) इसीलिए, हम इन आंकड़ों में यह इम्प्रूवमेंट देख पाए हैं।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Q. No. 86 – Shri P. Kumar – not present;

Shri Anoop Mishra : not present.

Hon. Minister, you may lay the Question. राजेश रंजन जी, आप संक्षेप में प्रश्न पूछें, क्योंकि प्रश्न काल का समय समाप्त हो रहा है।

... (*Interruptions*)

(Q. 86)

श्री राजेश रंजन: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के जो सरकारी अस्पताल हैं, जिसकी सबसे ज्यादा दुर्गति है, क्या मंत्री महोदय प्राइवेट अस्पतालों पर कोई अंकुश लगाने की व्यवस्था करेंगे? ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान के 130 करोड़ लोग स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य जांच के कारण इस देश में लोगों की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है।...(व्यवधान) दूसरा जेनेटिक दवाई नहीं बढ़ने के चलते, जो एम.आर. है और जो दूसरे-दूसरे संपर्क के दवाइयां होती हैं, उन्हें ही डॉक्टर दवाई के लिए लिखते हैं और आम आदमी को परेशान करते हैं।...(व्यवधान) सरकारी अस्पताल में न तो अल्ट्रासाउंड, न तो सीटी स्कैन, न तो एम.आर.आई. और न ही कोई अन्य सुविधाएं हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप शार्ट क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि समय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: क्या मंत्री महोदय सरकारी अस्पताल में क्वालिटी और क्वांटिटी वाले डॉक्टर सुनिश्चित करेंगे? अभी डॉक्टर के परिवार भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते हैं।...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): हम फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जहां तक डायग्नोस्टिक का सवाल है, ...(व्यवधान) हमारे पैरामीटर बने हुए हैं। प्रदेश सरकार जैसे ही कोई प्रपोजल भेजती है, ...(व्यवधान) हम उसको ड्रग्स भी देते हैं और डायग्नोस्टिक्स भी देते हैं। हम डॉक्टर्स व स्पेशलिस्ट को लगाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं।...(व्यवधान) स्टेट गवर्नमेंट्स को अपाइंट करना है, तनख्वाह हम देंगे, इस बात को हम बताना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

12.00 hours

HON. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग पहले सीट पर जाइए। मैं सबको समय देती हूँ, कभी मना नहीं किया।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. After that I will see what to do.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am not allowing any Adjournment Motion. मैं यह भी पहले करना चाहूंगी, क्योंकि अभी कोई भी एडजर्नमेंट मोशन नहीं, बल्कि बाद में समय मिलेगा।

12.01 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) under sub-section (8) of Section 10 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980:-

- (i) Report on the working and activities of the Allahabad Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7080/16/17]

- (ii) Report on the working and activities of the Bank of Maharashtra for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7081/16/17]

- (iii) Report on the working and activities of the Central Bank of India for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7082/16/17]

- (iv) Report on the working and activities of the Dena Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7083/16/17]

- (v) Report on the working and activities of the Indian Overseas Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7084/16/17]

- (vi) Report on the working and activities of the Punjab National Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7085/16/17]

- (vii) Report on the working and activities of the Union Bank of India for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7086/16/17]

- (viii) Report on the working and activities of the UCO Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7087/16/17]

- (ix) Report on the working and activities of the Bank of Baroda for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7088/16/17]

- (x) Report on the working and activities of the Canara Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7089/16/17]

- (xi) Report on the working and activities of the Corporation Bank of India for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7090/16/17]

- (xii) Report on the working and activities of the Indian Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7091/16/17]

- (xiii) Report on the working and activities of the Oriental Bank of Commerce for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7092/16/17]

- (xiv) Report on the working and activities of the Syndicate Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7093/16/17]

- (xv) Report on the working and activities of the United Bank of India for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7094/16/17]

- (xvi) Report on the working and activities of the Vijaya Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7095/16/17]

- (xvii) Report on the working and activities of the Andhra Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7096/16/17]

- (xviii) Report on the working and activities of the Bank of India for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7097/16/17]

- (xix) Report on the working and activities of the Punjab and Sind Bank for the year 2016-2017, alongwith Accounts and Auditor's Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7098/16/17]

- (2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the IDBI Bank, Mumbai, for the year 2016-2017 under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 7099/16/17]

- (3) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) on the working and activities of the State Bank of India for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts under sub-section (4) of Section 40 of the State Bank of India Act, 1955 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985 and sub-section (3) of Section 43 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 as amended by Banking Laws (Amendment) Act, 1985.

[Placed in Library, See No. LT 7100/16/17]

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders), Kolkata, for the Quarter ended 31.03.2017.
- (ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders), Kolkata, for the Quarter ended 31.03.2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7101/16/17]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 166 of the Central Goods and Service Tax Act, 2017:-

- (i) G.S.R.807(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to reduce the rate of Central Tax on fertilizers from 6% to 2.5%.
- (ii) G.S.R.673(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying CGST Rate Schedule notified under 9(1).
- (iii) G.S.R.674(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying CGST exempt goods notified under Section 11(1).
- (iv) G.S.R.675(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying 2.5% concessional CGST rate for supplies to Exploration and production notified under Section 11(1).

- (v) G.S.R.676(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying reverse charge on certain specified supplies of goods under Section 9(3).
- (vi) G.S.R.677(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying supplies of goods in respect of which no refund of unutilized input tax credit shall be allowed under Section 54(3).
- (vii) G.S.R.678(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying refund of 50% of CGST on supplies to CSD under Section 55.
- (viii) G.S.R.679(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying exemption from CGST supplies by CSD to Unit Run Canteens and supplies by CSD/Unit Run Canteens to authorized customers notified under Section 11(1) and Section 55 CSD.
- (ix) G.S.R.680(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying CGST exemption from reverse charge upto Rs. 5000 per day under Section 11(1).
- (x) G.S.R.681(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying exempting supplies to a TDS deductor by a supplier, who is not registered under Section 11(1).
- (xi) G.S.R.682(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying CGST exemption for dealers operating under Margin Scheme notified under Section 11(1).

[Placed in Library, See No. LT 7102/16/17]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 24 of the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017:-

- (i) G.S.R.710(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying UTGST Rate Schedule notified under Section 7(1).
- (ii) G.S.R.711(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying UTGST exempt goods notified under Section 8(1).
- (iii) G.S.R.712(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying 2.5% concessional UTGST rate for supplies to Exploration and Production notified under Section 8(1).
- (iv) G.S.R.713(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying reverse charge on certain specified supplies of goods under Section 7(3).
- (v) G.S.R.714(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying supplies of goods in respect of which no refund of unutilized input tax credit shall be allowed under Section 54(3) of CGST Act.
- (vi) G.S.R.715(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying refund of 50% of UTGST on supplies to CSD under Section 55 of CGST Act.
- (vii) G.S.R.716(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying exemption from UTGST supplies by CSD to Unit Run Canteens and supplies by CSD/Unit Run Canteens and supplies by CSD/Unit Run Canteens to authorized customers notified under Section 8(1) and Section 55 of CGST Act.

- (viii) G.S.R.717(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying UTGST exemption from reverse charge upto Rs. 5000 per day under Section 8(1).
- (ix) G.S.R.718(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum exempting supplies to a TDS deductor by a supplier, who is not registered, under Section 8(1).
- (x) G.S.R.719(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying UTGST exemption for dealers operating under Margin Scheme notified under Section 8(1).
- (xi) G.S.R.808(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to reduce the rate of Union Territory Tax on fertilizers from 6% to 2.5%.

[Placed in Library, See No. LT 7103/16/17]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 24 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017:-

- (i) G.S.R.666(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the integrated tax.
- (ii) G.S.R.667(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the integrated tax.

- (iii) G.S.R.668(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the integrated tax.
- (iv) G.S.R.669(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying reverse charge on certain specified supplies of goods under Section 5(3).
- (v) G.S.R.670(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying supplies of goods in respect of which no refund of unutilized input tax credit shall be allowed.
- (vi) G.S.R.671(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying refund of 50% of IGST on supplies to CSD under Section 20.
- (vii) G.S.R.672(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying exemption from IGST supplies by CSD to Unit Run Canteens and supplies by CSD/Unit Run Canteens to authorized customers under 6(1).
- (viii) G.S.R.809(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to reduce the rate of integrated Tax rate on fertilizers from 12% to 5%.

[Placed in Library, See No. LT 7104/16/17]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 296 of the Income Tax Act, 1961:-

- (i) The Income-tax (26th Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. S.O.3160(E) in Gazette of India dated 6th October, 2016, together with an explanatory memorandum.

- (ii) The Income-tax (5th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.318(E) in Gazette of India dated 31st March, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (iii) The Income-tax (6th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.325(E) in Gazette of India dated 3rd April, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (iv) The Income-tax (7th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.331(E) in Gazette of India dated 5th April, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (v) The Income-tax (8th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.399(E) in Gazette of India dated 21st April, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (vi) The Income-tax (9th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. S.O.1381(E) in Gazette of India dated 2nd May, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (vii) S.O.1513(E) published in Gazette of India dated 11th May, 2017, together with an explanatory memorandum notifying that the provisions of Section 139AA shall not apply to an individual who does not possess the Aadhaar number or the Enrolment ID..
- (viii) The Income-tax (10th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.546(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (ix) The Income-tax (11th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.554(E) in Gazette of India dated 5th June, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (x) S.O.1789(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying transfers for which the condition of chargeability to Securities Transactions Tax on acquisition shall not be applicable.

- (xi) S.O.1790(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2017, together with an explanatory memorandum specifying the Cost Inflation Index for the Financial Year 2017-18 under clause (v) of the Income-tax Act, 1961.
- (xii) S.O.1818(E) published in Gazette of India dated 8th June, 2017, together with an explanatory memorandum notifying bonds issued by Power Finance Corporation under Section 54EC of the Income-tax Act, 1961.
- (xiii) The Income-tax (13th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.561(E) in Gazette of India dated 8th June, 2017, together with an explanatory memorandum together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.631(E) dated 23rd June, 2017.
- (xiv) The Income-tax (14th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.569(E) in Gazette of India dated 9th June, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (xv) The Income-tax (15th Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.590(E) in Gazette of India dated 15th June, 2017, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 7105/16/17]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962:-

- (i) S.O.815(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (ii) Notification No. 22/2017-Customs (N.T.) dated 16th March, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian

currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.

- (iii) S.O.1015(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (iv) Notification No. 32/2017-Customs (N.T.) dated 5th April, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (v) Notification No. 33/2017-Customs (N.T.) dated 6th April, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (vi) S.O.1177(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (vii) Notification No. 40/2017-Customs (N.T.) dated 20th April, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (viii) S.O.1357(E) published in Gazette of India dated 28th April, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.

- (ix) Notification No. 43/2017-Customs (N.T.) dated 4th May, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (x) S.O.1562(E) published in Gazette of India dated 15th May, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xi) Notification No. 49/2017-Customs (N.T.) dated 18th May, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xii) S.O.1743(E) published in Gazette of India dated 31st May, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xiii) Notification No. 52/2017-Customs (N.T.) dated 1st June, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xiv) Notification No. 53/2017-Customs (N.T.) dated 15th June, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.

- (xv) S.O.1918(E) published in Gazette of India dated 15th June, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xvi) S.O.2051(E) published in Gazette of India dated 30th June, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated 3rd August, 2001.
- (xvii) S.O.2064(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 62/2017-Cus.(N.T.), dated 30th June, 2017.
- (xviii) Notification No. 70/2017-Customs (N.T.) dated 6th July, 2017, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or *vice-versa* of the purpose of assessment of imported and export goods.
- (xix) G.S.R.320(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 69/2011-Cus., dated 29th July, 2011.
- (xx) G.S.R.356(E) published in Gazette of India dated 13th April, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (xxi) G.S.R.394(E) published in Gazette of India dated 30th April, 2017, together with an explanatory memorandum exempting basic customs duty on drugs and medicines imported for supply under the specified Patient Assistance Programmes of the respective

pharmaceutical companies subject to the conditions specified therein.

- (xxii) G.S.R.400(E) published in Gazette of India dated 21st April, 2017, together with an explanatory memorandum exempting goods falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 when imported into India by or along with a unit of the Army, the Navy, the Air Force or the Central Paramilitary Forces on the occasion of its return to India after a tour of service abroad, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act and from the whole of the additional duty leviable thereon under Section 3 of the said Customs Tariff Act subject to the condition specified therein.
- (xxiii) G.S.R.450(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (xxiv) G.S.R.473(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 101/2007-Cus., dated 11th September, 2007.
- (xxv) G.S.R.474(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.
- (xxvi) G.S.R.579(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

- (xxvii) The Project Imports (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.628(E) in Gazette of India dated 23rd June, 2017, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 7106/16/17]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

- (i) G.S.R.330(E) published in Gazette of India dated 3rd April, 2017 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 01/2017-Cus.(ADD), dated 5th January, 2017.
- (ii) G.S.R.343(E) published in Gazette of India dated 11th April, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the imports of 'Linear Alkyl Benzene', originating in, or exported from Iran, Qatar and People's Republic of China for a period of five years; pursuant to final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties.
- (iii) G.S.R.344(E) published in Gazette of India dated 11th April, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the imports of 'Flexible Slabstock Polyol', originating in, or exported from Thailand for a period of five years pursuant to final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties.
- (iv) G.S.R.432(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty, imposed on Viscose Filament Yarn, originating in, or exported from China PR for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 03.05.2018.

- (v) G.S.R.433(E) published in Gazette of India dated 3rd May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the import of 'Elastomeric Filament Yarn' from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam for a period of five years in pursuance of final findings of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties dated 24.03.2017.
- (vi) G.S.R.449(E) published in Gazette of India dated 9th May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty, imposed on Partially Oriented Yarn, originating in, or exported from China PR for a further period of one year i.e. upto and inclusive of 01.05.2018 as per the recommendation of the DA.
- (vii) G.S.R.455(E) published in Gazette of India dated 11th May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Hot rolled Flat Products of alloy or non-alloy steel, originating in, or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil or Indonesia for a period of five years, from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. 8th August, 2016, pursuant to the findings of the Designated Authority, Director General of Anti-Dumping and Allied Duties in this regard.
- (viii) G.S.R.461(E) published in Gazette of India dated 12th May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Cold Rolled Flat Products of alloy or non-alloy steel, originating in, or exported from China PR, Japan, Korea RP, or Ukraine for a period of five years, from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. 17th August, 2016 pursuant to the findings of the Designated Authority, Director General of Anti-Dumping and Allied Duties in this regard.

- (ix) G.S.R.462(E) published in Gazette of India dated 12th May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the imports of 'Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm, falling under Chapter heading 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 or 7020 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from China PR for a period of five years.
- (x) G.S.R.463(E) published in Gazette of India dated 12th May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the imports of 'Aluminium Radiators, Aluminium Radiator sub-Assemblies and Aluminium Radiator Core, including in CKD or SKD conditions, for use in used/on road vehicles and generator sets, excluding aluminium radiators meant for use in new Automobiles falling under tariff item 8708,9100 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from China PR" for a period of five years.
- (xi) G.S.R.476(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the imports of 'Amoxycillin, originating in, or exported from China PR for a period of five years in pursuance of final findings of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties dated 03.04.2017.
- (xii) G.S.R.477(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2017 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 23/2016-Cus.(ADD), dated 6th June, 2016.
- (xiii) G.S.R.478(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty seeks to levy definitive anti-dumping

duty, on imports of specified Aluminium Foil, originating in, or exported from China PR pursuant to the findings of the Designated Authority, Director General of Anti-Dumping and Allied Duties in this regard.

- (xiv) G.S.R.549(E) published in Gazette of India dated 2nd June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to extend the levy of anti-dumping duty, imposed in Digital Offset Printing Plates, originating in, or exported from China PR for a period of one year i.e. upto and inclusive of 03.06.2018.
- (xv) G.S.R.555(E) published in Gazette of India dated 5th June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy provisional anti-dumping duty on import of 'Toluene Di-Isocyanate, originating in, or exported from China PR, Japan and Korea RP for a period of six months in pursuance of final findings of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties.
- (xvi) G.S.R.560(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to extend for a period of one year upto and inclusive of 6th June, 2018, the anti-dumping duty imposed on imports of Plain Gypsum Plaster Board, originating in, or exported from Peoples Republic of China, Thailand and United Arab Emirates from the date of imposition of the Provisional anti-dumping duty i.e. 7th June, 2012.
- (xvii) G.S.R.576(E) published in Gazette of India dated 12th June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to impose provisional anti-dumping duty on Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items, originating in, or exported from China PR for a period not exceeding six months from the date of publication of this notification.

- (xviii) G.S.R.587(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the imports of 'Hydrogen Peroxide', originating in, or exported from Bangladesh, Taiwan, Korea RP, Pakistan and Thailand for a period of five years in pursuance of final findings of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties dated 11.04.2017.
- (xix) G.S.R.588(E) published in Gazette of India dated 14th June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to impose final anti-dumping duty on Soluble Salt Double Charge, GVT and PGVT, porcelain/Vitrified Tiles with less than 3% water absorption and All sizes, originating in, or exported from China PR for a period of five years from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, i.e. the 29th March, 2016.
- (xx) G.S.R.623(E) published in Gazette of India dated 22nd June June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on the imports of 'Sewing Machine Needles', originating in, or exported from China PR and imported into India at the specified rates, pursuant to the final findings of the Designated Authority, Director General of Anti-Dumping and Allied Duties, for a period of five years from the date of imposition i.e. 22nd June, 2017.
- (xxi) G.S.R.731(E) published in Gazette of India dated 29th June June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on the import of 'Pentacrythritol', originating in, or exported from China PR for a period of five years in pursuance of final findings of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties dated 12.05.2017.

- (xxii) G.S.R.801(E) published in Gazette of India dated 30th June June, 2017 together with an explanatory memorandum seeking to extend levy of anti-dumping duty imposed on import of Soda Ash, originating in, or exported from China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA upto and inclusive of 2nd July, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 7107/16/17]

- (11) A copy of the Determination of Origin of Goods under the Preferential Trading Agreement between the Republic of India and the Republic of Chile (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.479(E) in Gazette of India dated 16th May, 2017 under Section 10 of the Customs Tariff Act, 1975, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 7108/16/17]

- (12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

- (i) The Point of Taxation (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.370(E) in Gazette of India dated 13th April, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (ii) G.S.R.434(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012.

[Placed in Library, See No. LT 7109/16/17]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

- (i) The CENVAT Credit (Second Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.372(E) in Gazette of India dated 13th April, 2017, together with an explanatory memorandum.
- (ii) G.S.R.475(E) published in Gazette of India dated 16th May, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 12/2012-C.E. dated 17th March, 2012.
- (iii) The CENVAT Credit (Third Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.577(E) in Gazette of India dated 12th June, 2017, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 7110/16/17]

(14) A copy of Notification No. G.S.R.393(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 20th April, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 8/2011-cus., dated 14th February, 2011 under Section 25 of the Customs Act, 1962.

[Placed in Library, See No. LT 7111/16/17]

(15) A copy of the India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.619(E) in Gazette of India dated 21st June, 2017 under Section 159 of the Customs Act, 1962 and Section 10 of the Customs Tariff Act, 1975, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 7112/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): On behalf of Shri Arjun Ram Meghwal, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 28th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the Recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7113/16/17]

(2) A copy of the Specified Bank Notes (Deposit of Confiscated Notes) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.460(E) in Gazette of India dated 12th May, 2017 under sub-section (2) of Section 11 of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7114/16/17]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 11 of 2017) (Communications and IT Sector)-Sharing of Revenue by Private Telecom Service Providers upto 2014-15.

[Placed in Library, See No. LT 7115/16/17]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 25 of 2017)-Performance Audit of Reproductive and Child Health under National Rural Health Mission, Ministry of Health and Family Welfare, for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7116/16/17]

- (iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 7 of 2017)-Performance Audit of Agriculture Crop Insurance Schemes, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

[Placed in Library, See No. LT 7117/16/17]

- (iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 12 of 2017)-Compliance Audit Observations for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7118/16/17]

- (v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) (No. 15 of 2017)—Army, Ordnance Factories, for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7119/16/17]

- (vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services)(No. 20 of 2017)—Navy and Coast Guard for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7120/16/17]

- (vii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 16 of 2017)—Performance Audit on Credit Risk Management in IFCI Limited, Ministry of Finance.

[Placed in Library, See No. LT 7121/16/17]

- (viii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways)(No. 14 of 2017) for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7122/16/17]

- (ix) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 19 of 2017)-Defence Public Sector Undertakings, Ministry of Defence, for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7123/16/17]

- (x) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 21 of 2017)-Ministry of Communications and Ministry of Electronics and Information Technology, for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7124/16/17]

- (xi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 17 of 2017)-(Compliance Audit) Scientific and Environmental Ministries/Departments for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7125/16/17]

- (xii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 23 of 2017)-Implementation of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, Ministry of Human Resource Development, for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7126/16/17]

- (xiii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 10 of 2017)-Performance Audit on Schemes for Flood Control and Flood Forecasting, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

[Placed in Library, See No. LT 7127/16/17]

- (xiv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 13 of 2017)-Catering Services in Indian Railways, for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7128/16/17]

- (xv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 22 of 2017)-Electrification Projects in Indian Railways for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7129/16/17]

- (4) A copy of the Draft Notification No. F. No. 01/02/2014-CL.V (Hindi and English versions) making certain amendments in the Notification No. G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015 directing that for serial number 8 and entries thereto, Chapter IX, Section 129 of the Companies Act, 2013 shall not apply to the companies engaged in defence production to the extent of application of relevant Accounting Standard on segment reporting under sub-section (2) of Section 462 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 7130/16/17]

12.02 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT
43rd Report

श्री रमेश बैस (रायपुर): महोदया, मैं विपरीतलिंगी व्यक्ति(अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016 के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 43वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.03 hours**BUSINESS OF THE HOUSE**

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूँ कि सोमवार, 24 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार [जिसमें
 - (i) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017;
 - (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2017; और
 - (iii) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार और पारित करना शामिल है] ।
2. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का संख्या 1) का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार और पारित करना - अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)
3. पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 2016 (2017 का संख्या 2) का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017 पर विचार और पारित करना - अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)
4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:-
 - (क) केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017 - अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)
 - (ख) एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2017 - अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए। (पुरःस्थापना के पश्चात)
 - (ग) भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2017
 - (घ) स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2017
 - (ड.) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
 - (च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017
 - (छ) निरसन और संशोधन विधेयक, 2017
5. वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल सहित) से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और पारित करना।

6. वर्ष 2014-15 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और पारित करना।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. रोहतास जिला (बिहार) के डालमिया नगर उद्योग परिसर में रेल मंत्रालय द्वारा आवधिक वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कार्य वर्कशाप प्रोजेक्ट ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.पी.ओ.) पटना को सौंपा गया है। परन्तु आर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.पी.ओ.) की शिथिलता के कारण अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। इसे शीघ्र कार्यान्वित कराया जाए।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतास जिला के रोहतास किला एवं कैमूर जिला के मूण्डेश्वरी धाम पर रोपवे का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए : -

1. मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र के छतरपुर जिले में एन.टी.पी.सी. के शिलान्यास का कार्य 2014 के लोक सभा चुनाव के पूर्व किया गया था, किन्तु निर्माण कार्य में प्रगति काफी धीमी है। अतः पर्यावरण संबंधी स्वीकृति एवं अन्य बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
2. मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का टीकमगढ़-छतरपुर क्षेत्र चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेजों के दूर होने से बड़ी संख्या में मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अतः टीकमगढ़-छतरपुर में केन्द्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की शीघ्र कार्यवाही की जाए।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदया, अगले हफ्ते की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए।

देश का किसान उसके उपज का भाव न मिलने की वजह से कर्ज में डूबा हुआ है। देश के सभी किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी करने की दिशा में सदन में चर्चा की मांग।

देश भर में किसानों की बढ़ती आत्महत्या तथा किसानों को फसल के दाम ठीक न मिलने के प्रति जनक्षोभ और इस परिप्रेक्ष्य में हो रही कर्ज माफी की बढ़ती मांग, देश भर में आंदोलन के माध्यम से रास्ते पर उतरा हुआ किसान, इन कारणों की वजह से बिगड़ते हुए हालातों को संभालने हेतु एवं किसानों की

खुशहाली के लिए भारत सरकार द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग तथा भारत सरकार द्वारा इसका स्वीकारी गयी रिपोर्ट को तुरंत लागू करने के संदर्भ में चर्चा की मांग।

.....

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, कृपया निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने का कष्ट करें।

1. गुड़, राब व खाण्डसारी की मात्र 100-120 इकाइयां पूरे देश में हैं, जो लघु व सीमान्त किसान हैं, जिनके पास गन्ने के सट्टों के अलावा परिवहन के अल्प साधन हैं, जो गन्ना फैक्ट्री तक नहीं जा पाता, उस गन्ने की आपूर्ति इन ईकाइयों में होती है, जिससे साधन विहीन किसानों को उक्त गन्ना सप्लाई द्वारा नगद भुगतान उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा इन ईकाइयों से 15000 से 20000 परिवारों को रोजगार भी मिलता है।

इस लघु व कुटीर उद्योग के अस्तित्व को बचाये रखने हेतु पूर्व में इसे वैट से मुक्त रखा गया था, परन्तु अब जी.एस.टी. में इस उद्योग पर 5 प्रतिशत कर तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में बची राब, गुड़, खाण्डसारी की कुल 100-120 ईकाइयाँ बची हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में हैं तथा इनमें से मात्र 35 ईकायाँ ही खाण्डसारी का उत्पादन करती हैं, जिसमें से 22 केवल मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में ही हैं। उक्त 35 ईकाइयों का कुल वार्षिक टर्न ओवर 500 करोड़ है, जिस पर 25 करोड़ टैक्स बनेगा। इस उद्योग के अस्तित्व को बचाये रखने हेतु इस उद्योग को 5 प्रतिशत जी.एस.टी. के बजाय कर मुक्त श्रेणी में रखने से सामान्य रूप से खाद्यान्नों से कर मुक्त रखने की नीति के साथ ही इस लघु उद्योग को बचाने में मदद मिलेगी।

2. राम चरित मानस की हस्तलिखित पांडुलिपि उपलब्ध होने, गोस्वामी तुलसीदास की कर्म स्थली व पांडवों के अज्ञातवास के प्रमाण सहित बहुत से ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के मंदिर व इमारतें होने के साथ ही गोला गोकर्न नाथ शिव मंदिर व दुधवा टाईगर रिजर्व फॉरेस्ट आदि अनेक धार्मिक ऐतिहासिक व पर्यटन स्थल हैं। अतः लखीमपुर को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रामायण सर्किट से जोड़ा जाये।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam, the urgent need to address the rise in Vector Borne diseases in the State of Kerala.

The urgent need to ensure flood prevention measures and calamity redundancy measures are in place in the State of Kerala.

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

(एक) देश के सभी किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी पर सदन में अगले सप्ताह चर्चा।

(दो) स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगले सप्ताह चर्चा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

(एक) प्रधानमंत्री आवास योजना में न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, ऐसी स्थिति में दिव्यांगों एवं निरश्रितों के लिए यह अवरोध बन रही है। इस पर मतदान की आयु के साथ शोधन पर विचार।

(दो) केन्द्रीय सेवाओं एवं प्रतिस्पर्धाओं में जाति प्रमाण का एक समान प्रारूप हो ताकि छात्रों एवं अभिभावकों का धन एवं समय बच सके, एकरूपता से भ्रष्टाचार एवं परेशानी कम होगी।

HON. SPEAKER: Smt. Pratima Mondal – not present.

Shri Mullappaly Ramachandran – not present.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे विषय को सम्मिलित किया जाए।

(एक) आज देश को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष पूरे होने को हैं। भारत में मुगलों का साम्राज्य रहा जो भारत पर आक्रमण कर देश को गुलाम बनाया। उसके बाद अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लेकिन आज विडम्बना यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली में कई मार्गों का नाम भारत पर आक्रमणकारियों के नाम पर है। जैसे बाबर रोड, अकबर, हुमायूं, जहांगीर रोड इत्यादि।

अतः माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूं कि मार्गों का नाम भारत को गुलाम बनाने वालों से हटाकर राष्ट्र भक्तों के नाम पर किया जाए जो कि भारतवासियों के जनभावना की अनुकूल है।

12.13 hours**STATE BANKS (REPEAL AND AMENDMENT) BILL, 2017***

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and further to amend the State Bank of India Act, 1955.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to repeal the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and further to amend the State Bank of India Act, 1955.”

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

12.13 ½ hours**SUBMISSIONS BY MEMBERS****(i) Re: Need to address the widespread agrarian distress throughout the country resulting in suicides by farmers**

माननीय अध्यक्ष : मैं चर्चा के लिए मना नहीं कर रही हूँ। आपका चिल्लाना पूरा हो गया।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, आपने एडजर्नमेंट मोशन को एलाऊ नहीं किया, मगर फिर भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इस सब्जेक्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए आपने 193 का डिस्कशन एलाऊ किया। आज किसान आंदोलित है ...(व्यवधान) आंध्र प्रदेश के गुंटुर से लेकर शहाबाद, यमुनानगर तक का किसान, मंदसौर, मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर है, जंतर मंतर पर भी किसान बैठे हैं। उस दिन चर्चा हुई लेकिन मंत्री जी का जो जवाब आया उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। ...(व्यवधान) सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। दो मुख्य सवाल है, किसान की ऊपज का पूरा भाव मिले, स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वायदा सरकार का सत्ता में आने से पहले था। जितना भाव किसानों को यूपीए के समय मिलता था उतना भाव भी नहीं मिल पा रहा है ...(व्यवधान)। कर्ज माफी का सवाल है, ये लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि 60-70 सालों में हमने क्या किया। इस सरकार ने तीन में किसानों के ऊपर इतना कर्ज चढ़ा दिया जितना 60 सालों में नहीं चढ़ पाया। किसानों पर सबसे तेज कर्जा चढ़ा है तो तीन वर्षों के अंदर चढ़ा है। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ जो पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जल्दी पूरा करो, मैंने उस दिन बोलने का पूरा समय दिया था।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदया, सरकार का जवाब संतुष्टि के लायक नहीं था, न कर्ज माफी का जिक्र हुआ और न ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र हुआ। इस विरोध में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, अगर जवाब नहीं देंगे तो हम सदन से वॉकआउट करते हैं, सदन का बहिष्कार करते हैं। ...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष जी, कांग्रेसी पार्टी के लोग आज इस सदन में आवाज उठा रही है, मैं कांग्रेस के सांसदों से पूछना चाहूंगा कि परसों जब साढ़े 10 बजे तक हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे थे ...(व्यवधान) तब आप कहां चले गए थे, आप क्यों नहीं

उपस्थित रहे? केवल दो ही मॅबर काँग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और दीपेन्द्र हुड्डा जी उपस्थित थे । माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी सब कहाँ गए थे?... (व्यवधान) यानी काँग्रेस किसानों के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रही है। आपको कोई हमदर्दी नहीं है। किसान के बारे में आप आंदोलित नहीं हैं।... (व्यवधान) यदि किसान के बारे में किसी को हमदर्दी है तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, एनडीए की सरकार है।... (व्यवधान)

12.15 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले तीन सालों में किसानों के हित में जितना काम हमारी सरकार ने किया है, 60 सालों में आपने नहीं किया।... (व्यवधान) आपने कुछ नहीं किया। फसल बीमा योजना से लेकर प्राकृतिक प्रकोप की राहत से हर चीज के बारे में काम किया है।... (व्यवधान) आज की तारीख में खाद का कोई संकट नहीं है, नीम कोटिंग यूरिया कर चुके हैं, जितनी चाहिए उतनी खाद देश भर में अवेलेबल है। ऐसी स्थिति हम लेकर आ गए हैं। ... (व्यवधान)

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम चर्चा कर रहे थे, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप साढ़े दस बजे तक बैठे रहे, ये लोग नहीं बैठे, हाउस में नहीं रहे, किसानों के बारे में इनकी झूठी हमदर्दी है।... (व्यवधान)

12.16 hours

(Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members then left the House.)

12.16 ½ hours**(ii) Re: Problems faced by the people of Darjeeling due to prevailing unrest**

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठा रहा हूँ। पिछले एक महीने से ज्यादा दार्जिलिंग, जो बंगाल का मुकुट माना जाता है, में हिंसा भड़की है, गतिरोध चल रहा है। यह देश की एकता का सवाल है। पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया है कि पुलिस की गोली से दार्जिलिंग में एजिटेड करने वाले मारे जा रहे हैं। यहां राशन बंद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि यह बंगाल का हिस्सा है और यह देश की एकता और अखंडता का भी सवाल है। जनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते हैं। वहां के खाद्य मंत्री घोषणा कर रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि हम राशन रोक देंगे। राइट टू फूड के अधिकार के तहत हम किसी का खाना-पानी नहीं रोक सकते हैं।

इसके बाजू में सिक्किम है, अलग प्रांत है, सड़क वहीं से गुजरती है, गतिरोध के कारण वहां की जनता को भी परेशानी हो रही है। गोरखा टेरिटोरियल अथारिटी बनी थी, ट्राईपार्टाइट बैठक हुई थी, केंद्र, राज्य और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच हुई थी। छः साल पहले यह मामला हुआ था, उसमें यह लिखा था कि निरंतर प्रयास चलेगा, हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह से वह फंक्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आज क्या हो रहा है। जीटीए के इलैक्टिड मैम्बर्स के घर में पुलिस भेजकर वहां की सरकार कहती है कि हम औजार निकालकर लाए हैं। इलैक्टिड गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपल कार्पोरेशन हो, जैसे त्रिपुरा में बनाई गई है, उसी तरह से देश के अन्य प्रांतों में जो भाषाई रूप से अलग हैं, कन्टीगुअस एरिया हैं, खासकर ऑटोनोमस काउंसिल जीटीए इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि ट्राइबल एरिया को राज्य और देश की एकता को ध्यान में रखकर स्वायत्त शासन देना पड़ेगा।

यह एथनिक सवाल है, भाषा का सवाल है, तारीख का सवाल है, सिर्फ जियोग्राफी का सवाल नहीं है। वहां पर जोर जबरदस्ती भाषा लादने के नाम पर मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि दखल करने का माहौल बना, सबमें दखल करना पड़ेगा, विरोधी पक्ष नहीं रहेगा, पंचायत में दखल कर लो, जीटीए में दखल कर लो, उनके दफ्तर में दखल कर लो, उनकी पंचायत में दखल कर लो। दखल, ...* और प्रशासन लोकतंत्र को हथिया लेंगे।

माननीय अध्यक्ष : ... * शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

* Not recorded

श्री मोहम्मद सलीम : यह दार्जिलिंग में ही सीमित नहीं है। आज डुआर से लेकर उत्तर बंगाल में समस्या बढ़ रही है। केंद्र सरकार चुपचाप खामोशी से तमाशा नहीं देख सकती है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। ट्राईपार्टाइट बैठक बुलाइए, शांति की बहाली कीजिए, वहां लोग मर रहे हैं, उनको बचाइए, उनका राशन बंद किया जा रहा है। उनको इसके लिए मना कीजिए और मुख्यमंत्री को बताइए कि संविधान के अनुसार काम करें, कानून के अनुसार काम करें, वे जबरन किसी का अधिकार छीन नहीं सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.के. बिजू, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, डॉ. ए. सम्पत और एडवोकेट जोएस जार्ज को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, दार्जिलिंग की स्थिति के बारे में भारत सरकार चिंतित है। अभी माननीय सदस्य मोहम्मद सलीम जी ने वहां की स्थिति सदन में उजागर की है। दार्जिलिंग की स्थिति बहुत ही विकट बनती जा रही है। वहां शांति प्रस्थापित होनी चाहिए। यदि उस शांत पहाड़ को आग लग चुकी है, तो यह पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री जी का रवैया और उन्होंने इस समस्या को जिस तरह हैंडल किया, उस कारण है।

अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार का अनुरोध है कि वहां पहले शांति और कानून व्यवस्था प्रस्थापित की जाये। उसके बाद वहां की जो डिमांड है, उस बारे में हम सब मिलकर चिंता कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

DR. PRABHAS KUMAR SINGH (BARGARH): Madam Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to raise a very important issue related to a backward and Left Wing Extremism affected State.

This is regarding discontinuance of Central Assistance for Area Development Programmes. The economic divide emanating from asymmetric growth and backwardness of the regions dominated by tribals and vulnerable groups gives rise to regional imbalance, which calls for focused attention of the Government for achieving inclusive growth.

The Left Wing Extremism is one of the biggest internal security threats and poses a national challenge. Discontinuance of Central Assistance for Area Development Programmes like Special Plan for Kalahandi, Balangir and Koraput (KBK) districts of Odisha, Backward Region Grant Fund (BRGF) and Integrated Action Plan (IAP) for Left Wing Extremism affected districts has affected the developmental programmes for some of the most vulnerable and backward regions of Odisha.

The Government of India may restore the provision for these programmes or provide a special package to the State for continuation of these programmes from the budget provision available with NITI Aayog.

Therefore, Madam, through you, I would like to submit the following before the hon. Finance Minister. Will the Government of India, appreciating the genuine concerns of the State Governments like Odisha, restore the provision for the above noted programmes keeping in view the developmental needs of the most vulnerable and backward regions of Odisha? Or, will the Government of India plan to provide a special package to the State for continuation of these programmes from the budget provision available with NITI Aayog? Thank you, Madam.

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय कैंसर जैसे घातक रोग का तेजी से फैलाव व कुछ क्षेत्रों में हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होने की

ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। कैंसर जैसे घातक रोग का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख व्यक्तियों की मृत्यु कैंसर के कारण होती है।

अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र जैसे सिंघपुर, सानी इत्यादि में हर परिवार से एक-दो लोग इस बीमारी से पीड़ित हो गये हैं। यह जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह बीमारी एक महामारी का रूप लेती जा रही है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा सरकार व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के सिंघपुर, मुंडापांडे इत्यादि क्षेत्रों में पानी, मिट्टी आदि की सघन जांच या अन्य कारणों की जांच कराकर इसके रोकथाम के लिए यथाशीघ्र प्रभावी कदम उठाने का कष्ट करें, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी से देश व मेरे क्षेत्र के लोगों की जान बचायी जा सके।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Satyapal Singh.

डॉ. थोकचोम मेन्या। Is Dr. Meinya not there?

... (Interruptions)

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Madam, I am here.

माननीय अध्यक्ष : क्या आप अपना इश्यू नहीं उठाना चाहते?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपका नाम दो बार बुलाया है।

... (व्यवधान)

DR. THOKCHOM MEINYA : Madam, it is a bit difficult for me to follow you in Hindi. I am sorry, Madam.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have to call the name of the hon. Member only. उसमें हिन्दी-इंगलिश कुछ नहीं होता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपका अंग्रेजी नाम अलग है?

... (व्यवधान)

डॉ. थोकचोम मेन्या: अध्यक्ष महोदया, ऐसा कुछ नहीं है।... (व्यवधान)

DR. THOKCHOM MEINYA : Madam Speaker, I thank you very much. I rise to raise an urgent matter of public importance.

Flash floods in the North-East India and landslides in the hilly regions of North-East India during monsoon have been annual phenomena. This time, the death toll due to flash floods and landslides in the North-Eastern region has crossed 300 people.

Heavy monsoon rains, flash floods and landslides wreak havoc in Imphal, Guwahati, Mizoram and Arunachal Pradesh. The two lifelines of Manipur, NH-2 and NH-37, are cut off completely, causing immediate closure of movement of goods and passengers. Encroachment of natural water bodies in the valley areas in the name of modern development and civilization accompanied with shallow riverbeds appear to be some of the reasons for these flash floods.

Madam, it is high time to have a dedicated flash flood management policy for the entire North-East and Manipur in particular. Flash floods do come very fast and quickly, wreak havoc and disappear.

Hence, I urge upon the Union Government and the Ministries of Home Affairs and Water Resources to immediately intervene and help the States of the North-East India to mitigate the situation by immediately sanctioning adequate relief funds. Let us also immediately formulate a dedicated flash flood management policy for the entire North-East region and Manipur in particular.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Ninong Ering, Kumari Sushmita Dev, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Thangso Baite are permitted to associate with the issue raised by Dr. Thokchom Meinya.

SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to speak on one of the most crucial topics of drinking water supply.

Drinking water is one of the basic necessities of human-beings. The biggest problem faced by Kandhamal, my parliamentary constituency in Odisha, being a hilly area, is that bore-wells, tube-wells etc. are not efficient enough because of low water levels. PHD supply and overhead water tanks are the only sources of drinking water.

Since the panchayats are given absolute powers, I would like to know through you, Madam, how the PWS scheme will be implemented effectively and whether the Ministry will provide sufficient allocations to cover hilly areas with piped water supply schemes.

Thank you.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। नगर निगम की दृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आता है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि हम कितने दर्द में हैं, लेकिन आप ही हमारी संरक्षक हैं, इसलिए मैं इसमें आपकी मदद जरूर चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया, नगर निगम की दृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आता है।... (व्यवधान) बाकी 20 प्रतिशत हिस्सा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में आता है। होता यह है कि मुझे अपने लोक सभा क्षेत्र में दो मेयर, पांच डीएम, चार डीसीपी एवं अन्य अलग-अलग संस्थाओं से सम्पर्क रखना पड़ता है। सम्पर्क रखने में मैं कामयाब होता हूँ, परन्तु उनके अपने सम्पर्क नहीं हो पाते हैं। उनके आपसी कम्यूनिकेशन ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें पिछले 28 वर्षों से एरिया अँथराइज हो गया, लेकिन वहाँ पानी अब तक नहीं पहुँचा, क्योंकि एनओसी देने वाला विभाग अलग है, खोदने वाला विभाग अलग है, ढकने वाला विभाग अलग है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। यह तालमेल इसलिए नहीं है कि चुनावी क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। मुझे लगता है कि सभी सांसदों के साथ ऐसा होता होगा। इसमें खर्च बहुत ज्यादा होता है। जैसा माननीय भर्तृहरि महताब जी ने टाइम जोन के बारे में बताया था कि टाइम जोन अलग होने की वजह से खर्च कितने बिलियन डालर ज्यादा होता है, उसी तरह से प्रशासनिक क्षेत्र और चुनावी क्षेत्र में तालमेल न होने की वजह से बहुत ज्यादा खर्च होता है, सांसद के कार्यालय का भी होता है, लोगों का भी होता है और सरकार का भी होता है।

इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें तालमेल बैठाने के लिए चुनावी क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र एक ही होना चाहिए, ताकि मेहनत बचे, खर्च बचे। खासकर दिल्ली में दिक्कत यह है कि कल बरसात हुई थी और

ऐसा तालमेल न होने की वजह से सब जगह पानी भर गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी नाकामयाब है कि तालमेल बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुरंत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मैं यह भी मांग करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Nishikant Dubey and Dr. Virendra Kumar are permitted to associate with the issue raised by Shri Maheish Girri.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, क्या इस तरह से स्टेट के बारे में इश्यू रैज कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : उनको डिलिमिटेशन की मांग करनी थी, तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी।

... (व्यवधान)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise the most important issue, and the burning issue, pertaining to increase in cyber crimes in the country.

As we all are well aware that we have moved to digitalisation, and social media is playing a very vital role in the country. There is a lot of abuse in the social media. Pertinently, now I want to raise this issue as after demonetization we have moved from cash economy to the plastic currency. The use of credit and debit cards has become a part of every body's life today.

I would like to particularly mention on the banking frauds through cyber gateway that are occurring, that are posing a serious threat to the economy. Unfortunately, these frauds are rapidly increasing, and between 2011 and 2015 the cyber crimes have gone up five times with the usage of digital transactions like e-wallets and other online payment gateways. The mobile frauds are also increasing and they are expected to grow by 65 per cent by 2017.

The common man is depending upon the debit or credit cards to make their daily payments. There is a lot of fraud going on here as amounts are being deducted from the accounts without even the use of pin code or One-Time Password (OTP) and so many people are facing so many issues regarding this issue.

According to the data, about 40 per cent of the cyber crimes are related to banking transactions, and in resolving these complaints the banks are also taking a lot of time. Further, the individuals are lost in unproductive work, and they are subjected to harassment.

Under these circumstances, I would request the Home Ministry as well as the Finance Ministry to evolve a policy and put it in place for immediately resolving these cyber crimes, and also to expedite and simplify the process of resolving these issues in order to provide relief to the sufferings of common man. Thank you so much, Madam.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शिवकुमार उदासि, श्री निशिकान्त दुबे, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पी.के.बिजू, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam Speaker, I have given a notice for Adjournment Motion. ... (*Interruptions*) You have allowed others to speak. ... (*Interruptions*) I also wish to speak on my notice. ... (*Interruptions*) This is a serious case of corruption. ... (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम: इनका भी एडजर्नमेंट का नोटिस था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनका एडजर्नमेंट नोटिस में नाम नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। मैं समझ रही हूँ।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। बिहार में रेल परियोजनाओं की उपेक्षा की जा रही है और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने जिन परियोजनाओं की स्वीकृति दी थी, उसे भी बंद कर दिया गया है।... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, यह क्या बोल रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: खास कर, सुल्तानगंज से लेकर कटोरिया और कटोरिया से लेकर बेलहर की योजना बंद की गयी है, सुल्तानगंज से बाँका की योजना बंद की गयी है, बरियारपुर से खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, बेलहर, बाँका और मननपुर की योजनायें बंद कर दी गयी हैं। अभी तक बरियार पुल नहीं बना है। यहां तक कि जसीडीह में हमारा रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है, वहां और राजधानी ट्रेन रोकी जाये, उस स्टेशन को बेहतर बनाया जाये। जमालपुर रेल कारखाना एशिया का प्रसिद्ध कारखाना है, आज उसे कई तरह के निर्माण कारखाना के रूप में उसे जाना जाता था, लेकिन वहां से 300 मालगाड़ी का वैगन गायब हो गयी है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाये। इसके साथ-साथ बाँका से पटना तक एक नयी इंटरसिटी ट्रेन चलायी जाये और हावड़ा से पटना वाया बाँका एक जनशात्वदी ट्रेन चलायी जाये। हम आपके माध्यम से सरकार और माननीय रेल मंत्री जी से यही मांग करते हैं। हम इसके बारे में लगातार बोलते रहते हैं लेकिन कभी भी माननीय रेल मंत्री जी का आश्वासन पूरा नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठायी जाती रही है। आगरा में खंडपीठ की मांग आगरा के माननीय सांसद महोदय द्वारा तथा गोरखपुर में खंडपीठ की मांग उत्तरप्रदेश के वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गोरखपुर के माननीय सांसद के नाते उठायी जाती रही है। आज भी कार्य सूची में जो निजी विधेयकों की सूची है, उनमें पहला विधेयक इसी उद्देश्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी के नाम से दर्ज है। जनता के व्यापक हित में इन तीनों स्थानों पर इलाहाबाद न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। काल बाह्य नियमों एवं व्यवस्थाओं में खंडपीठों की स्थापना की प्रक्रिया फंस कर रह जाती है तथा परिणामस्वरूप प्रदेश के करोड़ों वादकारी आज भी सस्ते एवं सुलभ न्याय से वंचित हैं।

अध्यक्ष महोदया, उत्तरप्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है तथा प्रदेश में 75 जनपद हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है, जिसके न्यायिक क्षेत्र में 14 जनपद आते हैं। लखनऊ खंड पीठ की तरह प्रत्येक न्यायिक क्षेत्र में न्यूनाधिक औसत 15 जनपद रखते हुए उपरोक्त तीनों स्थानों पर नई खंड पीठों की स्थापना करना सर्वथा न्यायोचित है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्र सरकार नई सोच एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जड़ता को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। गरीब व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक पहल की हैं तथा विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की जनता को सुलभ व सस्ता न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए मेरठ, आगरा और गोरखपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंड पीठ स्थापित किए जाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर पूर्ण कराने की भी कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, डॉ. सत्यपाल सिंह और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): As India makes a great leap into the digital era, the issue of privacy and data protection takes on enormous importance. We have recently heard my colleague from a neighbouring State talk about cyber crime, which is one aspect of the problem but the problem goes far beyond that.

A lot of information about all of us is already out there because we voluntarily give information to social media, and Apps. We have heard about banking transactions, loss of identity or theft of identity. These are serious problems.

Today the issue has come to the fore because of this major programme called Aadhar. As you are aware, the Supreme Court is hearing a Public Interest Litigation on the issue of privacy, following which they will also continue to hear a PIL regarding where Aadhar can or cannot be applied. This issue goes far beyond Aadhar because privacy and data protection are issues that are going on for at least a decade or more than that. Aadhar has brought tremendous benefits to the country. It does not have to be 'either' 'or' – it is not that you have to choose either Aadhar or privacy and data protection. I have separately moved a Private Member's Bill. I just want to have your indulgence for a couple of minutes to raise this very important issue.

Aadhar has made possible tremendous savings in corruption and leakage of Government programmes. We have seen that with the use of e-KYC – Know Your Customer – Aadhar led to almost 45 million bank accounts for the underprivileged mostly and JAM– Jan Dhan-Aadhar Mobile - Trinity is making a phenomenal change in the way governance is delivered to the people of India. It also makes possible micro ATMs, makes possible portable point of sale devices, provide banking to remote villages where physical bank branches cannot be set up. The digital transactions through micro ATMs has increased 26 times as a result of this and about 33 per cent of Direct Benefit Transfer is already happening from Government to individual through these means. But the concern for privacy and data protection is a serious concern; it is not just about Aadhar, it is about the entire gamut of the digital universe into which we are making this big leap.

Our laws and Acts are very outdated. We have the Indian Telegraphs Act which is in place since 1885. Even the Information Technology Act is in place since 2000; and the rules are from 2011 and many experts are saying that it is inadequate and that needs to be updated.

In my opinion, there is a right to privacy – whether it is fundamental or not, the Supreme Court is hearing but it is inferred from constitutional guarantees in articles 19 and 21(2) on life and dignity. Can the right to privacy be absolute? In a

modern world it is not possible because we have already agreed, Madam, that we have CCTVs all over the cities. We have airport security. The modern versions of these have biometric capacities. Already CCTV can take facial recognition and identify the person. We have voluntarily agreed. We cannot live in the 21st century without having these things in place.

We need to regulate what we are conceding. So, there must be a right to privacy with very narrowly defined exceptions. I want to cite one exception as an example for everybody to understand and I will conclude, Madam. Take for example, snooping and surveillance. We as a civilized democratic society, cannot have wanton random surveillance of citizens but there is a national security priority because there are terrorist threats to the country. I will give an example. Should authorities have the ability to start surveillance or wiretapping any individual without any cause? Of course, not. But should they have the ability to have a surveillance of metadata of all the communications that are happening through computer algorithms, for example, to find out if there is a use of the word, RDX. And if a particular individual or a particular address is very frequently using the term, RDX, then, perhaps the authorities with proper authorization and checks and balances can then start having wiretapping and surveillance where the word RDX is being inordinately used. This is an example of how you can have a balance between privacy ... *(Interruptions)*

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): We will have a debate....
(Interruptions)

HON. SPEAKER: What do you want?

SHRI MOHAMMAD SALIM: We want an elaborate discussion on this.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: I agree, Madam, if you will permit. This is a very critical issue. We must have a full-fledged discussion.

HON. SPEAKER: I have no objection. You can give a notice for that.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: You can associate. You demand for a discussion and we will have it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi, Shri Nishikant Dubey, Dr. Satya Pal Singh, Shri Uday Pratap Singh, Shrimati Kothapalli Geetha, Shri George Baker, Adv. Joice George, Mohammed Faizal, Shri Dushyant Chautala and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Baijayant Jay Panda.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, Shri M.B. Rajesh has given a notice for an Adjournment Motion. The Government should respond to it. ... (*Interruptions*)

***SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** Respected Speaker Madam, I want to draw your attention towards the delay in completion of Centre-Sponsored projects.

Madam, six Indian Institute of Managements had been granted and one was in my parliamentary constituency of Punjab. It was granted in 2014 and foundation-stone was laid on 19th June, 2015. However, no work has been done here. Other five institutes have started functioning, but the institute at Amritsar is a casualty. This institute is functioning from a rented building and no Director has been appointed here. I want an answer from the Government. How much time will the Government take to complete this project?

Madam, an Information Technology Park had been provided to Punjab in 2012. However, it is yet to see the light of the day. I want that this Information Technology Park should be set up in Amritsar. Madam, a 300 metre high FM tower was to be built in Amritsar in 2005.

HON. SPEAKER: Please conclude.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA : Madam, this is very important. It was completed. But, the Central Government now wants to lower the height of this tower. It is not in our interest. The height of the tower should not be decreased. Madam, due to the imposition of GST, textile and hardware traders are facing much difficulty.

HON. SPEAKER: You can raise only one demand at a time. This is not allowed. ज़ीरो आवर में एक विषय पर ही बोलना है।

...(व्यवधान)

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र लातूर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

लातूर एक्सप्रेस ट्रेन, लातूर से मुम्बई और मुम्बई से लातूर बहुत सालों से चल रही थी। लेकिन, पिछले तीन महीने से उसे बीदर (कर्नाटक) तक बढ़ाया गया है। लातूर की जनता को मुम्बई आने-जाने में

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

बहुत तकलीफ हो रही है। सीट की दिक्कतें आ रही हैं। लातूर में इस विषय को लेकर जनांदोलन भी हुआ है और यह अभी तक जारी है। सभी लातूर-कर की भावनाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लातूर-मुम्बई एक्सप्रेस पहले जैसे चल रही थी, वैसे ही चलाये जाने की मैं मांग करता हूँ। इसके साथ ही, दो नयी रेलगाड़ियाँ, बीदर से मुम्बई और उदयगिरी से मुम्बई चलाये जाने की मांग आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ।

लातूर एक्सप्रेस को पुनः पूर्ववत् चलायी जाए। रेल मंत्री जी जल्द से जल्द इसका निर्णय लें। यह मैं मांग करता हूँ।

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Dr. Sunil Baliram Gaikwad.

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Thank you Madam. I am raising a very serious issue of flood and erosion in Assam. Out of 33 districts, 29 districts remained marooned in water for the last one month. Still, the flood situation is critical. About 17 lakh people are out of home. They are marooned. The entire Assam is flooded under water. The loss is incalculable. It is a huge loss to the economy of Assam.. The rural economy is totally devastated. People are without shelter, without having any apparel. Children are without books. Schools are closed and many of the schools have been eroded by rivers. There are around 20 major rivers in Assam including Brahmaputra and Barak Valley. I would request the Government of India, through you, to send a very high level team led by the Cabinet Minister to assess the damage and, in the meantime, give some succour to the marooned people who have lost their homes or whose homes have been totally washed out. The Assam Government should be given at least Rs.12,000 crore to repair the damages, repair the roads and repair the embankments. Around 5000 kilometres of embankments have to be repaired and reconstructed. ...

(Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The hon. Minister is already here. What is the outcome of the visit?... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please do not disturb.

... *(Interruptions)*

SHRI RAM PRASAD SARMAH: It is your problem; it is my problem. It is the problem of entire Assam, not just mine.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That will not go on record.

...(*Interruptions*)... *

SHRI RAM PRASAD SARMAH : It is also your Assam. Your constituency is also suffering. Why are you quarrelling with me? You associate with me. Assam is suffering. 17 lakh people are affected by flood and you are shouting. Mr. Gaurav Gogoi, do not play politics with the people of Assam in such a situation where people are dying. About 70 people have died. You do not shout.... (*Interruptions*)

Madam, through you, I would request the Government of India to send a high level team and grant Rs. 12,000 crore immediately to repair the damage in Assam.

HON. SPEAKER: Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra, Dr. A. Sampath, Shri George Baker and Shri Naba Kumar Sarnia are permitted to associate with the issue raised by Shri Ram Prasad Sarmah.

श्री गौरव गोगोई : ... (व्यवधान) हमें परिणाम चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती के अगल-बगल सिद्धार्थ नगर और संतकबीर नगर हैं। यह क्षेत्र कृषि और फल उत्पादन के लिए अत्यंत मशहूर स्थान है। यहाँ के फल अनुसंधान केंद्र द्वारा आम्रपली सहित दर्जनों आम की प्रजातियों को विकसित किया गया है। यहाँ पर फल एवं सब्जियों का व्यापक उत्पादन होता है, किंतु मेरे जनपद में न ही कोई कोल्ड-स्टोरेज है और न ही फल और सब्जियों के लिए कोई भण्डारण गृह है, जिस कारण अक्सर फल और सब्जियाँ खराब हो जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में फल एवं सब्जियों के भण्डारण के लिए आधुनिक भण्डारण गृह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Dr. Kirit P. Solanki - Not present.

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRI): Madam Speaker, I would like to raise an important issue during 'Zero Hour'. Women play an important role in nation building. Although, India got Independence nearly seven decades ago, the participation of women in national politics leaves much to be desired. To my mind, Shri N. T. Rama Rao *garu*, the former Chief Minister of Andhra Pradesh was the first person in the country who had brought about 50 per cent reservations for women in panchayat elections in Andhra Pradesh.

Similarly, he was also mainly instrumental in bringing a law for equal share in the distribution of assets to the daughters along with sons in their fathers' property as well as the ancestral share. In panchayats, the reservations for women have been implemented and participation of women and the related focus on social issues have improved much.

Further, Shri N. Chandrababu Naidu *garu*, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has introduced a lot of welfare schemes for the benefit of women. In this regard, the Andhra Pradesh Legislative Assembly has unanimously passed a Resolution on 8th March, 2016 requesting the Centre to enact the Women's Reservation Bill providing for 33 per cent reservation for women in Parliament and in State Legislatures.

Bringing and passing of Women's Reservation Bill in Parliament which stipulates Reservation of 33 per cent seats in Lok Sabha and other State Assemblies is the need of the hour. I would, therefore, urge upon the Union Government to bring the Women's Reservation Bill in this Monsoon Session of Parliament.

HON. SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta and Shri P. K. Biju are permitted to associate with the issue raised by Shri M. Murli Mohan.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam, actually, I was praising his forward looking thing and I also have separate views on privacy. I am not talking about metadata. I would like to bring to your notice that Mumbai is not well connected by train with Odisha. I request the hon. Minister of Railways to introduce a daily AC express train operational between Mumbai and Puri-Khurda Road via Sambalpur and Dhenkanal. The frequency of the existing weekly trains may also be increased so as to cover all days of the week in order to facilitate smooth, comfortable and hassle-free journey of the passengers.

Madam, as you are aware, Odisha is famous as an epicentre of cultural heritage, with Puri being one of the celebrated Hindu pilgrimage centres while Mumbai is the commercial Capital of the country. I am used to ORISSA and BOMBAY. What to do, Madam? My hair is also grey. There are sufficient reasons for both the locations to be connected with each other socially, economically and spiritually. Scores of people from Odisha are working in different sectors in Mumbai and they heavily depend upon the railways for their journey.

Similarly, a large number of visitors from Maharashtra come to Odisha regularly. Due to paucity of trains between the two States, the citizens at large face hardships. I would suggest that a daily AC train may immediately be introduced between Mumbai and Puri.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Tathagata Satpathy.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली के अंदर नांगल देवत गाँव में ढाई हजार परिवार रहते हैं। वर्ष 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस जमीन को एक्वायर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया था। कॉमनवैलथ गेम्स वर्ष 2010 में हुए थे। वर्ष 2007 में उस गाँव को उजाड़ कर वहाँ के लोगों को वसंत कुंज डी ब्लॉक में प्लॉट अलॉट कर दिए गए। मैंडम 10 साल पहले उनको प्लॉट तो अलॉट कर दिए गए, लेकिन बेसिक एमिनिटीज के तौर पर जब वह गाँव वहाँ पर बसाया गया, उनको प्लॉट दिए गए, उन्होंने मकान बनाए तो डी.डी.ए. ने सड़कें बना दीं। उसके बाद पानी की निकासी, सड़कों की मेंटीनेंस, रिपेयरिंग व अन्य काम 10 साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ। वे लोग नारकीय जीवन झेल रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ

इण्डिया, जिसको उसकी डेफिशिएंसी पे करनी थी, वह पे नहीं कर रही है। मैं उनके सी.ई.ओ. से 29 मई को मिला हूं। उन्होंने मुझे 15 दिन का समय देकर कहा कि मैं इसको 15 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करता हूं। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर जो प्रश्न उठाते हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि आप ही हमारी कुछ सहायता व हमारे हितों की रक्षा कर सकती हैं। जो हम यहां पर बोलते हैं, वह रस्म अदायगी होकर रह जाता है। अगर आपके कार्यालय के माध्यम से कन्सर्न्ड मिनिस्टर की चिट्ठी आए और हमें बताया जाए क्या एक्शन लिया गया है। जीरो आवर में जितने भी प्रश्न हम उठाते हैं, उसमें यह नहीं होता है। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के सी.ई.ओ. से मिलने गया। मैं वह बात यहां नहीं कहना नहीं चाहता। अगर हम ऐसे प्रिविलेज मोशन के नोटिस भी देने लगे तो शायद यहां पर ढेर लग जाएगा। उनका एटीट्यूट क्या था और उन्होंने दो महीने तक कोई जवाब नहीं दिया है। डी.डी.ए., म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फ्लड डिपार्टमेंट व डी.एस.आई. एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं। अभी दो महीने पहले वहां एक हरिजन की बच्ची ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर वह बेटी आई.ए.एस. बनी है। मैं उसको बधाई देने गया था। उसने कहा कि बिधूड़ी साहब आप हमारे गाँव का हाल देखिए, न आने के लिए ठीक सड़के हैं, न कम्युनिटी सेंटर्स हैं, न ही कोई स्कूल है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के कन्सर्न्ड मिनिस्टर को निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसको सीरियसली लें और वो ढाई हजार लोग, जिन्होंने देश हित में कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए अपना पैतृक गाँव छोड़ दिया, वह एक हजार साल पुराना गाँव था। उन्हें कम से कम बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करायी जाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SADHU SINGH (FARIDKOT): Madam Speaker, a very sensitive issue which is being raised in Punjab Legislative Assembly is that the natural resources of this nation are being misutilized today. In Punjab, the riverbeds of Satluj, Beas and their tributaries are replete with natural resources like sand, boulders, *bajri*, etc. All this material is beneficial for the development of the nation which our Government has now taken as its mission. This mission is being defeated. For the last two decades these riverbeds have been exploited. Fake agencies have got contracts for mining of these riverbeds to remove these resources. I would request the Government to investigate into it to find whether fake allotments have been made or not. If there is something wrong, the Central Government is responsible

for bringing all this to the right path. So, through this august House I would request that investigation should be made into this. There is a hue and cry in Punjab Legislative Assembly also that this is being done wrongly. This should be taken care of. Thank you.

HON. SPEAKER : Very good!

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को प्रो. साधु सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। भलस्वा डेरी के पास एक बहुत बढ़िया और सुंदर लेक है, यह लगभग एक किलोमीटर लम्बी-चौड़ी है। यह बादली विधान सभा क्षेत्र में है और मेरा लोक सभा क्षेत्र नार्थ-वैस्ट दिल्ली है। मैं समझता हूँ कि इतनी सुंदर लेक शायद पूरी दिल्ली में नहीं होगी, लेकिन यह इतनी गंदी हो चुकी है कि आसपास के लोग उसका लाभ तथा आनंद लेने के बजाय कीमत अदा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत बड़बू आती है। इसका रख-रखाव और साफ-सफाई करना डी.डी.ए. की जिम्मेदारी है। हमने डी.डी.ए. के अधिकारियों से ऐसा करने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं हो पाया।

मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि बादली विधान सभा क्षेत्र में जो भलस्वा लेक है, इसकी साफ-सफाई की जानी चाहिए। इसमें एम.सी.डी. के गंदे नालों का पानी गिरता है, जिसके कारण यह लेक बहुत अधिक गंदी हो गई है। कभी इस लेक में बोटिंग हुआ करती थी। यह लेक पर्यटन के द्वारा आय का एक साधन बन सकती है, लेकिन यह एम.सी.डी. और डी.डी.ए. की उदासीनता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग परेशान हैं।

मैडम, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

HON. SPEAKER: Shri Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Dr. Udit Raj.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am trying to accommodate all of you. But please speak very shortly, then only I can accommodate. Prof. K.V. Thomas, please speak very shortly.

... (Interruptions)

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Hon. Speaker Madam, Vypin is an island in my Parliamentary constituency which is most densely populated place.

Indian Oil Corporation is going to build a gas connecting centre there and people are on agitation against it. ... (*Interruptions*) The Government should take it seriously, discuss the matter with the people, pacify them, get their concern and only after that this complex should be started. Thank you.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will try to accommodate, but please speak for one minute only.

... (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Speaker Madam, my name was called for the last four days but I did not get a chance. I thank you for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*) This is a very important issue for my state of Andhra Pradesh which is one of the leading States to successfully implement MGNREGA during the last three years. ... (*Interruptions*) In fact, over the last three years projects worth Rs. 12,000 crore have been taken up. For 2017-18, the Government of Andhra Pradesh has prepared action plan worth Rs. 8,000 crore for implementation under MGNREGA. This august House knows that Andhra Pradesh is going through a financial crisis and the delay in release of funds by the Government of India is really affecting us. ... (*Interruptions*) It is delaying implementation of projects related to asset creation and creating problem in giving wages to workers in time apart from other problems. More than Rs. 3,200 crore is yet to be released by the Union Ministry of Rural Development to the Government of Andhra Pradesh. Delay in release of funds is affecting more than 2,500 works taken up under MGNREGA. ... (*Interruptions*) Out of Rs. 3,200 crore, Rs. 2,000 crore is due for 2016-17 and Rs. 1200 crore are due for 2017-18. Despite severe financial crisis, the Government of Andhra Pradesh spent Rs. 1650 crore from its coffers due to delay in release of funds ... (*Interruptions*) The Chief Minister of

Andhra Pradesh has met the hon. Union Minister for Rural Development and requested for release of dues under MGNREGA but no action has been taken so far. So, I would request the hon. Minister for Rural Development to immediately direct the officials concerned to release funds without any further delay. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Shri Jayadev Galla.

12.59 hours

(At this stage, Shri P. Karunakaran, Shri M.B. Rajesh and some other hon. Members left the House.)

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Hon. Speaker Madam, I would like to invite the attention of the august House to the fact that GST has raised heartburn among textile manufacturers, traders and also those engaged in the handloom sector. The entire industry is paralyzed as they resorted to strikes and *bandhs*. Textiles sector makes a significant contribution to our GDP and employs millions of people. People dependent on handloom sector will suffer as the Government has imposed GST on handloom products at par with other textile products. Being unable to survive on this industry, many people are diverting to other activities and converting themselves as labours. The textiles industry provides direct employment to 45 million individuals and generates 60 million indirect jobs. I strongly appeal the hon. Finance Minister to come to the rescue of the handloom weavers by including the handloom products, especially the products reserved under the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act 1985 in the list of zero per cent GST.

13.00 hours

The Government has fixed a 5 per cent GST rate on cotton fibre, yarn and fabric against the current prevailing rate of “nil”. Silk and jute have been kept under “nil” category under the GST. Man-made or synthetic fibre yarn will attract 18 per cent GST.

While all apparels would attract 12 per cent GST against the past levy of 6-7 per cent, apparels below worth Rs 1,000 would attract 5 per cent GST; 18 per cent GST for man-made yarn, while fabric made from that will attract 5 per cent and hence full input credit will not be utilised.

I request the Government to consider exempting the textile sector from GST.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : स्पीकर मैडम, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि इस इम्पोर्टेंट इश्यु पर आपने बोलने का मुझे टाइम दिया है। जैसे आप जानते हैं कि जीएसटी हमने ही पार्लियामेंट में पास किया है। जीएसटी वहां लगता है, जहां बिज़नेस हो और प्रॉफिट हो। लेकिन जहां रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे मैं गुरुद्वारों की बात करूँ, मंदिर की करूँ, मस्जिद या चर्च की बात करूँ तो वहां पर अगर कोई लंगर लगता है या वहां पर कोई प्रशाद मिलता है तो उसमें कोई प्रॉफिट तो है नहीं, कोई पैसा तो कमाना नहीं है। इसलिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारे मुख्य मंत्री जी भी आ कर जेटली साहब से मिले। जीएसटी काउंसिल के सामने यह बात रखनी चाहिए।

अगर मैं अकेले दरबार साहब की बात करूँ तो रोज़ एक लाख आदमी दरबार साहब में आता है। अगर हम एक साल के पैसे का नुकसान गिनें तो तकरीबन दस करोड़ रुपये, एक गुरुद्वारे से जीएसटी में चला जाएगा। मैडम, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें एकाँस दी पार्टी यह बात करनी चाहिए कि जो भी रिलीजियस प्लेसिस हैं, चाहे दरबार साहब की बात मैं मेन कर रहा हूँ, सबको समर्थन करना चाहिए कि धार्मिक जगहों पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई बिज़नेस की बात नहीं है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं है। लोग अपनी कमाई, हमारे धर्म में दोसांझ है कि अपने प्रॉफिट का 10% जो है, उसका वहां पर माथा टेका जाता है। इसके लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो यह कहीं गॉड सर्विस टैक्स न बन जाए तो मैडम भगवान भी ऊपर देख रहा है, वह भी हमें सजा देगा कि

यह जीएसटी हमारे घरों पर भी लगा दी। मैडम, जल्दी से जल्दी भगवान को ही खुश रखने के लिए हम जीएसटी यहां पर माफ करें। ... * अगर यह भी चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री खनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रेलवे की एक समस्या की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था है। यहाँ आठ हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों से रोजाना लगभग 20 हजार गाड़िया चलती हैं। भारतीय रेल रोजाना ढाई करोड़ यात्रियों और तीस लाख टन माल की ढुलाई करती है। परंतु यह भी सच्चाई है कि लगातार दबाव के बोझ से रेल प्रणाली चरमराती जा रही है। रेल पुल और रेल ट्रैक काफी पुराने हो चुके हैं। पूरे देश में 1.21 लाख रेल पुलों में से 75 प्रतिशत ऐसे हैं, जो कि 60 से ज्यादा की उम्र पार कर चुके हैं और तीन हजार पुलों को तत्काल बदलने की आवश्यकता है। हैदराबाद से मनमाड़ के बीच लगभग 372 रेल पुल हैं जो निजाम और अंग्रेजों के जमाने में बने हैं। इनमें से अधिकांश पुलों की उम्र 100 साल से ज्यादा और बहुत ही जर्जर अवस्था हैं। इन पुलों के स्थान पर तुरंत नए पुल बनाने की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजी-औरंगाबाद में पोतुल स्टेशन के निकट, शिवना नदी और डेकू नदी पर बने पुल की हालत काफी खराब हो चुकी है। संभाजीनगर और लासूर स्टेशन रोटेंगांव के बीच बने पुल कभी भी गिर सकते हैं। उनका एक बार इंस्पेक्शन भी हुआ है और इसे तुरंत नए बनाए जाने की आवश्यकता है। पूर्णा नदी में जालना और परतुर के बीच बना पुल भी असुरक्षित है, जिसे तुरंत नए बनाए जाने की मैं सिफारिश करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि नदियों के ऊपर नए पुल बनने चाहिए नहीं तो ये कभी भी गिर सकते हैं और इस कारण कोई गंभीर हादसा हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Hon. Speaker, thank you for giving me this opportunity to speak about the plight of the Anglo Indian community in the country.

It is very sad to state that since India's Independence the Anglo Indian community, whom I represent, has dwindled in size and in numbers and the community is facing a battle of survival unless it can reverse its trend. Many of

* Not recorded

them are living in poor conditions in different parts of the country. Hence, I urge upon the Government of India to take steps to grant land for the housing of the poor Anglo Indians in the country.

There is also a dire need to win greater Government support to help preserve its unique culture. Hence, I urge upon the Government of India to provide land and buildings to house Anglo Indian Community Cultural Centres in places where a sizeable number of Anglo Indians live.

Many of the Anglo Indians do not have the wherewithal to afford the cost of higher studies. Therefore, it is urged upon the Government of India to reserve a few seats in the universities so that the poor Anglo Indians could improve upon opportunities to undergo courses in the higher education.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri George Baker are permitted to associate with the issue raised by Prof. Richard Hay.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक गम्भीर विषय, जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया था, इंटरलिंगेजेज ऑफ रिवर का, उस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आयी और उस जजमेंट में स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को गाइडलाइन्स दिये कि सतलुज-यमुना लिंक के लिए निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द सतलुज-यमुना लिंक का निर्माण पूरा करवाये, क्योंकि आज के दिन 80 प्रतिशत हरियाणा डार्क जोन में आ चुका है। किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन सरकार ने देना बन्द कर दिया है। हम किस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन में एक नया कदम उठा पायेंगे।

महोदया, हरियाणा के किसानों को इस लड़ाई को लड़ते हुए आज चार दशक हो चुके हैं और अब हमारे प्रेजीडेन्शियल रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आयी है। मैं माँग करता हूँ कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी कदम उठाकर पंजाब सरकार से निवेदन भी करें, आग्रह भी करें कि इसका जो निर्माण पंजाब में है, वह पूरा कराकर हरियाणा के अधिकार का पानी हरियाणा को दिलवाने का काम करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदया, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मेरे पास अवसर है, श्रीमती मेनका जी भी पार्लियामेंट में बैठी हैं। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में पिछले मार्च 2017 से विधवा माँओं को, परित्यक्ता पत्नियों को जो दो

हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, वह बन्द हो चुकी है। यह एक सामान्य बात हो चुकी है। चार भत्ते होते हैं, विधवा भत्ता, हैन्डीकैप भत्ता, विडोज भत्ता है और डेस्टिट्यूट का भत्ता होता है। इनकी पेंशन टाइम पर बैंक में नहीं जाती है। बूढ़ी माँ, बूढ़े बाबा गाँव से पैदल चलकर, गाड़ी-खच्चर करके बैंक में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, वे पूरे दिन खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पाती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए एक बार आपकी तरफ से हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाये। वे दोबारा लाइन में खड़े होने के लिए न जायें, इसलिए उनकी पेंशन मिलने से पहले, जब पेंशन का पैसा बैंक में क्रेडिट हो, उस समय एक एसएमएस उन्हें चला जाये, तो ठीक रहेगा। उन्हें एसएमएस चला जायेगा, पैसा उनके खाते में आ जायेगा, तो उन्हें लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी दो हजार रुपये पेंशन बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में सामान का दाम दुनिया में नम्बर वन में है, इतना दाम कहीं नहीं है। मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से आग्रह करूँगा। आप माँ के रूप से एक बार सरकार को बोल देंगी, तो अंडमान का काम पूरा हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष : बोल देंगे।

श्री बिष्णु पद राय : उनका भत्ता दो हजार रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दें और उन्हें टाइम पर पेंशन मिल जाये। जय हिन्द, भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री बिष्णु पद राय जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 14.00 hours.

13.09 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.11 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Eleven Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

**RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND
COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2017**

HON. CHAIRPERSON : The House will now take up item No. 7, that is, Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration.”

सभापति महोदय, यह छोटा मुद्दा है, लेकिन बड़े महत्व का है। I will tell you why this Bill is necessary. In 2009, the Right to Education Bill was enacted and implemented from 2010. वर्ष 2010 में यह एक तरह से शिक्षण का विस्तार का कार्यक्रम था। सर्व शिक्षा अभियान पहले और बाद में राइट टू एजुकेशन, इसमें अनेक जगह नए स्कूल खुलें और स्कूलों में बीएलएड या डीएलएड वाले टीचर्स उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, वहां पर ग्रेजुएट या 12वीं के टीचर्स को भी प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती किया गया, लेकिन उनको प्रशिक्षित होना जरूरी है। वे अन-क्वालिफाइड हैं, इसलिए उनके लिए पाँच साल का मौका दिया था। पाँच साल में लगभग लाखों शिक्षक प्रशिक्षित हुए, उन्होंने बीएलएड तथा डीएलएड अर्जित कर लिया, लेकिन फिर भी यह विस्तार चलता रहा। खासकर, सात-आठ राज्यों में यह प्रश्न बहुत गंभीर था। एन.आई.ओ.एस. द्वारा परीक्षाएं होती थीं या किसी कॉलेज में वे ओरियल कोर्स लेते थे, लेकिन उससे सभी का प्रशिक्षण नहीं हुआ था। आज के दिन भी साढ़े पाँच लाख से ज्यादा, लगभग छह लाख प्राइवेट स्कूल के टीचर और ढाई लाख के दरमियान गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों का बीएलएड या डीएलएड नहीं हुआ है। ये लोग एक तरह से अन-क्वालिफाइड हैं, लेकिन अभी भी वे आठ-दस साल से पढ़ा रहे हैं। कोई चार साल से पढ़ा रहा है, कोई दस साल से पढ़ा रहा है। इनको एक आखिरी अवसर देने के लिए यह बिल लाया है कि मार्च 2019 तक उनको परीक्षा देकर पास होना चाहिए। अभी भी उनके लिए दो साल का मौका है और पास्ट एक्सपेरियंस को देखते हुए, How will they complete it?.

अब एक नई सुविधा टेक्नोलॉजी से आई है। भारत सरकार का 'स्वयं' पोर्टल निकला है, तो इस पोर्टल पर सभी को कोर्स देने की कल्पना है, क्योंकि वे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनको लेसन लेने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। वे लेसन ले रहे हैं और उनके पास प्रैक्टिकल एक्सप्रियेंस है, लेकिन उनको जो थ्योरेटिकल ज्ञान होना चाहिए, उसे होने की जरूरत है, इसलिए अभी अगस्त महीने में सबका रजिस्ट्रेशन होगा। सभी साढ़े आठ लाख शिक्षकों को हम कहना चाहते हैं कि अब यह आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो उनका जॉब खतरे में जाएगा, इसलिए अभी रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद स्वयं में उनको ऑनलाइन भी मिलेगा और डीटीएच के चैनल पर टीवी में घर बैठे भी वे पढ़ सकते हैं। इसलिए यह डिअर का कोर्स खास अच्छे-अच्छे देश के प्राध्यापक, अध्यापक, वे लेक्चर भी देंगे, मैटेरियल भी होगा, ट्यूटोरियल भी होगा, डिस्कशन फोरम भी होगा और फिर एग्जामिनेशन भी होगा। इससे दरम्यान राज्य सरकारों द्वारा 12 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हर साल में किया जाएगा, जिससे उनको हैंड्स ऑन जो आमने-सामने करते हैं, वह शिक्षा भी मिलेगी। इसमें सब कुछ शिक्षा है। यह तंत्र ज्ञान का एक विषय है कि हमें यह सुविधा मिली है। यह स्वयं पोर्टल पिछले ही सप्ताह राष्ट्रपति महोदय जी ने लांच किया है। इस पर अभी विभिन्न प्रकार के 400 कोर्सेज चल रहे हैं और एक लाख से ज्यादा छात्र उसके अध्ययन के लिए रजिस्टर किए हैं। इन साढ़े आठ लाख लोगों को बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी और रोज की रोज मिलेगी। डीटीएच चैनल, जो दूरदर्शन का फ्री मिलता है। केवल सेट टॉप बॉक्स, जिनके पास यह नहीं है, वे सेट टॉप बॉक्स लेते हैं और 1200-1300 रुपये के खर्च में घर में सदा के लिए टीचर को 32 एजुकेशनल चैनल्स दिखेंगे। इससे वह हमेशा समृद्ध होगा, क्योंकि वही कोर्स दिन में चार बार दिखाया जाएगा। यह बहुत अच्छी सुविधा होगी, यह काम करके भी अच्छा कर सकेंगे, नहीं तो भावी पीढ़ी के साथ अन्याय होगा। उनको अनक्वालीफाइड टीचर्स की शिक्षा से बहुत नुकसान होता है। टीचर क्वालीफाइड होने की जरूरत है और इसलिए यह करेंगे।

आज ही डेढ़ घंटा है, एक घंटा ही हमें समझना चाहिए। बाद में मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। किसी के कोई सुझाव हैं, तो जरूर बतायें। उन सुझावों पर विचार होगा। यह अगर आज ही पास होता है तो अगले सप्ताह राज्य सभा में भी पास होगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। जिस उद्देश्य से राइट टू एजुकेशन बना था, उसी को आगे लेकर हम जा रहे हैं और सबको शिक्षा इसमें मिलेगी और सभी प्रशिक्षित होंगे और क्वालिफिकेशन हासिल करेंगे।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration.”

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, at the outset, I welcome and support this legislation, the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017. This Bill is a continuation of the historic legislation that we enacted in the same House in 2009, that is the Right to Education.

In the Financial Memorandum, it has been clearly stated that clause 2 of the Bill provides for insertion of a new proviso to sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 so as to provide that every teacher appointed or in position as on 31st March, 2015, who does not possess minimum qualifications as laid down under sub-section (1) of the said section, shall acquire such minimum qualifications within a period of four years. That is the crux of this Amendment Bill. That is why I welcome this legislation because this is to implement an important historic legislation which we have passed in the House in 2009.

There are certain issues which the Government has to seriously consider and implement. One is the amount that is needed for the Sarva Shiksha Abhiyan. I would like to point out what has been done in the last Budget of 2017-18. The media and the educationists have specifically pointed out that there is extreme neglect of the primary education in the Budget 2017-18. The Budget 2017-18 has been very disappointing for the education sector.

A higher allocation of resources for school education, from primary school level to secondary level, was expected. But after a year of long waiting, school education has been totally neglected in the Budget. The Budget has ignored the effective implementation of the Right to Education Act and a meagre increase for *Sarva Shiksha Abhiyan* has been made in the Budget and only Rs. 1,000 crore is not going to help, in any way, to implement the Right to Education Act.

Sir, Education is both a Central as well as a State Subject. Both the Central Government as well as State Governments have to find adequate finance in the Central Budget and the State Budget for education. But unfortunately we find that after passing and implementing this legislation, only 9.5 per cent schools in the

country, as a whole, have implemented this measure. So this is a very serious task. We have certain data especially from the Northeast, in States like Nagaland where 42 per cent of Government Teachers are untrained. So it is a big challenge, as the hon. Minister pointed out in his introductory speech. There are States like Kerala or Tamil Nadu where there is excess of trained staff and many training institutions are now closing down one after another. At the same time, in the North-Eastern States we still need trained teachers. So the Government has to find a way out because on the one side, in some States we find that trained teachers are in excess and training institutions are getting closed down now. On the other side, especially in the North-Eastern States, we find that there is a large number of untrained teachers. The Government also has to find adequate finance for running the *Sarva Shiksha Abhiyan* and the Mid-Day Meal Scheme. I will come to the point regarding Mid-Day Meal Scheme a little later. But the Government has to find a way out for adequate budgetary provision for the proper implementation of this important legislation.

Sir, by this important legislation, we are bringing all the children in the country, up to the age of 14 or Eighth Standard under the education system. But the sad fact is, when we go out of this Parliament House, I have very often noticed that there are workers working on the road side and, along with them, you can see the children who are with their parents. What are we going to do for them? On the one side, what we find is, there are children who get all the privileges in good schools, paying high fees and on the other side, we see there are children who do not have any type of education and this is not a small number. If you look at the percentage of children who do not get the facility of better education is going up every year. So, in this country, even after 70 years of Independence and when our education system is improving, we find that there are two types of citizens in the country. One is the highly educated, highly privileged and the other is uneducated, unprivileged. So, the Government has to find a way out if we are going to

implement this legislation in letter and spirit that every child in the country should have a facility for education.

As we are Members of Parliament, many people come to us during the time of admission. What is the situation? What is the situation in this country including Kerala, which is well-known for imparting higher education? People prefer to go to the private institutions, and in the private institutions the fees is so exorbitant that the ordinary people cannot afford it. Nowadays, when you fix a marriage, you fix an admission for your child in the private institution because it is difficult to get admission in private schools. So many people come to us. But at the same time, there are vacancies in Government schools. What have we done in this regard?

Looking at the Kerala angle, I am very confident that the things would improve everywhere. I am proud that in Kerala the Government teachers are well educated and they have got good standards. It is because they have been selected in such a manner. But the real problem is lack of infrastructure. I am also a teacher. I have been a teacher for 33 years. What about the infrastructure? Now, in the private institutions, education itself has become a business. Many of the business houses have started running schools. One has to pay a huge amount of money to get admission of his ward in these private schools. In the continuation of education also, one has to spend a lot of money, which an ordinary person cannot afford it. Now, in these schools, they use the e-reader. I have got a scheme in my Parliamentary Constituency. I give Rs. 5,000 for e-readers students, who come out successfully in the examination. But what about children studying in Government schools? They do not have a library. So, in Government schools, I think, both the Central Government and State Governments have to think together as to how to provide better infrastructure.

Sir, the hon. Prime Minister is always talking about 'Swachh Bharat' 'Clean India' but many of the Government schools do not have even toilets there. I have seen it when I walk around places in Delhi that people are going on the sides

of roads for toilets. It is happening even in cities. So, what about those schools, which do not have toilets, specially the girl schools? I had an experience in my Parliamentary Constituency where there is a Government Girls School in Ernakulam. I went for a function there. I noticed that children were giving Rs. 1 each to the teacher standing in a queue. I asked the teacher as to why he was collecting Rs. 1 each from the student. He replied that there were more than thousand girls but there was no proper toilet system. He said that he was collecting the money from the children to use it for constructing a toilet there.

Sir, the hon. Prime Minister is always talking about Swachh Bharat schemes. In one of the answers given to me in Parliament, he said that the PSUs have been asked to give financial assistance to the schools specially the Government schools for construction of toilets there. But are they doing it? We have got a mechanism of monitoring the Mid-Day Meal Schemes and other facilities in the States. At the District Level, it is the senior-most Member of Parliament, who is the Chairman of the Committee DISHA. In that DISHA, the senior-most MP presides over the Committee, where the District Collector and other people attend. But does it function? Fortunately, I have been the Chairman in my District for the last so many years, but there is no fund. Though we sit together, there is no fund.

There is one more important point where I would like to draw the attention of the hon. Minister. In the case of Mid-Day Meal Scheme, now the Government is giving instruction that Aadhaar is compulsory for getting the benefit of this scheme. But how many students have got Aadhaar? By coming August 10th, if you do not have Aadhaar, the poor children are not going to get the food. I think, the hon. Minister should understand the difficulty. I am not against Aadhaar but it should not be misused. There should be nutritious food for the children. Education should not be an area where it should be run just for business. Our country has got a great history where education has been a voluntary by which deserving people have got education. But unfortunately, here, it has become a way

of making money. It should not be considered as an industry. It should be considered as an area where you contribute.

The hon. Minister brings out this Bill and we all support it but the Government should take due care of the areas such as mid-day meal, infrastructure issues, etc. It is not only the responsibility of the Central Government but the State Governments should also come forward and contribute.

In Kerala, nowadays, so many scams are coming up. We are feeling unhappy and pained because of such things. As far as education is concerned, right from students' admission to the teachers' appointment, everything should be taken care of. What I suggest is that both, the Central Government as well as the State Government, should work hand in hand and see that our education system improves.

With these words, I support the Bill.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्प्लसरी एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2017 के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए एक पहलू का काफी विस्तार से सदन के समक्ष उल्लेख किया है। हम यह अवसर इसलिए दे रहे हैं कि देश के तमाम ऐलिमेन्टरी एजुकेशन या बुनियादी ढांचे में शिक्षा का योगदान है, उन प्राइमरी स्कूलों में आज भी जो अप्रशिक्षित टीचर्स हैं, उन्हें प्रशिक्षित करने का अवसर दें। हमने पहले जब वर्ष 2009 में आरटीआई एक्ट पास किया था, उस समय 31 मार्च, 2015 तक का वक्त दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वर्ष 2010 से 2014 तक 13 राज्यों ने इसका एग्जैम्पशन ले लिया। उसके बाद फिर तीन राज्यों ने पुनः एग्जैम्पशन ले लिया। उन विद्यालयों में तमाम कोशिशों के बावजूद भी टीचर्स ट्रेड नहीं हो पाये।

हम आज दुनिया की प्रतिस्पर्धा में अपनी युवा पीढ़ी का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उन्हें ऐक्सीलेंस या ट्रेड टीचर्स से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे, तो शायद हम न्याय नहीं करेंगे। इसी दृष्टिकोण से थॉमस साहब ने भी समर्थन किया और सम्पूर्ण सदन भी समर्थन करेगा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाये हैं, क्योंकि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। उनकी जो चिंता है, वह सरकार की भी चिंता है। उन्होंने कहा कि गांव के स्कूलों में अभी भी बुनियादी ढांचे में कमी है और शहरों में जो स्कूल हैं, वे अधिक फीस लेते हैं।

माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक इसलिए लेकर आये हैं, ताकि दो भारत न बने। एक ग्रामीण भारत में ऐसा विद्यार्थी बने, जो अभावग्रस्त विद्यालयों से निकले और दूसरी तरफ शहर के सीबीएससी और आईसीसी स्कूलों के बच्चे निकले, तो इन दोनों में विसंगतियां हों, विषमताएं हों। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद मानव संसाधन शिक्षा मंत्री ने एक नयी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कहा है। आज इस संशोधन में भी उनकी मंशा है कि किस तरह से हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें। अभी थॉमस जी ने कहा कि राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद भी आज यह कहीं न कहीं लागू नहीं हो पाया। अब बच्चों की संख्या में डिक्लाइन है या ड्रापआउट की संख्या है, तो वह एक अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा या भारत सरकार द्वारा प्रयास हो रहा है। अभी तक आरटीएक्ट में बच्चों के लिए कोई लर्निंग आउटकम की व्यवस्था नहीं थी।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने आरटीएक्ट के रूल्स में यह एडॉप्ट कराया है, देश के सब राज्यों को सर्कुलर इश्यू किया है कि अब हर राज्य के प्राइमरी स्कूलों में लर्निंग आउट कम के असेसमेंट की व्यवस्था की जाये।

आज इस बात की शिकायत होती है कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स ज्यादा फीस लेते हैं, आखिर अभिभावकों को क्या फर्क महसूस होता है कि अधिक फीस देने के बाद भी वे अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजते हैं। उसे लगता है कि हमने अपने बच्चे को वहां भेजा है, वहां उसकी क्या पढ़ाई हो रही है, उसका क्या लर्निंग आउटकम है, उसका फीडबैक हमें मिलेगा, जो शायद हमारे बेसिक प्राइमरी स्कूल्स में, अपर प्राइमरी स्कूल्स में उनको नहीं मिलता है। गांवों में अभिभावकों को चिन्ता है, उनको लगता है कि हमने अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया है, तो शायद वहां उनको घर से अच्छा मिड डे मील मिल जाएगा। उनको उस बच्चे की भविष्य की उतनी चिन्ता नहीं है, जो चिन्ता भारत सरकार कर रही है कि आज अगर गांव के किसी गरीब घर का बच्चा हो, किसी रिक्शावाले, किसी मजदूर, खेतिहर मजदूर या मनरेगा में काम करने वाला मजदूर हो, अगर उसका बच्चा स्कूल जाता है तो उस बच्चे की क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसकी क्या प्रगति है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है, उसकी जानकारी ली जाए।

मैं उनको इस बात की बधाई दूंगा कि इस लर्निंग आउटकम की जानकारी के लिए उन्होंने सभी स्कूलों में नेशनल असेसमेंट सर्वे की स्कीम शुरू की है। देश के सभी राज्यों में जो स्कूल्स हैं, चाहे वे प्राइमरी स्कूल्स हों या अपर प्राइमरी स्कूल्स हों, वहां से लगभग तीस लाख सैम्पल लिए जाएंगे, जिससे उसका सर्वे हो सके और कम से कम पैरेंट्स को फीडबैक दिया जाए सके। बच्चा स्कूल आया या नहीं आया, बच्चा स्कूल जाने के नाम पर घर से चला, लेकिन रास्ते में बच्चों के साथ खेलने लगा या किसी गलत सोहबत में पड़कर गलत रास्ते पर भटकने लगा, आज यह चिन्ता है। आरटीई एक्ट को पास करने के बाद, अगर हम रूल्स में इसको एडॉप्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इस सरकार की नीयत यह है कि न केवल शहर, राजधानी एवं तहसीलों, बल्कि देश के किसी भी प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, जिस तरह से दिल्ली का बच्चा तैयार हो रहा है, उसी तरह से असम, यूपी, बिहार आदि राज्यों के किसी गांव का बच्चा भी तैयार हो। यही इस सरकार की मंशा है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल कह दिया है कि नेशनल असेसमेंट सर्वे हो रहा है, आज हम देश के सभी 2.55 लाख स्कूलों की जीआईएस मैपिंग करा रहे हैं। जीआईएस मैपिंग होगी तो स्वाभाविक है कि उन स्कूलों की लोकेशन मालूम होगी, उन स्कूलों में बच्चों की लोकेशन मालूम होगी। आज जिस तरीके से हम जीपीएस की बात करते हैं, जीपीएस की मैपिंग से गाड़ियों की, रोड्स की और रास्तों की जानकारी होती है, उसी तरह से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री जी एवं हमारी सरकार आने वाले दिनों में देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर स्कूल की जीआईएस मैपिंग कराने जा रही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज यह फैसला लिया गया है कि देश के 2.55 लाख स्कूलों में यह काम होगा, आज लगभग 74 हजार स्कूलों में यह हो गया है।

अभी माननीय सदस्य ने आधार की बात कही है। आप इसका स्वागत कीजिए कि कम से कम अगर देश के हर स्कूल के बच्चों का कलेक्शन ऑफ डाटा आधार नम्बर के साथ हो तो यह निश्चित तौर से फख्र की बात है। आज अगर अभिभावक ऐसा नहीं करता है, जबकि उस पर उसे बनाने की जिम्मेदारी है और देश की केन्द्र सरकार इस बारे में चिन्ता कर रही है कि देश के किसी भी प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे का डाटा होना चाहिए, उसका आधार नम्बर के साथ कलेक्शन होनी चाहिए तो उससे निश्चित तौर से आने वाले दिनों में भारत का ऐसा भविष्य तैयार होगा, जिस पर हम फख्र कर सकते हैं। हम इस बात का घमण्ड कर सकते हैं कि ग्रामीण भारत में भी प्रतिभाएं हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे सर्विसेज के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, आपने सिलिकॉन वैली में भी देखा होगा, हर जगह गांवों के तमाम प्रतिभावान लोग हैं। आज जीरो आवर में भी बात आई कि आईएस एग्जाम में स्लम बस्तियों से लोग पास होकर आ रहे हैं। देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, उसे संवारने और निखारने की बात है। अगर प्रतिभा को संवारने और निखारने की बात है तो यह स्वाभाविक प्रश्न है कि ऐसा कौन करेगा। इसके लिए प्रशिक्षित टीचर होने चाहिए। आज प्रशिक्षित टीचर्स की स्थिति क्या है आज इस देश में कुल 66.41 प्रतिशत टीचर्स हैं।

जब यह एक्ट आया तो वर्ष 2015 तक का समय दिया गया, उसके आधार पर देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में 66.41 लाख टीचर्स ट्रेन्ड हो जायेंगे, लेकिन आज भी 11 लाख टीचर्स अनट्रेन्ड हैं। माननीय मंत्री जी ने खुद उल्लेख किया है और थामस जी भी जानते होंगे, जब वह सरकार में थे, उनका फोकस आरटीई एक्ट पर होने के बाद भी, जो गवर्नमेंट स्कूलों थे, एडेड स्कूलों थे, केवल सरकारी स्कूलों में और सहायता प्राप्त स्कूलों तक सीमित थे कि हम उनमें सभी टीचर्स को ट्रेन्ड करेंगे। आखिर, यह कौन-सा गुनाह है, अगर किसी गरीब, मध्यमवर्गीय या किसी परिवार के बच्चे ने अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में नहीं कराया या उसने अपने बच्चे का नामांकन अनुदानित स्कूल में नहीं कराया, अगर उसने अपने बच्चे का दाखिला किसी प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल में करा लिया है तो उस प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ट्रेन्ड हैं या नहीं हैं, क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है, मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, मानव संसाधन मंत्री जी ने यह कदम उठाया है कि हम गवर्नमेंट और एडेड स्कूल के साथ-साथ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी ट्रेन्ड करने का जिम्मा लेते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आज हम जो अमेंडमेंट लेकर आये हैं, उसके पीछे यह दृष्टिकोण है, यह उद्देश्य है। आज भी प्राइवेट स्कूलों के 5.98 लाख टीचर्स ट्रेन्ड नहीं हैं, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.12 लाख टीचर्स अनट्रेन्ड हैं। हम इस अमेंडमेंट को इसलिए नहीं करें कि हमने वर्ष 2015 तक का समय दिया था, उस समय सेक्शन 23(2) में सभी 31 मार्च, 2015 तक ट्रेन्ड हो जायेंगे। अगर राज्यों ने एग्जैम्पशन मांगा, आप उस समय सरकार में थे, आपने एग्जैम्पशन दे दिया और पुनः एग्जैम्पशन दे दिया,

लेकिन आज वह एक पहलू हो सकता है कि इसके बाद वे नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जायेगी। हमें उनसे ज्यादा चिंता है कि उनकी नौकरी रहे। उसके साथ भारत की आने वाली पीढ़ियां या भारत के उन स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहाल, जो भारत के भविष्य हैं, भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और खिलाड़ी हैं, उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो, इसलिए उनको ट्रेनिंग मिले। इसलिए यह 31 मार्च, 2019 तक लेकर आये हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह जल्दी समाप्त करना है।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: मान्यवर, मैं पहला स्पीकर हूँ, मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय दें। मैं कहना चाहता हूँ यह अमेंडमेंट बिल है। आज हम शिक्षा पर बात करते हैं, राजनीति पर कोई बात नहीं करते हैं। निश्चित रूप से संपूर्ण सदन इस बात पर सहमत रहता है, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारी चिंता रहती है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो किसी स्कूल में हम अपने सांसद निधि से पैसा क्यों देते हैं, किसी भी दल के सदस्य हों, हम समझते हैं कि इस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। इस स्कूल से बच्चा होनहार होकर निकले तो हमें गर्व महसूस होता है, इसलिए हम यह करते हैं।

मैं समझता हूँ कि उसमें मेन फोकस है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने 33 नयी थीम्स के बेसिस पर नयी शिक्षा नीति प्रचालित की है, जिनमें से 13 थीम्स उन्होंने केवल स्कूल एजुकेशन के लिए रखा है। वे कौन-से महत्वपूर्ण थीम्स हैं, थीम को व्यक्तिगत नहीं है। जो नयी शिक्षा नीति आयेगी उसके महत्वपूर्ण थीम्स हैं कि डेवेलपिंग द बेस्ट टीचर्स, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज पूरे देश से राय लिये जा रहे हैं, देश से सुझाव लिया जा रहा है, उन तमाम लोगों से सुझाव लिया जा रहा है कि हम कैसे एक बेस्ट टीचर नॉट ट्रेन्ड टीचर, आज सरकार की ट्रेन्ड टीचर्स से आगे की परिकल्पना है, जिसको मानव संसाधन मंत्री साकार करने जा रहे हैं ताकि हम हर स्कूल में ट्रेन्ड टीचर की बजाय बेस्ट टीचर दें, उसकी कल्पना हमारी नयी शिक्षा नीति में है। उस नयी शिक्षा नीति को हम डेवेलप करने जा रहे हैं, दूसरी बात है कि जो ब्रीडिंग, जेंडर एंड सोशल गैप्स, तीसरा, स्कूल का स्टैंडर्ड, चौथा, स्कूल का मैनेजमेंट, मैं इन सभी के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। आखिर यह बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में दिया हो कि छः साल से चौदह साल तक बच्चे को हम फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन देंगे। वर्ष 1947 की आजादी के बाद आज वर्ष 2017 में हम खड़े हैं और आज भी हम अपने उन विद्यालयों में ट्रेन्ड टीचर्स नहीं दे पाये हैं, आज उन विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा की बात हो रही है। आज स्कूलों के बुनियादी ढांचे की बात हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आजादी के बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी को लागू नहीं कर पाए। आज

मोदी जी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार मानव संसाधन विकास मंत्री जी इसे लागू करने जा रहे हैं, इसके लिए सम्पूर्ण सदन उन्हें बधाई देना चाहता है।

महोदय, 10 अप्रैल, 2010 को हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया था कि उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। हमने सैक्शन 23(2) में व्यवस्था भी की थी, लेकिन वर्ष 2015 तक ऐसा नहीं कर पाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन आज सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, एक तरफ सरप्लस टीचर्स की बात भी करते हैं। मंत्री जी इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि आज भी यूपी में वर्ष 2012-13 में 152.2 लाख का एनरोलमेंट था, वह घटकर 122.64 रह गया है। यह 19.42 प्रतिशत डिक्लाइन हुआ है। आप एक तरफ ट्रेंड टीचर्स दे रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को ले रहे हैं और चाहे मिड डे मील योजना हो या आपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, इन सारी योजनाओं के बाद ऐसी स्थिति क्यों है। आज वार्षिक ड्राप आउट यूपी के 38 जिलों में 10 परसेंट है। अपर प्राइमरी स्कूल में 87 परसेंट सबजेक्ट टीचर्स नहीं हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं, जहां जीरो परसेंट एनरोलमेंट है, निश्चित तौर से पिछली सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। आपने इस संबंध में बैठकें कीं, आपके अधिकारियों ने बैठकें कीं, निश्चित तौर पर इसके परिणाम आएंगे। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया, उसमें 10 हजार करोड़ रुपया यूपी को दिया गया कि हर ब्लॉक में मार्डन स्कूल्स बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि एक तरफ हम सदन में चिंता करें, घड़ियाली आंसू बहाएं कि आज गांव के स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही है और गुणवत्ता का स्तर ऊपर नहीं हो रहा है, तो यह चिंता का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची में है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी इस एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं, यह सर्वसम्मत से पास होगा। नई शिक्षा नीति से भी नए भारत का निर्माण होगा। इन बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और खास तौर से ज्येष्ठ सदस्य भर्तृहरि जी को खास धन्यवाद देता हूँ, चर्चा में उनका नाम पहले था। उनके नाम में भर्तृहरि है और उन्होंने भातृ भाव दिखाया, इसके लिए उनका खास आभारी हूँ।

महोदय, माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इस बिल का एक साथ ही स्वागत और समर्थन करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम स्कूलों में समान अवसर की बात कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कम्पलसरी एजुकेशन की भी बात है। दुर्भाग्य से यदि हम यहां से बाहर निकलें और देखें तो पाएंगे कि छह साल से कितने कम उम्र के बहुत सारे बच्चे हमें घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, जो स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा ही नहीं सकते हैं। इनके बारे में कभी तो सरकार को सोचना ही होगा। हम रेल में सफर करें, बस में सफर करें, कहीं भी जाएं हम देख सकते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे किताबें बेचते हैं, फूल बेचते हैं, चना आदि चीजें बेचते हैं और कई बच्चे छोटे-छोटे उद्योगों में काम कर रहे हैं, होटलों में पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों के बारे में सोचने की आवश्यकता है और इस बारे में सरकार क्या कर सकती है, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।

प्रकाश जी आप महाराष्ट्र से हैं, आपने देखा होगा कि स्कूलों के तीन स्तर बन गए हैं। एक सरकारी स्कूल है, जो जिला स्तर पर चलता है, दूसरा महानगर पालिका स्कूल चलाती हैं और तीसरा प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। प्राइवेट में भी तीन तरह के स्कूल होते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल एसएससी बोर्ड के साथ हैं। कुछ आईसीएसई से जुड़े हैं और कुछ सीबीएससी से जुड़े हुए हैं। मुम्बई जैसे शहर में महानगर पालिका के स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। उसका मूल कारण है कि हम माँ-बाप को लगता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। कांवेन्ट स्कूलों का इंवायरमेंट इतना प्रभावित करता है कि हर माँ-बाप इसे देखने के बाद सोचते हैं कि हमारा बच्चा कांवेन्ट स्कूल में पढ़े। घरों में काम करने वाली महिलाएँ भी हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन कांवेन्ट स्कूल में करवा दो। आपने अभी कहा कि छः साल से चौदह साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है।

कांवेन्ट स्कूलों में एडमिशन के लिए हमारे ऊपर प्रैशर होता है, हम उनके पास चिट्ठियाँ लिखते हैं, तो वे उसे बगल में फेंक देते हैं। हमें कोई इंप्लुएंस नहीं करना है, लेकिन क्या करें, गरीब के बच्चे दौड़ते रहते हैं। वे सांसदों और विधायकों के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें एडमिशन चाहिए, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिलता है। इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे स्कूलों का स्टैंडर्ड कम है? इसलिए पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्री एजुकेशन और कम्पलसरी एजुकेशन के साथ ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के एजुकेशन की बात कीजिए। Standard of education has to be the same throughout the country.

जब हम लॉ पढ़ने जाते हैं। 12वीं कक्षा के बाद एनआईटी है या एनआईटी के एग्जाम हैं, जो स्टेट बोर्ड्स के एसएससी पास बच्चे हैं, वे उन एग्जाम्स से डरते हैं क्योंकि उनके सिलेबस का वैसा दर्जा ही नहीं होता है, इसलिए उनमें वे पास ही नहीं होते हैं। उन बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा देने में बहुत तकलीफ होती है। आइआईटी आदि में आप देख सकते हैं। उनमें आइसीएससी और सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे पास होते हैं, एसएससी बोर्ड्स के बच्चे बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि प्राथमिक शिक्षा के तहत, जो छः वर्ष से चौदह वर्ष तक दी जाती है, उस पर विचार करने की जरूरत है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वे मिट्टी के समान होते हैं, उसकी मूर्ति बनाएं या मटका बनाएं, उनको बनाने वाले टीचर्स हैं, जिसके लिए आपने इस कानून के तहत बहुत ही अच्छा प्रावधान किया है। मैं उसका तहेदिल से स्वागत करता हूँ।

आपको यह देखना है कि यह प्रावधान था, फिर भी राज्यों ने आपसे मांग की कि चार वर्ष की मोहलत बढ़ायी जाए। ऐसा क्यों? अब तो इस कानून के तहत आपको देखना पड़ेगा कि वे सही में ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं, प्राइवेट स्कूलों में कर रहे हैं या नहीं, हमें उसका डाटा लेना पड़ेगा। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची का है लेकिन उसका डाटा लेना पड़ेगा।

आज भी हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, टीचर्स कैसे होते होंगे, भगवान जाने। हमारे आदिवासियों के बच्चे किस तरह के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उसे आप देख लीजिए। हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आज स्कूलों में पानी है, तो टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है, तो दरवाजे नहीं हैं। इन सारी स्थितियों को हम देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में ध्यान दिया जाए, सरकारी स्कूलों के करिकुलम पर ध्यान दिया जाए। I strongly demand it. Why should we deprive a child of right to quality education? It is not a question of right to education; it is a question of right to quality education. Are we going to impart quality education to him? यह उसको नहीं मिला रहा है।

आप दूसरी तरफ देखिए। यूपीएससी के एग्जाम में गांवों के बच्चे पास हो रहे हैं। ऐसे बहुत-से बच्चे हैं जो परदेस में नहीं पढ़े होते हैं, आईसीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े होते हैं, सीबीएसई बोर्ड से भी नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी वे यूपीएससी की परीक्षा में पास होते हैं। वे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी नहीं जा सकते हैं।

मुझे आश्चर्य होता है कि यदि किसी को लॉ की पढ़ाई करनी है, तो उसके प्रावधानों के तहत उग्र सीमा निर्धारित है। Why should you prohibit us? मैं कहता हूँ कि हम आज भी लॉ-एजुकेशन लेना चाहते हैं। इसे क्यों सीमित किया जाता है? इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस बिल का स्वागत करते हुए, मैं कहना चाहता हूँ और इसके बारे में घोषणाएँ भी की जाती हैं कि यदि बच्चा पढ़ेगा, तो बच्चा बढ़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए आवश्यक सुविधाएँ करनी होंगी। इसलिए मेरी खास प्रार्थना यह है कि समान अवसर की बात कही जाती है, तो समानता वहाँ भी आनी चाहिए। यह क्वालिटी एजुकेशन में आनी चाहिए, एन्वायरमेंट में आनी चाहिए, फ़ैसिलिटी में आनी चाहिए। उसके लिए आपने बजट के विषय में भी कहा है। मैंने देखा है, आपने उसके लिए 453 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह अच्छी बात है। आप अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन यह नीचे की ओर होनी चाहिए। It should percolate down but it is not percolating down. आज भी जो वंचित हैं और जिनको सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन वह स्टैंडर्ड नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है।

इसी के साथ, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और पुनः मांग करता हूँ, Let us go for a CBSE standard throughout the country, particularly for primary and secondary education. Once you go for that, the standard will be the same throughout the country. It should be done for at least four subjects, apart from language, history and additional history of a particular State. The standard of subjects like science, maths, etc. should be equivalent to global standards.

हम देख रहे हैं कि परदेस में भारतीयों के बच्चों का भी स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग होता है। चार साल के हमारे यहाँ के बच्चे में और चार साल के परदेस में रहने वाले बच्चे में कितना डिफरेंस होता है। वह अच्छी तरह से कम्प्यूटर चलाना जानता है, मोबाइल चलाना जानता है। हम देखकर चौंक जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उसे कितनी चीजों का ज्ञान हो गया है। इसलिए परदेस में जाने वाले बच्चों के एजुकेशनल स्टैंडर्ड में बदलाव आ रहा है।

मैं पुनः इस बिल का स्वागत करता हूँ। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री भर्तृहरि जी ने भी मुझे पहले बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate in the discussion on the Bill that has been put forth by the hon. Minister. I have also given an amendment and I will explain during the course of my deliberations as to why I have given that amendment.

Initially, I would say that the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 provides a justifiable legal framework that entitles all children between the age of six and fourteen free and compulsory admission, attendance and completion of elementary education. It has been explained - that is why, I am reading it – that it just not only gives a right to education; it gives a right for compulsory admission, compulsory attendance and compulsory completion of elementary education. This Act came into effect from 1st April, 2010. This Act was passed in Parliament in 2009.

Mr. Chairman, you are aware, as you were also a Member during 1999 to 2004, that it was during Atalji's tenure as the Prime Minister that this House and the other House passed to provide free and compulsory education law. We made a law by amending Article 21 as far as I remember. It was in the year 2000 that we passed that we have to provide free and compulsory education to all children. After ten years, we implemented a law which made it a right so that any child or anyone else on his or her behalf also can go to the court of law and raise this issue as a Fundamental Right.

Initially, I would just like to ask one thing. When you are talking about right to education, is there a separate budget for right to education. Rather it is subsumed in Sarva Shiksha Abhiyan. Can we not have a separate provision for right to education? As Prof. Thomas mentioned, being Chairmen of DISHA, we also conduct review of how the Sarva Shiksha Abhiyan has been doing, what is the provision, how many children have been left out or have been admitted in a different school, a school of their parent's choice and how the administration has facilitated it. I am sorry to mention this, but very rarely do we find any data because there is no data that such and such person of a poor family wanted

admission in such and such school and he has been provided that admission, he is attending that school, he is completing his course in that elementary school and this is the provision, this is the fees that is being provided.

15.00 hours

Of course, in my District, 33 students have been provided with it. I felt very elated that, at least, you have done something. But please try to find out how many students are out-of-school because this data will be available.

I have a very peculiar experience while dealing with the Education Department. You will be having many. You ask the same officer of the Education Department in the same meeting three times and you will get three types of answers. I do not know what type of answers you are getting, but this is my experience. Therefore, I would say that you need to have a separate Budget for RTE as it will be easier for us to monitor; easier for the Government to monitor; and easier for the Ministry to ascertain the out-of-school children as there is a shortfall in conducting the regular household survey by the States.

The HRD Ministry has no control over it as it is another Ministry that deals with it. It is necessary when you are dealing with a law and therefore the HRD Ministry should look into that aspect.

The U-DISE School Report Card data has inconsistencies; is incomplete; and is also not being validated at appropriate level. When we talk about infrastructure, which was to be in place within three years of implementation of the Act -- which means it should have been in place by 2013 -- has still not been fully created. To top it all, the National Advisory Council on implementation of the provision of this Act is non-existent since November 2014. There must be some reason behind it. If you do not have an Advisory Council since last two years and some months, then there must be some reason behind it. Therefore, I would say that this is a very serious matter.

The Bill, of course, deals with only one aspect and that aspect is relating to shortage of qualified teachers, but I have full faith in the Minister. He has taken up

this Ministry in full earnest and is trying his best because Human Resource Development Ministry is very vast and especially this is a subject, which needs utmost attention and care. He has picked up one aspect, which has been pending for last so many years or say at least three years, which should have been completed by 2013. I have a question relating to this issue. Why did you bring it in 2017? However, I will come to that question later, Sir.

The HRD Ministry must be given due credit for an excellent decision that they have taken very recently. The National Council of Educational Research and Training (NCERT) is going to organise a National Achievement Survey in September this year. This is a very good decision. This survey aims to check the learning levels of students of Class 3, Class 5 and Class 8. After the survey reaches its conclusion, the results will identify the gaps, which will be communicated to the students and the schools. It will help the schools to improve the learning level of their students. This is a very welcome step.

It has been pointed out multiple times that even though the enrolment rate of students in Indian schools is high, but very little education is being actually imparted. ASER 2016, which is an independent survey, pointed out that more than 30 per cent of Class 8 students cannot read Class 2 textbooks, and only 19 per cent of Class 8 students can do simple division.

According to the findings of the Report, the percentage of kids with the ability to read English is unchanged for lower primary grades since 2009; only 24.5 per cent of children enrolled in Standard V could read simple English sentences. One hopes now that the Government has taken up the job of learning levels, instead of an independent body doing the same, there won't be any number jugglery involved to show a rosy picture than it already is.

Under the present law, since the States do not have adequate teachers, specially States do not have adequate Teachers Training Institutes and sufficient number of qualified teachers, the provision to possess minimum qualification was relaxed till March 31, 2015. That date has passed two years ago. Still we have an

immense problem of getting hold of qualified teachers for imparting the grand dream of free education, quality education. The HRD Ministry runs the Central schools. I would like to deal with it a little bit. Most of the schools are understaffed; where teachers are there, they are mostly into petty politics. General policy of posting local principals and teachers in schools results in schools not functioning because they end up teaching less and doing other things more. Can't you do something? It is not uncommon to find people who have got the permanent status as teachers subletting their posts to others for a fraction of their salaries, while they themselves stay at home and carry on with their usual business.

Can the Government inform this House what happened when the earlier March 31st 2015 deadline approached? Were those under-qualified teachers banned from teaching? It has been two years since the deadline, and there might be some amount of churning that had happened within the education system. Did this force certain teachers to get trained as quickly as possible in order to retain their posts?

In violation of Section 25(2) read with Section 27 of the Act, teachers are being deployed for non-educational purposes in nine States. Today, the CAG audit report has been placed in the House. The Finance Ministry must have gone through this. A large amount of money is with the States; it has to be appropriated. Money going from the Union Government to the respective States is also not in congruence. This has happened during the last seven years. It is high time, you should take stock of this. And it is necessary that this needs adequate attention. What I have found is, the Government must also inform this House as to how many unqualified teachers were barred from teaching since 2015 and as to how it has ensured that they do not sneak into schools to teach on *ad hoc* basis.

Therefore, my amendment is, you cannot control all these things at the Union Government level. Allow the respective States to take decisions, especially as this is the right-based law. For any change that you want to make in the law, you have to come to Parliament, you have to get it sanctioned. Bring in an

amendment to this effect, as I have moved, allowing the States that if they want to increase certain things for the better functioning of these elementary schools, they can do so at their level. For the right-based law, why can't we allow or empower the respective States to do this? Therefore, my amendment says, "such extended period as may be specified by the State Government by notification." It will lessen your burden and you can concentrate on more productive use of your time.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, with your permission, I will speak from here.

I thank you for giving me an opportunity to speak on this small but very important piece of legislation. The Bill has only one objective and that is to increase the period for teachers to acquire prescribed qualification by four more years or up to March, 2019. I welcome this and thank the hon. Minister Shri Javadekarji on behalf of lakhs of teachers in the country who have been requesting this at least for the last two years. I thank you.

The Bill is necessary because from March, 2015, teachers have been barred from getting requisite qualification in view of the deadline and, secondly, the State Governments were not able to continue the process of imparting training to untrained teachers because of legislative hurdle.

Most of the speakers have covered in detail the need for quality, and not just quantity; the gaps between private and Government schools; the gaps between urban and rural; the gaps between North and South, East, West and North-East and the gaps between action and intent. I am not going to repeat all of that now. But, I want to spend some time talking about the gaps even among the best schools today and what is needed for the future.

15.11 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

The current form or the system of education was developed in the wake of the Industrial Revolution in the early 1800s. The concept of free and universal education and later mandatory education was the result of the needs of this era. Children were sorted by date of birth as if that was the only similarity worth considering. According to Howard Gardner of Harvard University, there are nine types of intelligence. These include musical, visual, verbal, logical, kinesthetic, inter-personal, intra-personal, naturalistic and existential or moral intelligence. Every person will possess a multiple of these types of intelligence. No human being, is alive, who does not possess at least a few of these types of intelligence. But the educational system is designed to recognize, develop and reward only

some of these types. Till now, this has resulted in many children not being able to recognize their own talent. Even if they did, there were inadequate resources and opportunities to develop those talents.

Now, with the advent of the fourth Industrial Revolution on the back of rapid technological changes taking place right now, we need a complete rethink of the education system, the way it was done during the last Industrial Revolution. I think, it is time for us now to look at this as to what we need from this next industrial revolution that is taking place right in front of our eyes. With artificial intelligence, Robotics, machine learning, 3D printing, autonomous cars, buses, trucks and maybe even planes, the vast majority of our jobs will be lost to automation. Even the low-end services, within these areas of coding, accounting, legal, teaching and even judicial verdicts, are now being automated. The skills and knowledge required by children studying in schools today, will be inadequate by the time they are looking for jobs. The curriculum, the methodology, the duration and the outcomes need to be re-looked at not only at the primary level but at secondary, technical training, under-graduate and even graduate levels.

The skills required for the future will be the skills that are difficult to automate, the skills that have to do with creative thinking, reasoning and judgment. Reading, Writing and Arithmetic, the three Rs as they used to call it, are no longer sufficient. Even the STEM education, the emphasis that we have been putting on the STEM education, which is science, technology, engineering and mathematics, is creating one-dimensional knowledge and capability that can be easily automated. With so much of automation, the people employed will be working fewer hours also. This will give rise to more demands for both leisure and entertainment. Therefore, the creative skills required to entertain people will be in much more demand in the future. We need more emphasis on sports, drama, music, art, poetry, all of these fine arts as well as liberal arts and social sciences which are completely inadequate today in all levels of education. I believe, these

are the subjects required for the future. These are the subjects that will be difficult for machines to overtake the capability of humans.

Sir, I would like to make one more point relating to the expenditure to train untrained teachers. I am sorry to say that the Government after devolution of 42 per cent divisible funds to the States is dumping everything on the States. It is saying that since they have given 42 per cent, so, the States should do the entire thing. In the present case, you are asking the States to bear 60 per cent of the expenditure involved. The States are not in a position to bear this burden since it is not a one time expenditure. It is a recurring one. I suggest for the consideration of the hon. Minister to make this as 10:90 ratio between the States and the Centre. I hope the entire House will agree with me.

Sir, the final point is that it is not just target three of the MDG 2 which only wants to ensure that children complete primary education by 2015. But the most important point is in Goal 4c of the Sustainable Development Goals which emphasise that the supply of qualified teachers including through international cooperation for teacher training has to be taken up by developing countries. So, I would like to know from the hon. Minister as to what international exposure the Ministry is proposing to give to our teachers so that teachers will get an opportunity to understand the methodologies, techniques and other things being implemented elsewhere.

With these observations, I request the hon. Minister to look into the issues raised and take an appropriate action for holistic development of children as profounded under the RTE Act. While doing so, please look for opportunities to leapfrog to the future rather than expanding the existing obsolete system.

SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI): First of all, on behalf of Telangana Rashtra Samithi Party, I would like to welcome and support the Bill. The Bill aims to offer free and compulsory elementary education to children between six and fourteen years of age. The Bill came into effect on the 10th of April, 2010 and states that the teachers who do not have the required eligibility should get it within five years but several States could not provide the required training for the in-service untrained teachers before the deadline, i.e., 31st March, 2015. That is why the new Bill has been brought as some of the State Governments were not able to continue that training process for in-service untrained teachers.

Sir, Dr. Babasaheb Ambedkar, Father of the Indian Constitution, said in his writings, “We can eradicate anything through education only”. But we can see two Indias in our country. One is convent-corporate India and another is common-man India. Nowadays, in education sector, convent schools and corporate schools have become completely fees and money oriented. That is why I urge upon the Central Government and the State Governments also that we must focus on school education, especially, government school education. We must focus on quality education. I request the hon. HRD Minister to allocate sufficient budget for education sector.

Also, Sir, we are a new State – Telangana – led by our Chief Minister, Shri K. Chandrashekar Rao *garu*, who has been advancing and pioneering the State in the field of education. He is setting an example to other States in our country. One of the greatest policies that our Government has introduced is free education from KG to PG. Our Government has taken this seriously and is targeting to complete its implementation.

As the hon. Minister is aware, we have established more than 525 residential schools in our State in the last three years. We spend Rs.1.2 lakh on each student per annum. Our Government also provides superfine rice in all Government hostels as well as in schools as part of mid-day meal. We are spending more than Rs.225 crore on that per annum.

As our children are the future of our nation, providing them quality education from the formative years is vital in shaping up the children's future as also the future of the nation in the 21st century. Telangana State is aggressively moving forward in this direction and is redesigning the syllabi at the elementary education level to make the children future proof and to make them ready to face any real challenges in their lives. Other States may take up the education model of Telangana and follow it in order to meet the objectives of the right of children to free and compulsory education.

As the hon. Minister is aware, recently we have formed 21 new Districts in our State. Therefore, we need 21 Navodaya Vidyalayas and 21 Kendriya Vidyalayas for these 21 new Districts. I would request the hon. Minister to sanction these institutions in the interest of our State and in the interest of our students.

Sir, once again I would, on behalf of Telangana Rashtra Samiti, welcome this Bill.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): *Pranamam*, Mr. Chairman, Sir. First of all I would like to appreciate the intention of the hon. Minister and I would like to welcome the Bill with certain reservations which I hope the Ministry may be able to clarify.

As a good friend of hon. Prakash Javadekar-ji, I would request the hon. Minister as the Chairman of the Consultative Committee of HRD to kindly visit some of the Government schools as well as aided schools without giving prior notice. Have we ever talked with, have we invited any suggestions from the children? We are supposed to enact laws and we believe that we know everything under the Sun. And we believe we know everything about our children also. But we know nothing about our children. There is a saying in English that a child is the father of man. We have to learn quite a lot from our children after the Sarva Shiksha Abhiyan.

Paragraph 2 of the Statement of Objects and Reasons says, “Pursuant to insertion of Article 21A in the Constitution by the Constitution (Eighty-Sixth) Amendment Act, 2012 ...” As per paragraph 5 here, this Bill intends to provide that every teacher appointed or in position as on 31st March, 2015 who does not possess minimum qualifications as laid down under Sub-Section 1 of the said section, shall acquire such minimum qualifications within a period of four years and from the date of commencement of the proposed legislation.

My humble submission to the Minister through you, Sir, is do not extend this cutoff date any further. If the unqualified teachers are teaching the poor students, I mean poor students because they are at the receiving end, some measures should be taken for them. We speak about the rights of children. We dictate terms that this is your right. Suppose this is your house. This is the House of the people. But with no doors open, how would the people come into a house?

It is just like that. The schoolchildren are being taught by the persons who are not at all qualified. If they are being taught by the persons who are not qualified and who are not having any inspiration or intention to get qualified

within the time the Government has stipulated, what is going to happen? It will be as per the reply that was given to the Starred Question No. 85 today in the House. By 2024, the population of India will be more than 137 crore. The year of 2024 is not very far; we are in 2017. Can we assure that by that time there will not be even a single person who remains illiterate in our nation which is going to celebrate its 70th anniversary? After five years, we are going to celebrate the platinum jubilee of our Independence. Still now, सभापति महोदय, आप देखिए, the largest number of total illiterates are in this nation. The Right to Education itself will not work. What is the nutritional standard of the students, the children, the infants? I admit that nowadays in our schools the Mid-day Meal programme is being implemented. That has also to be scrutinised as our learned friend Shri Bhartruhari Mahtab told about the issue of DISHA. I do not know how many of our hon. Members chairing the DISHA have visited the Mid-day Meal programme that is when food is being served in Government schools and aided schools? What about the breakfast? Lakhs and lakhs of children are coming to schools with an empty stomach. A teacher who is not at all qualified is teaching them something. It does not enter into the brains of the children; it does not go to the hearts of the children. The teacher writes something on the blackboard and the child is supposed to see it but he is not able to digest it because his stomach is empty. पेट में कुछ नहीं है। This is the peculiar situation in most of the public schools. I am sorry to use the word 'public'. 'Public school' means the doors are closed for the public. There are quite a lot of public schools but they are not for the public. They are for the rich, for the affluent and for the corporates.

Nowadays, education has become a business without any ethics. From the kindergarten to primary schools, high schools, 10+2 schools, professional colleges and self-financed colleges, we can see this. They are accepting bribe to give admission into colleges or increase seats in the professional colleges, whether it is engineering college or medical college. This is all happening. ... (*Interruptions*) It

happens everywhere and some of the politicians own the so-called 'self-financed' colleges. What type of culture will it promote? ... (*Interruptions*)

I will not take much time. I would request the hon. Minister that we have to ensure good education. Good education means increasing the human quality. Increasing the human quality means raising the human dignity, increasing the efficiency of the human beings and increasing the standard of living of the human beings. Merely enacting the laws is not enough. The laws will remain in the books. Children need food, water, toilets and playgrounds also. How many schools have playgrounds? Do our children not have the right to play? We are asking our children to study, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। Nobody asks them to go and play.

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अब साढ़े तीन बज चुके हैं। यदि सभा की सहमति हो, तो गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को इस विधेयक के समाप्त होने के पश्चात् ले लिया जाए।

... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

DR. A. SAMPATH : Regarding the basic structure, the development is intertwined and interconnected; only one Ministry cannot do all these things. So, my humble suggestion is this. I fear the Government of India is shifting the burden upon the shoulders of the State Governments. The successive Governments have not fulfilled the promises or are not fulfilling the constitutional obligation of free and compulsory education. If the Minister agrees, there should be a thorough discussion on how to increase the standard of education and what we can do not only regarding the enrolment ratio but also regarding the dropout ratio.

They are all human beings. They have nothing to eat. Many children do not go to school. They are in the paddy field or wheat field helping their mothers and fathers in earning something. So, they are not going to school. Shri Prakash Javadekar knows it very well. Our hon. Minister was a student leader. Hon. Chairman, you stand for social justice. My request to the Minister is this. Kindly have a separate budget for HRD and increase the allotment that has been put here.

Again and again, the recurring expenditure is coming and it is being put on the heads and shoulders of the State Governments. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

... (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH : Yes, I am concluding. ... (*Interruptions*)

I am coming from a State where the three-language formula is being followed. Many hon. Members have said that most of our children do not know how to read, write, and calculate. These matters also have to be looked into.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Mr. Chairman Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017. I support this Bill.

This Bill facilitates or gives an opportunity for untrained teachers to have training before the 31st March, 2019.

In spite of the many concessions given by the Government, people still prefer to send their children to private schools though the fees are high. People who cannot afford also struggle and send their children to the private schools.

Earlier, children used to drop out because they could not find toilets in the schools. Now, under the *Swachh Bharat Abhiyan* every school in the country is going to be provided separate toilets for boys and girls. It is a good thing. The Government has to provide good infrastructure and faculty to attract all types of students. According to one estimate, out of 66 lakh teachers, 11 lakh teachers do not have proper training. They are untrained. An opportunity is being given to them to get training before 31st March, 2019. It is a good thing.

Sir, intelligence is not the property of affluent society only. Among poor people we have a number of people who have excellent intelligence. We have a number of such examples. In the united Andhra Pradesh, Dr. Rajasekhara Reddy, when he was the Chief Minister, introduced Fees Reimbursement Scheme for not only Scheduled Caste, Scheduled Tribe or OBC students but also for the forward class students who are economically weak, with the result children are able to study engineering, medicine, MCA and MBA. He wanted to have a knowledgeable society in Anhdra Pradesh and that is why he introduced the Fees Reimbursement Scheme.

We have many examples of great people. Intelligence is a national asset. We have to preserve, encourage and utilise intelligence for the welfare of the society and for the welfare of the country as a whole. We have many living examples. Dr. Ambedkar, Dr. Abdul Kalam and Shri K.R. Narayanan who belonged to poor families but they got the world fame. So, we should encourage

the intelligent children even among the poor class. We have to encourage them and use their intelligence for the welfare of the society. Similarly, we have the stalwarts in the software industry; Shri Narayana Murthy, Shri Azim Premji, Shri Satya Nadella and Shri Sundar Pichai. All these people might have come from poor families only but have become world famous. So, we have to encourage the intelligent students among poor people and give them best education so that they can be useful for the welfare of the country. I would, therefore, request the hon. Minister to create infrastructure and good faculty for the poor children also so that our country can prosper. Thank you, Sir.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you very much, Sir. I would like to congratulate the hon. Minister, who happens to come from the same State as I do, who has done exemplary work in his career for education. Actually, Right to Education is the dream of Dr. Baba Saheb Ambedkar. So, I think we are all taking his dream forward. It is a pleasure today that in Parliament, whichever side we are sitting on, we are all unanimously standing here to support the Bill.

I would like to mention here that the hon. Minister at home has a teacher as his partner. So, this is not something different for him. He is somebody who has worked closely and he knows what the challenges are.

I come from a State where education, after Kerala, has been very good in numbers. ASER Report was discussed earlier by several Members. *Pratham* has done extensive reports in India and Maharashtra is one of the top performing States for several decades. The challenge for teachers that they are facing today in Maharashtra is at a turning point. Everybody has talked about qualified teachers. Maharashtra definitely does have qualified teachers but I think we need to take our teachers in Maharashtra to the next level, which is not just about giving them degrees of qualification but bringing in awareness among the teachers about different challenges that today's students are having.

Sir, the same Government has looked at disabilities. In the earlier Bill there were only seven disabilities. This Government has come up with 21 disabilities which is a welcome step. Out of these 21 disabilities, ten are directly related to learning challenges that children are having today. I would take this opportunity to request the hon. HRD Minister that just giving them a degree is not good enough. Sensitizing teachers is more important. One of the examples is of Autism. Today autism awareness is one of the flagship programmes that the Government of Maharashtra has taken. But, really how aware are we as a society of what an autistic kid is or any child who is dyslexic and dyscalculia? Just giving them a degree and telling them in four years you need to get this degree by rote learning is not really the solution. That is not the idea of Sarva Shiksha Abhiyan.

The whole message of Sarva Shiksha Abhiyan is to make it an inclusive education to all. Right now, it is limited to only fourteen years. I think we really need to extend it.

Shri Rudy was right here. But, the skilling that he has been doing through his Department, unless the child is at least twelfth standard, graduate and qualified, having that education of skill development and running such a big programme in India, is really not going to be connected. So, the Ministry of Human Resource Development has to bring in one more amendment in the Right to Education to extend it from 6-14 years to 6-18 years. I think that will really make the difference. I agree that it should be 21 years till graduation, but I guess one step at a time because it is going to have a large financial cost for the Government.

Second thing is about teachers' training. I come from a State where teachers' training is something of which we are very proud of. There are times in Zila Parishad schools where one teacher, who is trained, goes to one training, comes back and then is sent to another training. So, the quality of teachers' training is very important. It is wonderful to make legislations here. What Shri Sampath Ji has said, is very true, that we make legislations here, but are they totally implemented on the field? I would request the hon. Minister that qualifying them is only a part of the job, but skilling has to be genuinely inclusive. So, a child, who may be weak in English, may be weak in Maths or may be weak in Science, but it is the teacher who has to understand what the child is good at or what his or her strengths and weaknesses are. That really makes a good teacher. I will not take too much of hon. Minister's time, but I would definitely insist the quality of teachers' training is very important. After all, teaching is a process which is endless and it is not just about getting a degree. You have to constantly pursue this dream. It is because that is what really builds the true nation and not the policies or legislations that are made here. So, I urge the hon. Minister to re-think at this and expand this course of learning. Thank you.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति जी, आपने मुझे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक, 2017 में चर्चा लेने का अवसर दिया, धन्यवाद। सरकार का यह एक सकारात्मक कदम है, अच्छा कदम है। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त कर लिया था, जिसके कारण कुछ कानूनी बाधाएं भी आ रही थीं। जब आरटीआई एक्ट लागू हुआ उस समय अप्रशिक्षित शिक्षक काफी ज्यादा भर्ती हुए, अब कानून बनने से उनके प्रशिक्षण और नियुक्ति की प्रक्रिया समान होगी। अप्रशिक्षित शिक्षक अपनी योग्यता पूरी कर ले और चार वर्ष का समय मिल सकता है, शिक्षकों में अच्छी गुणवत्ता होनी ही चाहिए तभी शिक्षा का स्तर बरकरार रहेगा। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होगा जिससे हमारे बच्चों को सीखने के मामले में सुधार होगा। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा आंकड़े देखने को मिल रहा है प्राथमिक शिक्षा में देश भर में करीब 66.31 लाख शिक्षक कार्यरत हैं उनमें से करीब 11 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। अतः उनको प्रशिक्षित और योग्य बनाना महत्वपूर्ण कार्य है। अब प्राइवेट स्कूल में करीब डेढ़ करोड़ शिक्षक हैं उनमें काफी अप्रशिक्षित हैं इसलिए यहां कुछ परेशानियां होंगी क्योंकि उक्त शिक्षकों के ऊपर होने वाले व्यय का वहन कौन करेगा? सरकार को स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होगा।

सभापति महोदय, देश में शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आ गई है। दिनोंदिन प्राथमिक शिक्षा अपनी गुणवत्ता खोती जा रही है। उसके लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली और अध्यापकों की क्षमता में सुधार लाना अनिवार्य हो गया है। विशेषकर सरकारी स्कूलों की हालत काफी दयनीय है। वैसे तो प्राइवेट स्कूल काफी लंबे - चौड़े दावे करते हैं किंतु वे सभी शिक्षा को पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं विरासत से दूर होते जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। अपना देश शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु का गौरव रखता था, उसमें नालंदा की भूमि का नाम आता है और यह ज्ञान की भूमि रही है। उसका अपना इतिहास है। लोग विश्व के कोने-कोने से भारत आते थे। खुदाई के दौरान नालंदा में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह अतुलनीय उदाहरण है। भारत की शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षक एवं गुरु विदेश जाते थे, जो कि अब नहीं हो रहा है।

माननीय नीतिश जी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को जमीन देकर चालू करवाया है। राज्य सरकार बिहार में जो काम कर रही है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से नवोदय स्कूल हर जिले में बनाया है, उसी तरह ट्रेनिंग स्कूल हर जिले में बनवाएं जिससे गुणवत्ता वाले टीचर से बच्चे पढ़ें, उनका भविष्य उज्ज्वल हो और वे आगे बढ़ें।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी एक तरफ मैन मेकिंग की कल्पना करते हैं, लेकिन मोरल एजुकेशन के बगैर, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और बौद्धिक विकास संभव नहीं है, सम्पूर्ण विकास संभव नहीं है। मेरा विचार है कि पहली से सातवीं कक्षा तक कम्पलसरी मोरल एजुकेशन करनी चाहिए। यह एजुकेशन नैतिकता से जुड़ी है, जीवन के निर्माण से जुड़ी है, आपको इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन इस पर गौर न करके हम लंबी बातें करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप पहली से सातवीं क्लास तक मोरल एजुकेशन को कम्पलसरी कीजिए और इसके बगैर कोई बच्चा पास न करें।

महोदय, सातवीं से बारहवीं क्लास तक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए गेम्स को कम्पलसरी कीजिए। जब तक एक्सट्रा करिकुलम के अंतर्गत संगीत और गेम्स को कम्पलसरी नहीं करेंगे तब तक शारीरिक रूप से विकास संभव नहीं हो पाएगा। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप कौन सी एजुकेशन देना चाहते हैं? क्या आप साक्षरता वाली एजुकेशन देना चाहते हैं? क्या आप सुदामा और कृष्ण को एक साथ एजुकेशन दिलाना चाहते हैं? आप सुदामा और कृष्ण को एक साथ एजुकेशन देना चाहते हैं तो बताएं एमपी, एमएलए, मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है ? आप इसे कम्पलसरी क्यों नहीं करते हैं ? जब तक एमपी, एमएलए, मंत्री, बीडीओ, इंगलिश बोलने वाले बड़े नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप हिन्दुस्तान के 130 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी करते रहेंगे। आप इसे कम्पलसरी कीजिए।

आप मिड-डे मील आदि योजनाओं को ला रहे हैं। मिड-डे मील क्या है ? यह खैरात है, गरीबों के बच्चे सिर्फ खाना खाने जाते हैं। यदि पप्पू यादव, सुदामा और अंतिम व्यक्ति का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ने लगेगा, आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी ? आप कम्पलसरी और कॉमन एजुकेशन प्री करना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि प्री कोई नहीं पढ़ता है, आप क्वालिटी बढ़ाइए।

महोदय, देश के बाहर तीन, छः या आठ सालों बाद टीचर का एग्जाम होता है। क्या आप टीचरों का एग्जाम लेंगे ? यदि तीन साल बाद टीचर क्वालिफाई नहीं करता है तो क्या उसका डिमोशन करेंगे? यदि फिर तीसरी बार क्वालिफाई नहीं करता है तो क्या आप उसे बर्खास्त करेंगे? हिन्दुस्तान में बीएड और डीएड क्या है? डीएड है कि पैसा लेकर आओ, घर का जेवर बेचकर एडमिशन लो, कोई पढ़ाई नहीं और चुपचाप चले जाओ। हैड मास्टर वह बने जो एग्जाम पास करे और हर प्रिंसिपल का दस या बारह साल बाद एग्जाम होना चाहिए। आप उसे छः महीने छुट्टी दीजिए ताकि वह दूसरी जगह जाकर एजुकेशन ले सके। इसके बाद ही वह बच्चों के सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा।

महोदय, टीचर को किसी भी कार्य में भागीदार मत होने दीजिए। आप क्या करते हैं, आप जनसंख्या के काम में लगाते हैं। आप उसकी ऊँची चुनाव में लगा देते हैं। टीचर्स सिर्फ एजुकेशन देने के लिए हैं। टीचर डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह मानवतावादी होना चाहिए। टीचर व्यापारी, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। टीचर सिर्फ हाई मोरल एजुकेशन के साथ प्रभावित होना चाहिए!...(व्यवधान)

मैं टीचर की क्वांटिटी और क्वालिटी पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि टीचर्स की तन्खाह 50 हजार रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसे 50 हजार रुपये नहीं देंगे, तो वह बेसलैस काम करेगा। वह बच्चों का निर्माण न करके अलग काम करेगा। यदि आप टीचर्स को अच्छी तन्खाह देंगे, तो आपको प्राइवेट एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बिहार शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर है।

सभापति महोदय, हमने आप लोगों से ही सीखा है। आपकी जब स्पीच होती थी, तब हम सुनने के लिए जाते थे। आपको याद होगा कि आप जब चौधरी चरण सिंह जी के साथ मेरे यहां जाते थे, तब हम आपको सुनने के लिए आते थे। आपको आश्चर्य होगा कि आज हमारे यहां बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बिहार हिन्दुस्तान में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार टीचर्स, स्कूल और कालेज के रूप में कोलैप्स कर चुका है। दुनिया बिहार से भारत को पहचानती थी। हम शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचे, लेकिन आज बिहार की स्थिति बहुत खराब है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: राजेश रंजन जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : मैं अंत में कुछ प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप बीएड और डीएड की क्वालिटी को हायर कीजिए। आपने बच्चों के मन पर बायोलॉजी, मेथेमेटिक्स और कैमिस्ट्री थोप दी है कि इससे बाहर पढ़ाई नहीं है। उनके मन में जियोग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि बच्चों को इस विज्ञान और गणित की मानसिकता से निकालिए। आप बच्चों को फ्रीडम देने की कोशिश कीजिए। आप बच्चों को गार्जियन और स्कूल के बस्तों से मत बांधिए।...(व्यवधान)

मैं अंत में सीबीएसई के बारे में कहना चाहता हूं। आप सीबीएसई का जो एग्जाम लेते हैं, वह उसी स्कूल में लेते हैं। इससे बच्चों के 98 और 100 प्रतिशत मार्क्स आते हैं। सीबीएसई के बारे में जांच करने की आवश्यकता है। जब किसी स्टेट के बोर्ड का एग्जाम बच्चा पास नहीं करता, तो सीबीएसई पैसे लेकर, उसी स्कूल में एग्जाम लेकर अपने बच्चों को प्रमोट करता है। मेरा आग्रह है कि सीबीएसई का एग्जाम दूसरे स्कूल में कंडक्ट होना चाहिए।

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, it is an important Bill. I do not think we should rush on a subject like education. I would request Shri Ananth Kumar on one thing. Friday is a Private Members' day and it is the right of every hon.

Member that we get and so, we may not take up such important Bills on Fridays. The time of Private Members Bill is also being taken up and at the same time, we also want to speak on this important Bill.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I also support the suggestion made by Shrimati Supriya Sule because it is a very important Bill though the amendment is very minor.

I rise to support this Bill because I know that it is also *fait accompli* to the hon. Minister because there is no other option. But kindly consider that Right to Free and Compulsory Education to all children below the age of 14 years is a constitutional obligation as per the Directive Principles of State Policy. Subsequently, in 2002, though it was a BJP period, it was a revolutionary change which took place. A constitutional amendment, namely, the 86th Amendment took place by which the Directive Principles of State Policy had been incorporated and primary universal and compulsory education has been made as a fundamental right. I still appreciate that fact.

I would like to say that 21 (a) is the article which we have incorporated. What is article 21? Article 21 is right to life and personal liberty. Article 21 is amended in order to incorporate 21 (a) in the Constitution, to provide right to free and compulsory education to all children between the ages of six and fourteen. But unfortunately that Act came into force only in the year 2009. That was during the UPA regime. It was another revolutionary change that took place when the UPA was in power. A big legislative change took place in the country in the year 2009 by which the Right to Free and Compulsory Education Act came into force on 1st April, 2010.

Now, we are in July 2017. As rightly stated by Shrimati Supriya Sule, this is a very important Bill. My first suggestion to the hon. Minister, Shri Javadekar as well as to Shri Ananth Kumar is to have a discussion on the implementation of the RTE Act since the last seven years. Kindly have a discussion. We are discussing all these communal issues, etc. Please have a short duration discussion on the implementation of the RTE Act. That is the need of the hour. That is my first suggestion.

Coming to the actual position, by 31st March, 2015 every teacher in the primary school should possess the minimum and basic qualification. Now, we are extending the period to 31st March, 2019. Why are the trainers not trained? How will the education system improve? How will the quality of education improve? The purpose of the RTE Act is not only to have access to education but also to have 'quality education'. The right to life means not just to have right to life but it is right to have a 'better life' as enunciated by the Supreme Court in its judgement. Article 21 means right to have safe water, right to have better treatment, etc. Similarly, article 21 (a) is not a right only to have education, but it is also a right to have 'quality education'. Are we able to protect the fundamental right as provided in the Constitution?

According to me article 21 is violated by the respective State Governments. The respective State Governments are not able to train the trainers within the stipulated time of 31st December 2015 means they have violated the fundamental right of the citizens of those States. It is a constitutional obligation that is being violated by those State Governments. What is the reason? I would like to know from the hon. Minister as to which are the States that have complied with article 21 (a)? Which are the States that have demanded or sought exemption from this provision?

You may kindly see that there are totally 66 lakh primary teachers. Out of which, 11 lakh teachers are still untrained. That means one-sixth of the teachers are still untrained. That means the Right to Education Act is only on paper and not in practice. That is the reality. That is why I am suggesting that you should have a discussion. Why have the State Governments failed to provide training to the teachers? What is the reason? Seven years have elapsed. Now, we are saying that the date will be extended up to 31st March, 2019. That means we are again violating article 21 (a) of the Constitution.

Shri Hamid Ansari, His Excellency the hon. Vice President of India delivered a speech in a Stocktaking Convention on Implementation of the RTE

Act. I will just place on record the important points. His Excellency the Vice President of India has appreciated the RTE Act. He had classified the challenges in regard to that. The first challenge is the quality of education. The education that is being provided is not up to the mark. ... (*Interruptions*) The second one is high rate of drop outs and out of school children. The third one is the absence of equity in education. All the three, that is quantity, quality and equality, have to be improved.

The last point is the GDP contribution to education has to be increased to six per cent. With these points, I conclude. Thank you very much.

16.00 hours

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ... (व्यवधान) मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ एवं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ... (व्यवधान)

सभी कुछ हो रहा है, तरक्की के इस जमाने में,
यह क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं बनता
यह क्या गजब है कि आदमी इंसान नहीं बनता

शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य आदमी को इंसान बनाना है, लेकिन आज इस प्रकार से देश और समाज में अपराध बढ़ रहे हैं आतंकवाद की घटना बढ़ रही है, परिवार टूट रहे हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, उससे लगता है कि हमारी मूलभूत शिक्षा में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर शिक्षा में गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि पढ़ाने वाले टीचर्स में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग ठीक की जाए, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने साथियों की बातों को सुन रहा था।

वर्ष 1874 में महर्षि दयानंद ने लिखा कि चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी हो, या दरिद्र की संतान हो, सभी को अनिवार्य रूप से निःशुल्क और समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस देश को लगभग 145 वर्ष लग गये, राइट टू एजुकेशन का कानून 2009 में लाये। पिछले 70 वर्षों में हमने जो सबसे बड़ी गलती की है, चाहे देश का विभाजन हुआ या भाषा के नाम पर राज्यों का विभाजन हुआ या जाति-उपजाति के नाम पर समाज का विभाजन हुआ, लेकिन इस देश को सबसे बड़ा नुकसान लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को ज्यों का त्यों अपनाने से हुआ है। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उन लोगों को यह पढ़ना चाहिए - 'द केस फार इंडिया', लोक बिल डूरन्ट यह किताब वर्ष 1932 में लिखी गयी कि इस देश में जो एजुकेशन का सिस्टम था, देश में जो शिक्षा पद्धति थी, उसका इतना अच्छा आदर्श था, इसलिए मनु महाराज ऐसा कहते रहे कि

एतद् देशः प्रसुतस्यः शकासाद् अग्रजनमन
स्वं स्वं चिरत्रं संक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवः ।

सारी दुनिया के लोग, अगर किसी को शिक्षा लेना है, किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो उनको भारत देश में आकर शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों चले गये, इसके पीछे बहुत कारण है लेकिन आज हम जो बिल लाये हैं, उसका समर्थन करते हुए, मैं सुझाव देना चाहता हूँ।

राइट टू कम्पलसरी एजुकेशन का हमारा कानून बना है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। जब तक हमारा कानूना ऐसा नहीं होगा कि जो मां-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उन पर दंड लगेगा, फाइन होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगा तब तक हमारी शिक्षा बेहतर नहीं हो सकेगी। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति इस देश में थी। मैं कोट करना चाहता हूं कि

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणं

यह राज्य नियम होना चाहिए, यह गवर्नमेंट का कानून होना चाहिए कि जो मां-बाप पांच वर्ष से आठ वर्ष के बाद बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, उनको दंड दिया जायेगा। क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि इसे कानून के अंदर लाया जाये तभी वास्तव में कम्पलसरी एजुकेशन का सपना साकार हो सकता है।

दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक एजुकेशन सर्वे किया गया उसमें कहा गया है कि हमारे देश में जो पब्लिक स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं, उनमें प्रति बच्चे के ऊपर खर्च गवर्नमेंट स्कूल्स में ज्यादा होता है और पब्लिक स्कूल्स में उससे कम होता है, लेकिन हमारी शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत कम है। इस पर बहुत गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है।

मैं दो-तीन महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर हम वास्तव में सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो सभी सरकारी अधिकारियों के बच्चों को उन स्कूल्स में पढ़ना चाहिए। जो विकसित देश हैं, वहां पर जो एरिया स्कूल्स हैं, वहां के बच्चे केवल उसी स्थानीय स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। माननीय हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उस समय की यूपी गवर्नमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट चली गयी।

सभापति महोदय, विकास का एक यह भी पैमाना है कि जब हम सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए तैयार होंगे, इसका मतलब है कि कुछ विकास हो रहा है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा है उसमें मस्तिष्क का ज्ञान भी देना चाहिए, रीजनिंग भी देनी चाहिए और हृदय में दयाभाव और बांटने की क्षमता भी देनी चाहिए और हाथ में स्किल भी देनी चाहिए। क्या हमारी शिक्षा पद्धति आज इस लक्ष्य को पूरा कर रही है, यह देखने की बात है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को Head, Heart and hands की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन माना था।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति जी, मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के संशोधन पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मंत्री जी, देखने में यह बिल साधारण लगता है, जो डेडलाइन वर्ष 2015 की है, उसे हम चार साल और बढ़ाने जा रहे हैं। अगर इस बिल में चार साल का समय न देखें तो आपको एक ऐतिहासिक काम करने का मौका मिल रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले लोग हैं, वे यही कहते हैं कि यदि भारत को 21वीं सदी की पावर बनाना है, तो हमें क्वालिटी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि आप आनलाइन सिस्टम द्वारा जो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं, उन्हें क्वालिफाइड करना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आनलाइन सिस्टम पर इतने निर्भर न हों। अगर आनलाइन सिस्टम इतना ही बेहतर होता, तो हमारे बच्चे आज स्कूलों में पढ़ाई न करके वैबसाइट पर पढ़ाई करते। आज हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे जो अध्यापक हैं, उन्हें भी ऐसी अच्छी व्यवस्था चाहिए, जो उन्हें बीएड कालेज में प्राप्त होती है। आप बीएड कालेज की संख्या इस बिल के माध्यम से कितनी बढ़ाने जा रहे हैं, इस बारे में आप बताएं? मेरे जिले में बीएड कालेज है और वह भी बीएड कालेज इनसर्विस टीचर्स को पढ़ा रहा है, प्रीसर्विस टीचर्स को मौका ही नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की जो पद्धति लाने की बात कर रहे हैं कि अनक्वालिफाइड टीचर्स को क्वालिफाइड करना है और सारे बीएड कालेज इनसर्विस टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, प्रीसर्विस टीचर्स को मौका नहीं मिल रहा है, तो कैसे हम बच्चों को क्वालिटी शिक्षा दे सकेंगे।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि हमें शिक्षकों की अटेंडेंस पर ध्यान देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ चुकी है, लेकिन जो बात डॉ. सत्यपाल जी ने कही है कि जिस तरह से टीचर्स की परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, वह नहीं बढ़ रही है। आज बच्चों का इनरोलमेंट कम होता जा रहा है। बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, लेकिन क्लास रूम में शिक्षक नहीं हैं। जैसे हम आज बच्चों को उनकी उपस्थिति के भी नम्बर देते हैं, उसी तरह से शिक्षकों के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस दिन शिक्षक क्लास रूम में नहीं जाता है, उसकी जानकारी बच्चों के माँ-बाप के पास जाए और जिस दिन माँ-बाप और टीचर्स की मीटिंग का दिन होता है, उस दिन बच्चों के अभिभावक टीचर्स से पूछ सकें कि मेरा बच्चा तो स्कूल आता है, लेकिन आप स्कूल क्यों नहीं आते हैं। आप शिक्षकों की अटेंडेंस पर ध्यान दीजिए और ऐसा सिस्टम बनाइए। आपकी तरफ से भी यह बात आई है कि क्लास-9 का मैथ जो टीचर पढ़ाता है, उसे क्लास-2 का मैथ भी नहीं आता है। टीचर्स का प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए कि हर कक्षा के बच्चों को पढ़ा सके। आज पढ़ाना भी एक हुनर है। ऐसा नहीं है कि टीचर को एक कर्रिकुलम दे दिया है कि तीन सौ दिन में यह चैप्टर खत्म करना है और उसके बाद बच्चों को पास कराना है। टीचिंग भी एक हुनर है। आप इस तरफ ध्यान दीजिए, ऐसा हुनर बीएड कालेज में ही आ सकता है।

महोदय, मैं उत्तर पूर्वांचल से आता हूँ। नेशनल करिकुलम फ्रेम वर्क 2005 में लिखा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति को हम क्लास रूम में बच्चों के बीच प्रदान कर पाएं। उत्तर पूर्वांचल की एक भूमिका है, एक मर्यादा है। आज जो चीजें हमें बहुत प्रिय हैं, वे क्लास रूम में नहीं पढ़ाई जा रही हैं। मेरा विनम्र निवेदन है और हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि असम के महापुरुष श्री श्रीमंता शंकरदेव के आदर्श हमारे करिकुलम में होने चाहिए। असम और उत्तर पूर्वांचल की स्वाधीनता के संग्राम में क्या भूमिका है, यह भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्या हम लोगों ने स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन आप बता दीजिए कि किस स्कूल की किताब में हमारे कौन-से स्वाधीनता संग्राम सैनानी का नाम लिखा है। हम चाहते हैं कि नागालैंड की रानी जी हों या असम के कुशल कोंवर हों, इनके बारे में और उत्तर पूर्वांचल के स्वाधीनता संग्रामियों के नाम हमारे हमारे बच्चे सीबीएससी स्कूलों में पढ़ें और जान पाएं। हम भी भारत का हिस्सा हैं, हमारे बच्चे जब आगरा में ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, तो गार्ड उनसे उनके आइडेंटिटीकार्ड पूछता है। आज देश में ऐसी अवस्था क्यों है, क्योंकि देश में शिक्षा का माहौल ऐसा है।

महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे पूर्व मंत्री महोदय ने वर्ष 2015 में असम में जाकर घोषणा की थी कि असम में 14 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। हमने उसका स्वागत किया। यह बात 'टाइम्स आफ इंडिया' में छपी गई, असम के अखबार में भी यह छपा था। आज घोषणा किए दो साल का समय हो गया है, लेकिन एक भी नवोदय विद्यालय नहीं बनाया गया है। हमारा विनम्र निवेदन है कि केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री की बात में वजन होना चाहिए। अगर मंत्री जी ने कहा कि 14 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, तो जरूर खोले जाने चाहिए। मेरा कहना है कि भारत कृषि से आगे ज्ञान की दिशा में चला गया है और ज्ञान एक गुरु ही प्रदान कर सकता है, ज्ञान एक शिक्षक ही प्रदान कर सकता है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आज सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 लेकर आयी है। जिन शिक्षकों के पास ऑफिशियल डिग्री नहीं है, उनको सरकार दो साल का एक्सटेंशन इस बिल के माध्यम से दे रही है। आज चार साल इस बिल को आये हुए हो गये हैं, उसके बाद भी आज हमें एक्सटेंशन देनी पड़ रही है। मेरी उम्र के जो युवा नीट क्वालिफाइड होते हैं, जो सी-टेड या एस-टेड एग्जाम्स क्वालिफाइड होते हैं, कहीं न कहीं इस बिल के माध्यम से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। संस्कृत के शास्त्री-डिग्री वाले शिक्षक हैं, उनको मौका भी दिया जा रहा है कि वे इस बिल के माध्यम से अपनी शिक्षा को ग्रहण करें। आने वाले समय में वे इस कोर्स को सिखा पाएं और ट्रेनिंग लेकर उन बच्चों को प्रौपर्ली शिक्षित कर पाएँ।

राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आज हम आर्टीई को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? इससे बड़ा दुख होता है। आज बड़े-बड़े स्कूल्स खुल गये, लोगों ने इसे एक उद्योग बना लिया, लेकिन आज उन स्कूल्स में बच्चों को मुफ्त में शिक्षित नहीं किया जाता है।

माननीय मंत्री जी सदन को बताएं कि क्या अंबानी, बिड़ला और गोयंका जैसे स्कूल्स में अब तक भारत सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकारों ने राइट टू एजुकेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवा पाया है?

महोदय, मैं एक इंटरैस्टिंग फैक्ट बताऊँगा कि हरियाणा जैसे प्रदेश में आज एक भी रेगुलर कम्प्युटर टीचर नहीं है। कैसे हम प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा कर पाएँगे? जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डवलप नहीं कर पाएँगे, तो पूरी तरह से हम राइट टू एजुकेशन नहीं दे पाएँगे।

अंत में, मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैंने इसे मंत्री जी के संज्ञान में भी लाने की कोशिश की थी। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। वह हमें शिक्षा का अधिकार भी देता है। हरियाणा सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन इश्यु करके डायरेक्टोरेट ऑफ हाइयर एजुकेशन से एक नोटिफिकेशन निकलवाई है कि यदि कोई 700 दिन स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दी जाएगी। मैं मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाया था। अभी तक प्रदेश के हजारों बच्चे ऐसे हैं, जो कॉलेज में एडमिशन लेने गये, तो ऑन-लाइन प्रक्रिया होने के कारण 730 दिनों से अधिक का गैप होने पर उनके फॉर्म को स्वीकृत नहीं किया गया।

मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप प्रदेश सरकार से बात करके इस समस्या का समाधान करें ताकि उन बच्चों को भी कॉलेजों में एडमिशन मिल सके।

अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

‘राइट टू एजुकेशन’ बहुत ही गंभीर विषय है। चूँकि सीमित समय है, इसलिए मैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्वाइंट्स माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूँगा। आज हर राज्य में टीचर्स की कमी है। यह पूरे देश की समस्या है। मैं पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब में टीचर्स की भर्ती के लिए होने वाला ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ बहुत ही मुश्किल एग्जाम है। वह आई.ए.एस लेवल का एग्जाम है। पंजाब में आज ‘टैट’ पास टीचर्स हड़तालें करने को मजबूर हैं। वहाँ टीचर्स के चौदह हजार पद खाली पड़े हैं। इन सबके कारण पंजाब में एलिजिबल टीचर्स, जो कि बी.एड. और बाकी सब्जेक्ट्स के टेस्ट्स भी पास किए हुए हैं, धरने और हड़तालें दे रहे हैं। वे पानी की टंकियों पर चढ़कर स्वयं को आग लगा रहे हैं।

आज एजुकेशन में होने वाले ड्रॉप-आउट के बहुत से कारण हैं। इसके कई सोशल कारण भी हैं। एक प्राइमरी स्कूल से दूसरे मिडिल स्कूल तक का गैप बहुत ज्यादा है। मिडिल स्कूल किसी दूसरे गाँव में है। उनके बीच 7-8 किलोमीटर का गैप है। इसके लिए क्या कोई शटल सर्विस या किसी बस का प्रावधान नहीं किया जा सकता है, जो बच्चों को इन स्कूलों तक छोड़कर आए। यहाँ तक कि गर्ल्स स्टूडेंट्स भी बसों के पीछे लटक कर स्कूल जाती हैं या फिर उनको किसी से राइड माँगनी पड़ती है। यह उनके लिए अनसेफ है। इस कारण उनके पेरेंट्स बहुत सी इंटेलिजेंट लड़कियों को भी स्कूल से निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। जब ऐसी कोई घटना होती है, तो उससे दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी डरते हैं। इसके लिए कोई प्रावधान अवश्य होना चाहिए, जिससे हर बच्चा स्कूल जाए और सेफली अपने घर वापस आए।

मैं अब मिड-डे मील के बारे में कहना चाहूँगा। सरकारी स्कूल के बच्चे सिर्फ रीसेज़ की वेट करते हैं, क्योंकि वे बच्चे घर से ब्रेकफास्ट कर के नहीं जाते हैं। जब आधी छुट्टी होती है, तब उनको खाना मिलता है। उसमें सिर्फ यह न हो कि जिन्हें खाना मिलता है, वही बच्चे स्कूल जाते हैं। मुझे एक पेरेंट्स मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि सरकारी स्कूल में आज हालात यह हैं कि किताब और कापी यदि घर पर भूल भी जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कटोरी और चम्मच जरूरत साथ लेकर जाना। टीचर्स की वोटिंग या इधर-उधर के काम जैसे जनगणना आदि में ड्यूटी लगाई जाती है। वे बच्चे अनसेफ बिल्डिंग्स में पढ़ रहे हैं। वहाँ पी.टी.आई और टी.टी.आई. टीचर्स नहीं हैं। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।

अतः मैं चाहूँगा कि वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अप किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: आज यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है। सोलह सदस्यों ने यहाँ चर्चा की है। प्रोफेसर थॉमस साहब, श्री जगदम्बिका पाल, अरविंद सावंत जी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री जैदेव गल्ला, श्री बलका सुमन, डॉ. ए.सम्पत, श्री रेड्डी, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री राजेश रंजन, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्री गौरव गोगोई, श्री दुष्यंत चौटाला और श्री भगवंत मान ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। सबने इस बिल को सपोर्ट किया है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपने जो अमेन्डमेन्ट दिया है, वह भी सपोर्ट के लिए ही दिया है।

एक मुद्दा प्रमुखता से उभरकर आया है। सरकारी शिक्षा दी जा रही है, उसका विस्तार हो रहा है और उस पर पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे सुधरेगी। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह माँग की कि इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए अलग से चर्चा हो। मैं सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ और यदि सदन के बाहर भी माननीय सदस्यों को 'How to improve quality of education' पर चर्चा करनी है, तो हम इसके लिए क्वालिटी डायलॉग भी निश्चित करेंगे।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण भाग भी है। इस मुद्दे को श्री गौरव गोगोई ने भी उठाया है। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसके जरिए ऑन-लाइन शिक्षा दी जा रही है, यह कितनी सार्थक होगी? इसके लिए कन्टेक्ट टू कन्टेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। यह इन दोनों का मिश्रण है। आपने कहा है कि आपके राज्य में एक ही बी.एड. कॉलेज है। वह सभी शिक्षकों को भर्ती नहीं कर सकता है। इसी अपवाद के कारण वहाँ एक्सटेंशन करना पड़ा था। आप सभी जानते हैं कि 'एडेक्स' और इस प्रकार के बाकी सारे कोर्सेज़, सार्थक कोर्सेज़ हैं। लाखों की तादाद में लोग इन कोर्सेज़ को सीख रहे हैं और इनके सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर रहे हैं। देश के सबसे अच्छे प्राध्यापक वहाँ लैक्चर देंगे। वहाँ मैटिरियल भी होगा, वहाँ ट्यूटोरियल भी होगा, और वहाँ इंटरैक्शन भी होगा। एक ऐप होगा, जिसके माध्यम से लोग अपने सवाल पूछ सकेंगे। वे हर सप्ताह आकर लोगों की शंकाओं का निर्सन भी करेंगे। जो काम स्टडी सेन्टर्स में जाकर होता था, अब वह काम ऑन-लाइन होगा। यह केवल ऑन-लाइन ही नहीं, बल्कि डी.टी.एच. के 32 चैनलों पर चलेगा। समझिए, कि यह बी.एड. का कोर्स 8 भाषाओं में चलेगा, तो यह 8 चैनलों पर दिखाया जाएगा। यह उतने चैनल्स पर चलेगा और वह दिन में तीन-चार बार रिपीट होगा तो वह अपनी पसंद से दिन में एक बार, दो बार एक पाठ पढ़ सकता है, देख सकता है। वह सिखा रहा है, पढ़ा रहा है तो उसको थोड़ा लगाव तो है, नहीं तो वह नहीं सिखाएगा। ऐसी जॉब में कौन रहेगा। इसका ट्रैकिंग भी होगा, अब technically it is feasible, क्योंकि वह सर्वर का एक्सेज़ हमारे पास है। इस चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग भी होगी कि लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं, कितना ट्यूटोरियल दे रहे हैं। हर साल 12 दिन का एक शिविर भी होगा, जिसमें हर ब्लॉक या जिला स्तर पर शिक्षक इकट्ठा रहेंगे और उनके सामने अध्यापक आकर

question to question जो भी face to face करना है, वह भी करेंगे, नहीं तो दो साल में पूरा नहीं होगा। दो साल में पूरा करने का ठान लिया है। इसके लिए तंत्र ज्ञान विकसित है।

बाकी भी बहुत सारे मुद्दे उठे - आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन से लेकर मिड-डे-मील तक, लेकिन आज मैं सारा कवर नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे भी विषय हैं। डिटेंशन का बिल भी आने वाला है। 'प्रथम' के 5वीं और 8वीं कक्षा में छात्रों का सर्वे, जिसका सबने उल्लेख किया, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हर साल उसको जो लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति होनी चाहिए, वह अब डिफाइन किया गया है। उसका सर्वे भी होगा और 5वीं व 8वीं में मार्च में परीक्षा होगी। यदि स्टूडेंट फेल हुआ तो उसको दूसरा अवसर मई में मिलेगा और यदि मई में भी फेल होता है तो उसी क्लास में डिटेन करने के लिए आपके सामने एक नया बिल आएगा, तब उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि आज शिक्षकों को जो यह लास्ट अवसर दे रहे हैं कि दो साल में आपको पढ़ना ही है और उसकी सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। वह ऑफ लाइन भी है और ऑन लाइन भी है। इस सारी व्यवस्था के लिए आपका समर्थन चाहूंगा।

श्री गौरव गोगोई: अटेंडेंस के लिए भी बता दीजिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : टीचर्स की अटेंडेंस के लिए मणिपुर ने भी बहुत कार्य किया। कुछ जगह बायोमैट्रिक किया व कुछ जगह दो-तीन और उपयोग किए। राजस्थान ने बहुत अच्छा प्रयोग किया, क्योंकि प्रॉक्सी टीचर की भी बात आयी तो जो सही शिक्षक लगे हैं। उनके अच्छे फोटोज स्कूल में लगाए हैं और उस पर लिखा है 'हमारे आदरणीय गुरुजन' अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं कर सकता। वह कोई पुलिस स्टेशन जैसे फोटोज नहीं लगाए हैं। अच्छे फोटोज लगाए हैं। वह भी एक तरीका है।

दूसरा तरीका यह है कि एक टैब से सारे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स का उसी स्कूल के कंपस में जब वह 50 फीट के घेरे में होते हैं, तभी उनका अटेंडेंस लगता है। यह एक नया प्रोजेक्ट तैयार है। मणिपुर ने इसे सक्सेसफुली किया है। सभी राज्यों में विस्तार करेंगे। आपने बहुत सारे विषय निकाले हैं, उसको करेंगे। यूएसडीएस के डाटा के बारे में हुआ, के.वी.के. विस्तार के बारे में हुआ, ड्रॉप आउट के बारे में हुआ। जो मुद्दे उठाए हैं इन सभी मुद्दों की एक विस्तृत टिप्पणी भी आपको देंगे। ताकि यह डायलॉग बना रहे और चलता रहे। मुझे इतनी खुशी है कि शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की जितनी भी हम चर्चा करेंगे, उसी से इस देश की शिक्षा सुधरेगी। मैं सभी सदस्यों से अपील करूंगा कि आपके क्षेत्र, मैं भी जाऊंगा, जैसे एक सदस्य ने कहा कि मिनिस्टर का without giving notice किसी स्कूल में जाना, वैसे ही आप भी अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में सभी लोग शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में जाकर कार्य करें। आप टीचर के ट्रांसफर वगैरह जैसे काम मत कीजिए, उसकी बजाय ये काम हम करें तो गुणवत्ता सुधरेगी। यही मेरा आह्वान है।... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मेरा एक सजेशन है।

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : जैसे स्टूडेंट ऑफ द मंथ प्रोग्राम है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : आपका सुझाव अच्छा है। हमारे यहां ऐसे सभी सुझावों का स्वागत है।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : इससे बच्चों को इनकरेज मिलता है।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मान जी, मैं आपको बुलाऊंगा। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बिल को पास करने में सहयोग करें।

माननीय सभापति : अब विधेयक पर हम खंडशः विचार करेंगे।

श्री एन.के.प्रेमचंद्रन, क्या आप मूव कर रहे हैं?

Clause 2

Amendment of Section 23

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I was under the impression that it is from the date of the original Act. It is a misled amendment which I have proposed. So I am not moving that amendment.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am moving this amendment because I did not get sufficient answer.

I beg to move:

“Page 1, line 12,--

after “2017”

insert “or such extended period as may be specified by the State Government by Notification”.” (2)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : इसका उत्तर मैं बताता हूं, इनका भाव है कि राज्यों को ऐसा अधिकार दिया जाए कि यह शिक्षकों की जो अवधि 2019 तक है, अगर राज्य चाहता है कि एक साल में ही पूरा हो तो 2018 में भी पूरा करने का उनको अवसर होना चाहिए। लेकिन सभी राज्य एक जैसे नहीं हैं, जिस तरह से पांच

उंगलियां अलग-अलग होती हैं, वैसा ही है। कहीं 20 भी करेंगे और कहीं 25 भी करेंगे तो यह नहीं करना है। इसलिए मैं आपको रिव्चैस्ट करूंगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am not arguing on that point. यह एक ऐसा बिल है और जो अमेंडमेंट आप लाये हैं, आपको इस तरह के अमेंडमेंट्स लेकर बार-बार पार्लियामेंट में आना है, इसलिए इसको बदलना चाहिए, क्योंकि जो राइट बेस्ड बिल है, अगर थोड़ी-थोड़ी, कुछ-कुछ दिक्कतें डिफरेंट स्टेट्स में आ रही हैं तो हर एक के लिए आपको पार्लियामेंट नहीं आना चाहिए। इसलिए आप स्टेट्स को इम्पावर कर दीजिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं आपको बताता हूँ, जो आठ राज्य हैं, वहां लगभग 90 प्रतिशत अनट्रेंड टीचर्स का इश्यु है। आठ राज्यों में जहां ज्यादा है, वहां हम स्पेशल टीम बना रहे हैं, वह एक टास्क फोर्स जैसा काम करेगी। हम डे-टुडे वाच करेंगे। सबका रजिस्ट्रेशन ढंग से होगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और यह सार्थक शिक्षा होगी। एक बार यह मिशन पूरा हो जायेगा, अगर हम मिनिमम भी नहीं कर पायेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरी रिव्चैस्ट है कि आप इसे विदझा करें।

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No.2 to clause 2 moved by Shri B. Mahtab to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

माननीय सभापति : श्री रवीन्द्र कुमार जेना --- अनुपस्थित।

प्रश्न यह है:

“कि खंड-2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक को पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.28 hours**MOTION RE: 34TH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS**

माननीय सभापति : अब हम गैर-सरकारी विधेयक लेते हैं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

“कि यह सभा 19 जुलाई, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति को चौँतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 19 जुलाई, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति को चौँतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.29 hours**PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced****(i) Population (Stabilisation) Bill, 2017***

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महिलाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु को अठारह वर्ष से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष करने तथा दो बच्चों के मानक और बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर रखने को प्रोत्साहन देने की योजनाओं की देख-रेख करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने, दत्तकग्रहण को प्रोत्साहन देने, ग्रामों में मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने, किसी परिवार के लिए संतान पैदा करने के लिए कतिपय न्यूनतम मानक नीतियां बनाने और तत्संगत या उसके आनुषंगिक विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि महिलाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु को अठारह वर्ष से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष करने तथा दो बच्चों के मानक और बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर रखने को प्रोत्साहन देने की योजनाओं की देख-रेख करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने, दत्तकग्रहण को प्रोत्साहन देने, ग्रामों में मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने, किसी परिवार के लिए संतान पैदा करने के लिए कतिपय न्यूनतम मानक नीतियां बनाने और तत्संगत या उसके आनुषंगिक विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

(ii) Victims of Acid Attack, Sexually Abused and Trafficked Girls and Women (Compensation and Rehabilitation) Bill, 2017*

माननीय सभापति : क्रम संख्या - 48 - डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एसिड हमले, लैंगिक उत्पीड़न अथवा बलात्संग की पीड़िताओं तथा प्लेसमेंट एजेंसियों, दलालों और दुर्व्यापारियों द्वारा बलात् घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने या देह व्यापार करने के लिए कमजोर वर्गों तथा जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्व्यापार की शिकार बालिकाओं और महिलाओं के केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास उपायों और उन्हें पर्याप्त प्रतिकर का भुगतान करने तथा ऐसी सभी पीड़िताओं के लिए कास्मेटिक और अन्य अपेक्षित शल्य चिकित्साओं सहित उपचार की पूरी लागत राज्य द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि एसिड हमले, लैंगिक उत्पीड़न अथवा बलात्संग की पीड़िताओं तथा प्लेसमेंट एजेंसियों, दलालों और दुर्व्यापारियों द्वारा बलात् घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य करने या देह व्यापार करने के लिए कमजोर वर्गों तथा जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्व्यापार की शिकार बालिकाओं और महिलाओं के केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले पुनर्वास उपायों और उन्हें पर्याप्त प्रतिकर का भुगतान करने तथा ऐसी सभी पीड़िताओं के लिए कास्मेटिक और अन्य अपेक्षित शल्य चिकित्साओं सहित उपचार की पूरी लागत राज्य द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.30 ½ hours**(iii) Vexatious Litigation (Prevention) Bill, 2017***

माननीय सभापति : क्रम संख्या - 49 - डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.31 hours**(iv) Prohibition of Publication and Dissemination of objectionable Material and Religion Bill, 2017***

माननीय सभापति : क्रम संख्या - 50 - डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देश में किसी भी रूप में धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि देश में किसी भी रूप में धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.31 ½ hours**(v) Compulsory Teaching of Vedic Education in Educational Institutions Bill, 2017***

माननीय सभापति : क्रम संख्या - 52 - डॉ. सत्यपाल सिंह।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.32hours**PRIVATE MEMBER'S BILL - WITHDRAWN****Special Financial Assistance to the State of Andhra Pradesh Bill, 2015**

HON. CHAIRPERSON: Item No.56 – Shri M. Murli Mohan.

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDARY): I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for special financial assistance to the State of Andhra Pradesh for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Sections of citizens, developing a new capital city at Vijayawada for the State of Andhra Pradesh and for the development, exploitation and proper utilization of its resources.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विजयवाड़ा में नए राजधानी शहर के विकास के प्रयोजनार्थ तथा इसके संसाधनों के विकास, दोहन और समुचित उपयोग के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M. MURLI MOHAN: I withdraw the Bill.

माननीय सभापति : क्रम संख्या - 11 एवं 12 - श्री योगी आदित्यनाथ - उपस्थित नहीं।

16.33 hours**PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced (Contd.)
(vi) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Sub Plans
(Budgetary) Allocation and Special Schemes Bill, 2017***

HON. CHAIRPERSON: Item No.13 – Dr. Udit Raj.

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure speedy removal of social and economic disparity through targeted expenditure on special schemes for the welfare and development of the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है

" कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के लोगों के कल्याण और विकास हेतु विशेष योजनाओं पर लक्षित व्यय के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विषमता को शीघ्र समाप्त करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. UDIT RAJ: I introduce** the Bill.

माननीय सभापति : क्रम संख्या - 14 एवं 15 - डॉ. भोला सिंह - उपस्थित नहीं।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.34 hours**(vii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017*
(Omission of section 124A)**

HON. CHAIRPERSON: Item No.16 – Shri P. Karunakaran.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

" भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. KARUNAKARAN : I introduce the Bill.

16.35 hours**(viii) Employees' Provident Funds and Miscellaneous
Provisions (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 5)**

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.35 ½ hours**(ix) Constitution (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of article 51A)**

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I introduce the Bill.

16.36 hours**(x) Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance)
(Amendment) Bill, 2017*
(Insertion of new section 63A)**

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुस्क्षण) अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.36 ½ hours**(xi) Cervical Cancer (Awareness and Compulsory Vaccination) Bill, 2017***

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिकाओं में गर्भाशय कैंसर के निवारण के लिए जागरूकता पैदा करने, गर्भाशय कैंसर में अनिवार्य टीकाकरण तथा उससे संसक्त विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बालिकाओं में गर्भाशय कैंसर के निवारण के लिए जागरूकता पैदा करने, गर्भाशय कैंसर में अनिवार्य टीकाकरण तथा उससे संसक्त विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महेश गिरी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

16.37 hours

**(xii) Prohibition of Employment as Manual Scavengers
and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of section 31)

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. UDIT RAJ: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.37 ½ hours**(xiii) Constitution (Amendment) Bill, 2017 ***
(Amendment of Seventh Schedule)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce the Bill.

16.38 hours**(xiv) Constitution (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of article 12)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.38 ½ hours**(xv) Constitution (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of article 51A)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Sir, I introduce the Bill.

16.39hours**(xvi) Constitution (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of Seventh Schedule)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.39 ½ hours

**(xvii) Right of Children to Free and Compulsory
Education (Amendment) Bill, 2017 ***
(Substitution of new section for section 27)

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महेश गिरी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.39 ¾ hours**(xviii) Regulation of Private Hostels and Paying Guest Accommodation Centres Bill, 2017***

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निजी होस्टल और पेइंग गेस्ट आवास केन्द्र के विनियमन हेतु बोर्ड का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि निजी होस्टल और पेइंग गेस्ट आवास केन्द्र के विनियमन हेतु बोर्ड का गठन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महेश गिरी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.40 hours**(xix) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017***
(Amendment of section 326A)

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री महेश गिरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.40 ½ hours**(xx) Distressed Widows and Single Women
(Protection, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2017 ***

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि व्यथित, अशक्त, उपेक्षित, परित्यक्त और अन-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखभाल, आवास और अन्य सुविधाएँ प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाला आवश्यकता आधारित पुनर्वास और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि व्यथित, अशक्त, उपेक्षित, परित्यक्त और अन-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखभाल, आवास और अन्य सुविधाएँ प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाला आवश्यकता आधारित पुनर्वास और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.41 hours**(xxi) Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017*
(Omission of section 19)**

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

16.41 ½ hours**(xxii) Representation of the People (Amendment) Bill, 2017*
(Amendment of section 14)**

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

माननीय सभापति : क्रम संख्या 32 - श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 33 - श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 34 - श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 35 - डॉ. मनोज राजोरिया - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 36 - डॉ. मनोज राजोरिया - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 37 - श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 38 - श्री राघव लखनपाल - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 39 - श्री सुशील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 40 - श्री सुशील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 41 - श्री राजीव सातव।

16.43 hours

(xxiii) High Court of Bombay (Establishment of a Permanent Bench at Hingoli) Bill, 2017 *

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिंगोली में बम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि हिंगोली में बम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव सातव: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

माननीय सभापति : क्रम संख्या 42 - डॉ. ए. सम्पत - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 43 - श्री गोपाल शेटी - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 44 - श्री गोपाल शेटी - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 45 - श्री राजीव सातव।

16.43 ½ hours

(xxiv) Paternity Benefit Bill, 2017*

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the employment of men in certain establishments for certain periods before and after becoming a father and to provide for paternity benefit and certain other benefits.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि पिता बनने से पूर्व और उसके पश्चात् कतिपय अवधियों के लिए कतिपय स्थापनों में पुरुषों के नियोजन को नियमित करने तथा पैतृक प्रसुविधा और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAJEEV SATAV : I introduce ** the Bill.

माननीय सभापति : क्रम संख्या 46 - श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश - उपस्थित नहीं।

क्रम संख्या 51 - श्री शंकर प्रसाद दत्ता।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.44 hours**(xxv) Domestic Workers (Regulation of Work and Social Security) Bill, 2017***

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulation of work of domestic workers in order to improve their working conditions and to provide social security to them; setting up of State and District Boards for the purpose and for compulsory registration of domestic workers employers and service providers to such Boards and also for setting up of Domestic Workers Social Fund and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"घरेलू कर्मकारों के कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए उनके कार्यों का विनियमन करने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, इस प्रयोजनार्थ राज्य बोर्ड तथा जिला बोर्ड का गठन करने तथा ऐसे बोर्डों में घरेलू कर्मकारों, नियोजकों और सेवा प्रदाताओं का अनिवार्य पंजीकरण करने और घरेलू कर्मकार सामाजिक निधि की स्थापना करने तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.45 hours**(xxvi) Data (Privacy and Protection) Bill, 2017***

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to codify and safeguard the right to privacy in the digital age and constitute a Data Privacy Authority to protect personal data and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि डिजिटल युग में एकांतता के अधिकार को संहिताबद्ध करने और सुरक्षित रखने तथा व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए डाटा एकांतता प्राधिकरण का गठन करने और उसके विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.45 ½ hours**(xxvii) Fishermen (Protection and Welfare) Bill, 2017***

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the socio-economic protection and welfare of the fishermen of the coastal States of the country by establishing a Welfare Fund for their benefit and for providing adequate life insurance cover against accidents, medical care, financial assistance for fishing nets, boats and other necessities, unemployment allowance during lean periods, free education including vocational education and training to their children and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि देश के तटीय राज्यों के मछुआरों के लाभ के लिए एक कल्याण निधि स्थापित करके मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक संरक्षण और कल्याण तथा दुर्घटनाओं, चिकित्सा देखरेख के लिए पर्याप्त जीवन बीमा कवर, मछली पकड़ने के जाल, नौकाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता, अल्प व्यवसाय की अवधि के दौरान बेरोजगारी भत्ता, उनके बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR : I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

16.46 hours**(xxviii) Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Amendment Bill, 2017*
(Amendment of section 2, etc.)**

SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BALKA SUMAN : I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 21.07.2017

16.47 hours**SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION
(AMENDMENT) BILL, 2015 ...Contd.**

माननीय सभापति : क्रम संख्या 57 - संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा।

श्री निनोंग इरिंग।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं विंसेंट पाला साहब को, जो उन्होंने सिक्स्थ शिड्यूल के संबंध में यह प्रस्ताव लाया है कि किस प्रकार से इसे और सशक्त किया जाए और इसे कैसे और शक्तिशाली बना सके, इसके लिए उन्हें मुबारकवाद देना चाहूंगा कि वे एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं।

हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने हमें शुरूआत तो करने दी, एक घंटा लेट ही सही। लेकिन, कभी-कभी मैं सोचता हूं कि हमारे पार्लियामेंटरी सिस्टम में आपके जो बिल्स या प्रस्ताव आते हैं, उन्हें पारित करने के लिए जो समय-सीमा है, उसमें आप ...* करते हैं, यह गलत बात है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी उनसे मैं गुंजाइश करता हूं।

पाला साहब ने इस प्राइवेट मेम्बर बिल को जो हमारे बीच रखा है, अभी मेघालय में जो 30 सीट्स हैं, उन्हें किस प्रकार बढ़ाकर 40 सीट किया जाए। खनन के विषय में बात यह है कि जिस प्रकार से वहां यूरेनियम है, कोयला है, और बहुत सारे पदार्थों का वहां खनन होता है तो उनकी जो ज़मीनें हैं, उन पर जो अधिकार होता है, वह उनका होता है। इसलिए अगर यहां से संशोधन पारित होता है तो उसकी काउंसिल को यह एक मौका देगा और सशक्त बनने का, और मज़बूत बनने का। जो कस्टमरी रूल्स हैं, कस्टमरी लॉज़ हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जो कानून-व्यवस्था है, हमारे पुराने ज़माने के लोग वहां के असली कस्टमरी लॉज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे अभी भी अरुणाचल प्रदेश में उन्हें दर्ज़ा देते हैं, श्रेय देते हैं कि कस्टमरी लॉज़ को हमें किस प्रकार से पालन करना होगा।

उसमें भी यह चर्चा में आया हुआ है। मैंने देखा कि जिस प्रकार से हमारे ऑटोनोमस काउंसिल में, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में है, जिस प्रकार से उसे घोषित किया गया था, अब उसको शक्तिशाली बनाने के लिए शेर बना दिया गया। वहां के लोकल ट्राइबल्स तथा जनजाति किस प्रकार से अपना स्वयं गवर्नेंस कर सकें। उसमें हमने देखा है कि आपने एक शेर जैसी चीज़ बना दी, लेकिन उसके दाँत तथा पंजे निकाल दिए। इस प्रकार से उसमें पावर ही नहीं रह गया है। आप यहां से जो फंडिंग करते हैं, जैसे पहली बार आपने एक हजार करोड़ रुपये की बात रखी थी, लेकिन इस बार हमने सुना है कि उसमें पाँच सौ करोड़

* Not recorded.

रूपये की कटौती हुई है। आप इसे देख लीजिए कि इसे सशक्त बनाने जा रहे हैं या कमजोर बना रहे हैं। हम चाहते थे कि जैसे बोडोलैंड, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम में जिस प्रकार से ऑटोनोमस काउंसिल्स हो रहे हैं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, अभी सभापति तालिका में से कोई भी सभापति नहीं है। परंपरा के अनुसार जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वे सभा के आसन पर आते हैं और सभा का संचालन करते हैं। अब श्री भर्तृहरि महताब जी सभा का संचालन करेंगे।

16.52 hours

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री निनॉग इरिंग : धन्यवाद, आपको मुबारक हो। जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा था। हमारे अरुणाचल प्रदेश में दो काउंसिल्स के लिए सिफारिश की गई है, एक मॉन ऑटोनोमस काउंसिल है, जो तवांग और वेस्ट कामेंग जिले हैं, वह मांग कर रही है और दूसरा पटकाइ ऑटोनोमस काउंसिल है, जिसमें तीन जिलें तिराप, चांगलॉंग और लॉगडिंग है। जब हम उसमें देखते हैं कि वहां पर जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जनजाति हैं। इसलिए, हम भी मांग कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जनजाति हैं, अगर जनजाति की तरफ से ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड होती है, तो शायद मैं सोचता हूं कि हमारे जैसे पश्चिम सियांग है, पूर्वी सियांग है, ऊपरी सियांग है, सियांग है, दिबांग है, लोवर दिबांग वैली है, लोहित है, अंजाओ है और नामसाय है। अगर आप इसको चार भागों में कर देते हैं, तो उसमें कम से कम डायवर्स नहीं होगा और लोगों में जो भ्रम है, वह नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अलग-अलग प्रांत के जनजाति हैं। इसके लिए एक प्रस्ताव आना चाहिए, एक सिफारिश आनी चाहिए कि एक इस्टर्न पार्ट, एक वेस्टर्न पार्ट और एक मिडिल का पार्ट होगा। इसमें एक संशोधन पारित किया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में भी तीन ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा देने के प्रस्ताव को इस सदन में पारित करना चाहिए।

इस सदन में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो त्रिपुरा से आते हैं, जहां उनका अपना ऑटोनोमस काउंसिल है। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि हमारे यहां जो चाकमास जनजाति है, चाकमास जनजाति बंगलादेश से आए थे। ये शरणार्थी थे और उनको अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया। हाल ही में उनको नागरिकता भी दिया गया। हम उनके नागरिकता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि वर्ष 1873 बंगाल फ्रंटियर रैग्युलेशन के मुताबिक उस समय अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था। वहां की जो जनजाति है, उन्हीं को वहां की जमीनों के क्लेम का श्रेय मिलता है। अभी उन्होंने कहा कि चकमाज को भी अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति के रूप में मानना चाहिए और जो अभी एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें उनको बसाना होगा। मैंने कहा कि जो चकमाज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। भारत सरकार ने उनको नागरिकता दी, बहुत ही अच्छा है। हम भी स्वीकार करते हैं, इतने साल हम उनको शरणार्थी माने हैं, लेकिन उसका यह

मतलब नहीं हो कि हमारी जमीन, वहां की नौकरियां, वहां की जो समस्याएँ हैं, अभी आप देख सकते हैं कि हाल ही में उन इलाकों में कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हमारी वहां जनजाति की आबादी बहुत कम है, वह जस्ट डबल हो जाती है। उसकी जो एथनिक समस्या है, वह बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर चकमा 1 लाख 50 हजार हो जाता है और वहां की जनजाति सिर्फ 30 हजार है, तो वे उसको ओवर पॉपुलेटेड कर देंगे।

अभी मिजोरम में हाल ही में एक चर्चा चल रही है, मिजोरम में उनको एक ऑटोनामी दी गई है, उनको वहां की नागरिकता दी गई है। वहां के बच्चे जब वहां के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एपीयर करते हैं तो उनका पूरा कोटा ओवर लैप कर देते हैं। जो चकमाज हैं, उनकी जो शिक्षा होती है, उनकी परवरिश सब बाहर होती है, फॉरेन कंट्रीज में भी होती है, क्योंकि **they are recognised as refugees through out the world**. उसमें क्या हो जाता है कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं, वे उसको कंपीट नहीं कर पाते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है और हम उसे अरुणाचल में नहीं लाना चाहते हैं।

जितेन्द्र चौधरी जी ने कहा कि आप उनको स्वीकार कीजिए, उनको दर्जा देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि हम उनको पूरा दर्जा देंगे, नागरिकता की मान्यता देते हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार कर लीजिए। हमने उनको 40-50 साल अरुणाचल प्रदेश में शरणार्थी माने हैं, आप उनको ले जाइए। आप त्रिपुरा ले जाइए, मिजोरम ले जाइए, पूरे इंडिया में उनको फैला दीजिए। अरुणाचल में देना है या उनको वहां बसाना है, मैं उस विषय में टिप्पणी नहीं कहूंगा। आप देख सकते हैं कि आपका एक कानून है, बंगाल फ्रंटियर रेग्युलेशन 1857 में कहा गया है कि जो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में उस समय बसी है, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, उन्हीं लोगों का वहां रहने और वहां की सुविधा लेने का हक होता है। इस चीज को मैं इस सदन में व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि चकमा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यह इतना गंभीर विषय है कि हमको वे ओवर पॉपुलेटेड कर देंगे।

आप देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, उसका एरिया 83,000 वर्ग किलोमीटर है, इक्विवेलेंट टू असम, लेकिन आबादी उसमें सिर्फ 11 लाख है। यह जो चकमाज हैं, अभी उनकी आबादी जब पहले आई थी, तब करीब 20 हजार थी। अभी अनऑफिशियल फिगर्स में दो लाख तक पहुंच गए हैं। आप सोचिए कि अगर ग्रेजुअली इनको पूरा दर्जा दे देते हैं, तो बांग्लादेश के जितने चकमाज भी आ जाएंगे और चाहे वह मिजोरम के हो, त्रिपुरा के हो, क्योंकि अरुणाचल में जमीन है, वहां वे सब जाकर बस जाएंगे और वहां के जो स्थानीय नागरिक या जनजाति हैं, उन पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट होगा, एथनिक इंपैक्ट होगा। जिसमें शायद हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। इसलिए जो चकमा का इश्यू है, इसमें हमारे जो वहां के स्टूडेंट आर्गनाइजेशंस हैं, वहां की जितनी जनजाति है, वे सब इसका विरोध कर रहे हैं। जो सिक्स्थ शेड्यूल

में हमें बोलने का मौका मिला है, तो मैं यही कहूंगा कि जो चकमा इश्यू है, इसको पूरी तरह से भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा।

एक और समस्या हमारे यहां आती है। हमारे यहां कुछ जनजाति तिराप, चांगलांग और लौंगडिंग में हैं। उसमें जैसे उनको दर्जा दिया जाता है, नाक्ता, योबीन, युक्ता, टांगसा, वांग्चु और टांगुल ये पांचों जनजाति अरुणाचल में बहुत पहले से बसी हैं और अरुणाचल के ही नागरिक हैं। लेकिन उस समय जब संशोधन हुआ था, जब शिड्यूल बनाया गया था, उस समय उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उस समय उनको अदर नागा टाइप का दर्जा दिया गया, नागालैंड के जो जनजाति हैं हम उनके खिलाफ नहीं बोलते, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहस भी किया है, जो अल्ट्राज हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप नागा के खिलाफ क्यों हैं। मैंने कहा कि मैं किसी भी जनजाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप को टांगुल कहते हैं, सेमा कहते हैं, अंगानी कहते हैं, हमारे यहां के जनजाति को किस नाम से दर्जा देंगे। उनकी भी एक जाति होनी चाहिए। उनको आप सिर्फ अदर नागा ट्राइब्स बोल कर नहीं रह सकते। जब यूपीएससी में हमारे यहां के बच्चे ऐग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप किस जनजाति के हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है, वह अदर नागा ट्राइब्स हैं, *What other Naga tribes? Are you a Sema? Are you a Tangkhul? Are you an Ao? Are you an Angami?*

उसका कंपिटिटिव एग्जाम में भी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है, चाहे केन्द्र सरकार की नौकरी हो या रेलवे की हो या आर्मी की हो या पैरामिलिट्रीज की हो, सभी जगह उसको रिजेक्ट किया जाता है। इस विषय में मैंने कई मंत्री जी को भी कहा है, जुएल ओराम साहब को पिछले समय से जब मैं अरुणाचल प्रदेश में एमओएस था, उस समय वह यहां मंत्री थे, उस समय हमने भी इस प्रस्ताव दिया था, उसके बाद यूपीए की सरकार आई, फिर भी उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ, आप जरा सोचिए, हम इसके लिए 40 साल से लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक वह दर्जा नहीं दिया गया।

17.00 hours

इस बार रजिस्ट्रार का लिखा हुआ पूरा हो गया है, इस बार हम सोच रहे थे कि इस सत्र में पारित हो जाएगा, ये लोग दुख तकलीफ में जी रहे हैं, उनको पांच दिन-सात दिन पैदल मार्च करते हैं और सांप के बीच में रह रहे हैं, उनको भी एक इंसानियत के रूप में मान्यता देना चाहिए। दो साल पहले वर्ष 2015 में दो गोपनीय बात निकली थी जिसका जिक्र शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी है। यूपी के चुनाव में उन्होंने लोगों से कई बार पूछा कि एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गुप्त बात है, बाहुबली को कट्टपा ने क्यों मारा? उस सवाल का जवाब मिल गया, क्यों बाहुबली को कट्टपा ने मारा, लेकिन अभी भी दूसरा गोपनीय चीज अरुणाचल प्रदेश के लिए है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी है।

केन्द्र सरकार और नागालैंड के एनएससीआईएन के बीच में एक समझौता हुआ था और वह अभी भी गोपनीय है। अब दो हाल हो चुका है और किसी को भी पता नहीं है। गृह राज्य मंत्री हमारे अपने इलाके के हैं। मैंने उनसे पूछा, **What is that accord?** क्या अरुणाचल के नागा डोमिनेटेड एरिया को देंगे या मणिपुर के डोमिनेटेड एरिया को देंगे, असम के डोमिनेटेड एरिया को देंगे, उसमें चर्चा होती है लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने समझौता किया है उसका श्रेय हम आपको देते हैं, यह अच्छी बात है लेकिन एनएससीआईएन और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है तो अस्पा की अरुणाचल प्रदेश में क्या जरूरत है या नागालैंड में क्यों जरूरी है या मणिपुर में क्यों जरूरी है? उसमें जो समझौता था कि जो अंडरग्राउंड लोग वे ओवरग्राउंड आना चाहते हैं। उसमें समस्या ही नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश तो वैसे भी पीस लविंग स्टेट है। वहां लोगों पर फाल्स एनकाउंटर में अटैक होता है। एनएससीएन वाले मसले को ही सुलझा दिया है तो एसमा क्यों जरूरी हैं। इसे क्यों लागू करना है? यह तो ऐसा ड्रकोनियन लॉ है कि इसे हटा देना चाहिए। **It should be repealed.** मैं तो यही कहूंगा कि एएफएसपीए को रिपील करना चाहिए और उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें दूसरे लोगों का एडवांटेज मिलता है। माननीय मंत्री जी का अरुणाचल प्रदेश के विषय पर बहुत तजुर्बा है, **We have to appreciate him also.** उनका बहुत कन्ट्रीब्यूशन है।

HON. CHAIRPERSON: You can move ahead to the next point. You have already taken 20 minutes. It is all right. Move ahead.

SHRI NINONG ERING : I will not take much time because we have already spent one hour and there are other speakers also. मैं अब कर्म की बात कहना चाहूंगा। मैं कभी उत्तेजित हो जाता हूँ, अभी चीन की समस्या की बात हुई है, **It is not connected with the 6th Schedule.** लेकिन जब जनजाति की बात आती है, चीन में भी वैसे ही लोग हैं जैसे हमारे यहां हैं। वहां चीनी भाषा बोलते हैं। इदु जाति है, यहां भी है। वहां बोकार है, यहां भी बोकार जाति है। वहां अपनी भाषा बोलते हैं, यहां भी अपनी भाषा बोलते हैं लेकिन वहां के लोग चीनी बोलते हैं और यहां के लोग हिन्दुस्तानी बोलते हैं, हिन्दी बोलते हैं और इसी से पहचाने जाते हैं कि वह चीनी हैं या इंडियन हैं। कई बार उनको पकड़कर दिल्ली तक लाना पड़ा है, **They had to be taken back to China.** आप उस इलाके के

लिए कुछ सोचिए। आप विश्वास नहीं करेंगे पांच-सात दिन तक चलना पड़ता है। विजयनगर एक जगह है, जहां योबिन्स रहते हैं, वहां कितने कट में आना पड़ता है। सात दिन जाने में और सात दिन आने में लगते हैं। जब वहां से लोग आते हैं तो कभी-कभी बीमारी में देहांत हो जाता है और उनका अंतिम क्रियाकर्म भी रास्ते में ही करना पड़ता है। That is so unfortunate. हम किस आधुनिक युग में हैं, इसे भी सोचना चाहिए।

यद्यपि सम नहीं राग न रोषू
गहर्हि न पाप पुण्य गुन दोषू।
करम प्रधान बिस्व करि राखा
जो जस करै सो तय फल चाखा।

यहां पर हम जैसे सब सांसद हैं इसलिए हमारे लिए भी सोचिए। मैं यूपीए सरकार, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहूंगा, वहां के लोगों के लिए कहूंगा। आप कहते हैं कि हम चीन के साथ लड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वहां क्या पोजीशन है। यहां माननीय मंत्री, हमारे छोटे भाई आ गए हैं। आप गेलन में जाइए, आप किबित्तु में जाइए, चकलाहम में जाइए, तवांग में जाइए। About Tawang, we can say that it is slightly updated. आप इसके खिलाफ हैं, हमेशा इस मुद्दे को लेते हैं, वहां बोफोर्स गन नहीं होती तो उन इलाकों में कोई और बंदूक ही नहीं चल सकती है। आप टैंक की बात कह रहे थे कि आप लांगेस्ट ब्रिज पर टैंक चलाएंगे। आप जानते हैं कि अनिनी कहां है, रोइंग कहां हैं, मायुडिया कहां है, ये सब पर्यटक जगह हैं। यहां के लोग अभी उभरकर आए हैं, अभी समय लगेगा। But you have to give them respect; you have to give them some love and affection.

मेरा कहना है कि अगर वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसे लोग कितने दिन तक सह सकेंगे। ऐसा न हो कि हमारे प्रिय दोस्त और छोटा भाई किरन रिजीजू, जो यहां बैठे हैं, हम दोनों अलग हो जायें। आज छोटे-छोटे राज्य गोरखालैंड, बोडोलैंड, त्रिपुरा, जो हमारे एक जिले के समान भी नहीं है, एक अलग राज्य मांग रहे हैं। अगर वे अलग राज्य मांगते हैं तो हम क्या अरुणाचल को 50-50 नहीं मांग सकते? हम भी मांग सकते हैं, क्योंकि वहां कोई विकास नहीं हो रहा है, रोड्स नहीं बन रही हैं। आप वहां जाकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन लोगों की दुख-तकलीफ दूर नहीं हो रही। जो लो सीमाओं में आर्मी के साथ रहते हैं, वे भारत की अखंडता और एकता को आगे ले जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जितने राष्ट्रवादी हैं, उतने शायद भारत में कोई नहीं होंगे। हम अभी भी लोगों को जय हिन्द कहकर पुकारते हैं। अब जयहिन्द का मतलब है कि हम भारतीय नागरिक हैं। अब चाहे चीन आये, पाकिस्तान आये या कोई भी देश आये, हम उनसे लड़ने के लिए आपके, आर्मी, जवान और फौजियों के साथ हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि विनसेंट एच. पाला जी जो सिक्स्थ शैड्यूल का प्रस्ताव लाये है, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। इसे और शक्तिशाली बनाना होगा। हमने जो मोन डिस्ट्रिक्ट, पटका रीजन और एक अलग सेंट्रल अरुणाचल का प्रस्ताव रखा है, उसमें भी सिक्स्थ शैड्यूल लागू करना चाहिए, ताकि वहां के लोग अपने विकास के कार्यक्रम को स्वयं आगे बढ़ायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, आज हम लोगों के लिए यह सुखद है कि वरिष्ठता और विद्वता के आधार पर आप पदेन सभापति के आसन पर विराजमान हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ।

सभापति महोदय, आज निजी विधेयक पर चर्चा चल रही है, जो संविधान की छठी अनुसूची संशोधन से संबंधित हमारे सम्माननीय साथी विनसेंट एच.पाला जी द्वारा लाया गया है। इस चर्चा में हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। यह विधेयक, जिस पर चर्चा कराई जा रही है, आदिवासी से संबंधित है, जो भारत के 12 करोड़ लोगों से विशेष सम्बन्ध रखता है।

जैसा कि इस बिल में उद्धृत है कि जब आदिवासी शब्द आता है, अगर उसे परिभाषित किया जाये, तो आदिकाल से जिसकी बसावट हो, वही आदिवासी है। आदिकाल से बसावट पर चर्चा शुरू होगी, तो हम सब आदिवासी थे। उस समय स्कूलों की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, मानव की सभ्यता आज की सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। जब भी मानव का सृजन हुआ, वह प्रकृति के किनारे हुआ, चाहे वह जंगल, पहाड़, नदी या जो भी प्रकृति से संबंधित क्षेत्र रहा हो। उनके ही किनारे मानव सभ्यताएं पैदा और विकसित हुईं। ज्यों-ज्यों मानव का विकास होता गया, त्यों-त्यों उस पर आधिकारिक प्रयोग करने के लिए नये-नये संविधान, नियम और कानून बने। जब संविधान परिभाषित नहीं था, तब भी संविधान एक था। आज अगर परिभाषित संविधान में जितनी धाराएं लागू की गयी हैं, क्या वह उस संविधान का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। संविधान में यह प्रावधान है कि धारा 302 के मुजरिम को फांसी की सजा हो जाये, तो क्या फांसी इस देश में नहीं हो रही है या हत्या होना बंद हो गयी है। ऐसी बहुत सारी धाराएं जो आज भी लागू हैं, जिन पर कठोर नियम हैं, उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है।

जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हमें मानव सभ्यता के इतिहास को भी देखना पड़ता है और मानव सभ्यता का इतिहास यह है कि जब से मानव का सृजन हुआ, मानव एक ऐसा प्राणी है कि चींटी से लेकर हाथी तक पर उसका आधिपत्य है। व्हेल मछली विश्व का सबसे बड़ा प्राणी या जलचर है, उस पर भी मानव ही आधिपत्य स्थापित करता है, क्योंकि मानव के पास अपना विवेक और ज्ञान है। जब ज्ञान पर अतिक्रमण हुआ, सभ्यता और संस्कृति पर अतिक्रमण हुआ, तभी कहीं न कहीं मांग के रूप में संविधान बने, चाहे वह आज का संविधान हो या ब्रिटिश औपनिवेशिक संविधान हो। आज यह जो चर्चा हो रही है, इस पर हमारे साथी बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं मुगलकाल को छोड़कर, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आता हूँ और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यही था। भारत की भारतीयता, महान संस्कृति, यहां के प्रकृति प्रेमी लोगों की चर्चा, भारत के जंगल, पहाड़ और वनों से आच्छादित भूमि और लोगों के बीच की सभ्यताएं, उनके ज्ञान, उनका जड़ी-बूटियों का ज्ञान आदि सारी

चीजों की पूरे विश्व में जब चर्चा हुई तो कहीं न कहीं उनसे प्रभावित होकर टॉमस रो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। उस समय यहां जहांगीर का शासन था।

उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ फ्रांसीसी लोगों ने बताया कि भारत एक ऐसा देश है, जहां प्राकृतिक विरासत है। उस समय मसाले बहुत होते थे और वे उसी क्षेत्र में होते थे, जिनको आज आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है। उस प्राकृतिक विरासत को लालच भरी नजरों से देखकर वे यहां पर आए। उस समय उनके मन में एक कौतुहल आया कि पहले हमें यहां व्यापार के माध्यम से प्रवेश करना है। वे लोग व्यापार के माध्यम से यहां आए। जैसा आप सभी जानते हैं कि उसके बाद लार्ड क्लाइव के नेतृत्व में चार हजार लोग ही आए और उस समय भी इस देश की आबादी लगभग 30 से 35 करोड़ थी, लेकिन उस समय पूरे देश में एक ऐसी स्थिति आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी जमीनों पर, वन आच्छादित क्षेत्रों पर, हमारे लोगों पर चाहे वे आदिवासी लोग रहे हों या उनसे थोड़ा अलग रहे हों, उन सभी पर मानसिक रूप से कब्जा करना प्रारम्भ किया।

उन पर मानसिक रूप से कब्जा करने के बाद उन लोगों ने हमारे भौगोलिक संसाधनों पर कब्जा किया। जो उस समय हमारे धनाढ्य वर्ग थे, उनको आपस में एक-दूसरे से उलझाकर उन पर कब्जा करना प्रारम्भ किया और फिर जब वे यहां पूर्ण रूप से काबिज हो गए, तो अपने औपनिवेशिक शासन को बढ़ाने के लिए और उसे चलाने के लिए उन्होंने कर लगाने की व्यवस्था की। करों की व्यवस्था लागू करने के लिए उस समय वह एक क्राउन प्रणाली लेकर आए। इसमें उनकी वह छिपी हुई योजना थी, जिसमें आगे चलकर युगल प्लान के नाम से छिपा हुआ रहस्य था। इसे रेजिनाल्ड कूपलैण्ड की रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने देखा कि ये आदिवासी लोग प्रत्यक्ष कर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी लोग थे, हमेशा जंगलों और पहाड़ों के बीच रहते थे, इसलिए कैसे उनके ऊपर हम कर न लगाकर भी, उनकी जो मूलभूत पूंजी है, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, उन पर कैसे आक्रमण करें। इसका प्लान रेजिनाल्ड कूपलैण्ड के माध्यम से तैयार किया जाता है। उस प्लान के अन्तर्गत औपनिवेशिक शासन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया। फिर उसमें जब बात आगे बढ़ती है तो उन प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों को आगे पेश करते हैं, कबीले और आदिवासी प्रमुखों की मध्यस्थता के माध्यम से यह काम किया जाता रहा। उस समय भारत सरकार के अधिनियम संख्या 151 के अनुसार उन्हें पिछड़ा क्षेत्र के रूप में एक मान्यता दी जाती है और उस मान्यता के आधार पर वर्ष 1935 की ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत सरकार ने वर्ष 1935 में उन्हें आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में बदल दिया।

इस समस्या की शुरूआत यहां से होती है कि उनको बहिष्कृत क्षेत्रों में बदल कर फिर अघोषित रूप से उनकी मूलभूत पूंजी पर अतिक्रमण की व्यवस्था कर दी गयी। उस समय की जो बेशकीमती जड़ी-बूटियां थीं, उस समय बहुत ही चालाकी और कुटिल दृष्टि से वे उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी

रहते हैं। वे ऐसे प्रकृति प्रेमी रहते हैं कि जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो बरबस ध्यान जाता है कि जो प्राचीन काल था, जब सभ्यता जन्म लेती है, हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि भारत के 13 टुकड़े किये गये हैं, जब हम भारत के इतिहास को आदिकाल से अध्ययन करते हैं, प्रमाणों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसके 13 टुकड़े किये गये हैं। हम अपनी उस विरासत को देखते हैं तो आज अतिक्रमण करके और जब उस समय औपनिवेशिक काल आगे बढ़ता है तो वे डायरेक्ट कर न लेकर, वहां के जंगलो, खदानों, पहाड़ियों, जड़ी-बुटियों पर अप्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों को बहिष्कृत कॉलोनी में डाल कर उस पर अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। समस्या की शुरुआत वहां से हुई। जब समस्या की शुरुआत वहां से हुई तो आज जिस पर चर्चा की जा रही है, अगर परिचर्चा को और पीछे ले जायें, जब वाकई हमारा आदिकाल था तो आदिकाल में एक सभ्यता मानव सभ्यता थी। जब एक धर्म था, वह राजधर्म और राष्ट्रधर्म था। जब राष्ट्रधर्म था और आज जब भी इसकी चर्चा होती है, तो कुछ लोगों ने इस देश में न जाने कौन-सा इतिहास पढ़ा है, उन्हें साम्प्रदायिकता की बू आ जाती है और जब राजधर्म था, राष्ट्रधर्म था और उस धर्म के अधिष्ठाता के रूप में, उस धर्म पुरोधा के रूप में एक व्यक्ति का नाम आता है और वह नाम राजा राम का नाम है। राजा राम का जब इतिहास देखा जाता है, तो वह इतिहास आदिवासियों से शुरू होता है। 13 वर्ष के राजा राम उस समय राजकुमार राम के रूप में अपने पिता के आदेशों का पालन करने के लिए जब वे आदिवासी क्षेत्रों में निकलते हैं, वनवासी क्षेत्रों में, गिरवासी क्षेत्रों में उस समय उन्होंने वनवासी क्षेत्र के लोगों को गले से लगाया। उस समय रुढ़िवादिता के आधार पर, छुआछुत के आधार पर, अगड़ों-पिछड़ों की बात की जा रही है, उस समय केवल एक धर्म था और वह राजधर्म था, राष्ट्रधर्म था, जब केवल उजड़ों के धर्म का पालन करते हुए, उस समय के आदिवासी लोगों को भरपूर मान्यता देने का काम किया। जिस मान्यता से हम संसद में चुनकर आए हैं, उस विचारधारा को अंगीकार करते हुए ईमानदारी से लागू किया है।

हमारा संविधान पंथनिरपेक्ष है। कुछ लोग पंथनिरपेक्ष को भी धर्म से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म और पंथ की संविधान में अलग से व्याख्या की गई है। उस समय की जो परम्परा थी, उस राजधर्म के आधार पर राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम वनवासी, गिरवासी लोगों के बीच में जाते हैं, भिलनी का झूठा बेर खाते हैं कि वह उनकी आदिवासी माँ थीं। उनका जूठा बेर खाकर उनको पूरा अधिकार देते हैं कि नहीं इस बेर पर, इस पहाड़ पर, इस जंगल पर, आपका ही अधिकार है। हमारी यह परम्परा बहुत पुरानी रही है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम उन्हें अधिकार देते हैं तो उस समय कोई राजा-रजवाड़ा सहयोग नहीं करता है। उस समय यही आदिवासी लोग जो भोले-भाले लोग हैं, यही गिरवासी लोग जिनका मस्तिष्क, हृदय साफ रहता है, वही उनकी सहायता भी करते हैं और तमाम संघर्षों के बीच से राष्ट्रधर्म के रूप में राजा राम की जब मान्यता प्रदान करते हैं, उस समय दुनिया में एक धर्म था, एक जाति थी, उस

समय देखा जाए तो मानवता ही जाति थी, मानवता ही धर्म था और ऋग्वेद की ऋचाओं को भी जब हम उद्धृत करते हैं तो उसमें भी कहीं जाति व्यवस्था का जिक्र है, तो वह केवल मानवता ही थी। मानव और मानवता की जब बात करते हैं, उस समय हमारा मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाता है कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं।

हमारे आदिवासी क्षेत्र की क्लाइमेट कंट्रोल की जैसी परम्परा रही है, हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी जब पेरिस में लगभग 153 देशों के साथ सबसे आगे बढ़कर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, वह समझौता क्लाइमेट कंट्रोल का था। जब पर्यावरण बचाने की बात आती है तो यही असम, यही मिजोरम, यही नागालैंड, यही अरुणाचल प्रदेश, यही सिक्किम आदि प्रदेश सबसे बड़ा योगदान उसमें निभाते हैं। आज भी वे क्षेत्र प्रकृति खूबसूरती से परिपूर्ण हैं। वे क्षेत्र आज भी प्रकृति प्रेमी व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। इस आधार पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने उन क्षेत्रों को अपना कर सबका साथ, सबका विकास करने के साथ-साथ वसुधैव कुटुम्बकम की एक नई परिभाषा लिखने में सशक्त हस्ताक्षर करने का काम किया है। वसुधैव कुटुम्बकम की परिभाषा थी कि आज ग्लोबल विलेज की भी चर्चा शुरू हो गई। यह प्रथा हमारे यहां बहुत पुराने समय से थी, जब इन्हीं आदिवासी लोगों द्वारा स्थापित कानून और संविधान था। इसे आगे बढ़ाकर जब प्रधान मंत्री जी 153 देशों के साथ हस्ताक्षर करके आगे आते हैं और फिर हम अपने आपको प्रमाणित करते हैं कि हम राष्ट्रधर्म और राजपुरुष भगवान राम का आदिवासी और गिरवासी के प्रति जो प्रेम का सिद्धांत था, उसमें कल भी कायम थे और आज भी कायम हैं। उस प्रेम को आगे बढ़ाते हुए संविधानिक ढांचे के रूप में देखते हैं, तो देश के प्रधान मंत्री की स्पष्ट नीतियां सामने आती हैं। जब रेल बजट आया था, उस समय बहुत-से सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। लगभग चार हजार करोड़ रुपयों से ऊपर का बजट देकर इन्हीं आदिवासी और वनवासी लोगों के विकास की नई आधारशिला रखने का प्रयास किया है।

अभी हाल ही में हमारे सम्मानित देश में संविधानिक राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। पूर्वांचल के अरुणाचल और मिजोरम तथा नागालैंड के कई सदस्यों ने हमारी सरकार के मुखिया को धन्यवाद दिया कि हमारे यहां वोटों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी हमसे वोट देने के लिए कहा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और इन भोले भाले लोगों ने, प्रकृति प्रेमी लोगों ने अपना प्रमुख योगदान दिया। इन्होंने आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया है।

अधिष्ठाता महोदय, आप कटक से आते हैं। जब कटक की बात आती है, तो नेताजी सुभाष चन्द्र का नाम बरबस जुबान पर आ जाता है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है कि उनका खनिज पदार्थों पर भी अधिकार होना चाहिए। उनका वन आच्छादित क्षेत्रों पर अधिकार होना चाहिए। विश्व के इतिहास में पराजित हुई सेनाओं का पुनर्गठन करके अगर किसी एक योद्धा ने किसी लड़ाई को अंजाम दिया है, तो

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने दिया है जो असम से बर्मा की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, तो इन्हीं लोगों ने, जिनके बारे में आज चर्चा की जा रही है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, eight hours' time that was allotted for discussion on the Bill is almost exhausted. As there are eight more Members to take part in the discussion on the Bill, if the House agrees, the time for discussion on the Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time is extended by one hour.

श्री शरद त्रिपाठी: जब इस विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान आदिवासी लोगों पर जाता है। यदि वर्ष 1943 के इतिहास को देखा जाए तो असम के लोग, मिजोरम के लोग, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लोग, जो पहाड़ों के बीच रहते थे, जो नदियों झरनों के बीच रहते थे, जिन्हें खदानों की परिभाषा भी नहीं पता थी, लेकिन मानवता की परिभाषा उन्हें पता थी। उन्हें पता था कि वे भारतीय हैं और भारत की आजादी के मतवाले का साथ देना है। उन्होंने साथ दिया था। उस समय बाढ़ आ गई, प्रकृति ने भी उस समय साथ नहीं दिया। नहीं तो वर्ष 1947 का इतिहास जो है, वह इतिहास वर्ष 1943 में हो जाता। विश्व की 9 देशों की सरकारों ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें मान्यता भी प्रदान कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले अंडमान-निकोबार पर कब्जा करने का काम किया।

जब हम इतिहास में जाते हैं, तो बरबस यही विषय सामने आता है कि आदिवासी-गिरिवासी लोग कितने महान लोग थे। उनकी कबिलाई पद्धति में भी उनकी महानता थी। वे अपने समाज-देश-संस्कृति के प्रति दृढ़ थे। यदि हम उसको आज के संवैधानिक ढांचे में मान्यता देना प्रारम्भ करें, तो यह श्रृंखला बहुत लम्बी हो जाएगी। जब श्रृंखला आगे बढ़ेगी, तो जैसे बोडोलैंड की बात हुई, इससे आगे श्रृंखला बढ़ी तो संरक्षणवाद की बात भी आयी, उसमें बहुत-सी बातें आएंगी। इसका समाधान एक ही है कि हम फिर से भारत की भारतीयता पर भरपूर चिन्तन कर लें, उस पर एक बार अध्ययन कर लें तो जो इस चर्चा का विषय है, जो चीजें इस चर्चा में आयी हैं, उनका निराकरण हो जाएगा और ऐसा हुआ भी है।

जब-जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, तो एक नया इतिहास और गौरवशाली इतिहास उन आदिवासी-वनवासी लोगों को देखने को मिलता है। राजस्थान के एक क्षेत्र में आज भी कुछ जनजातियाँ रहती हैं। हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसमें राणा सांगा की बात आती है और कुछ पंक्तियाँ बरबस याद आ जाती हैं- “अस्सी घाव लगा था तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में।” यह किसके लिए कहा गया था। उस समय के जनजाति लोग ही उनको राजा बनाकर उनको स्थापित किये थे और उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई के लिए, उनके राष्ट्र धर्म की लड़ाई के लिए, उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जब

उन्होंने युद्ध किया था, तो उन्हीं लोगों ने उनके घावों पर जड़ी-बूटी लगाकर उसे ठीक किया था। उसी समाज के लोगों ने राणा प्रताप की अगुवाई में एक नये अधिकार की लड़ाई लड़ी, भारत के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, तो जो खदानों के बीच में रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, वे अपनी जड़ी-बूटियों के ज्ञान से उनका भी साथ देते हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ उनके पास खजाना था, उसे भी अर्पित करके भारत के स्वाभिमान के साथ खड़े होते हैं।

अभी श्री निनोंग इरिंग जी यहाँ पर नहीं हैं। मुझे अरुणाचल प्रदेश जाने का अवसर मिला। यह सुनकर आज भी हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत के अन्य भू-भागों में उतना जश्न नहीं मनाया जाता होगा, जितना अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वहाँ के लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने आज भी इन दोनों दिवसों को एक त्योहार की मान्यता प्रदान किये हुए हैं। वे यही आदिवासी-गिरिवासी लोग हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, उस क्षेत्र में 26 जनजातियाँ हैं। वहाँ प्रत्येक जनजातियों के अपने कबिलाई नियम हैं, अधिनियम हैं और उसी से वे शासित करते हैं। यदि उसमें कोई थोड़ा भी व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ये लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है, जब भारतीयता की बात आती है, तो सबसे अधिक गुणगान वे भारत और भारतीयता की करते हैं। वे लोग चीन से सटे भागों में हैं, फिर भी वे भारत का ही गुणगान करते हैं। चाहे वे असम के हों, सिक्किम के हों, मिजोरम के हों, नागालैंड के हों, उनकी स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समस्याएँ हैं, लेकिन आज उनसे पूरे भारत के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जब कभी भी इन भोले-भाले लोगों के स्वाभिमान को छेड़ा गया है, तभी उन्होंने अलग मांग रखी है। नहीं तो, उनकी मांग हमेशा एक राष्ट्र, एक हिन्दुस्तान, एक संविधान और एक विधान की रही है। वे स्वयं दाता प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर इस सृष्टि में स्थायी है। जब-जब कोई प्रकृति के साथ रहा है, तो प्रकृति उसको आगे ले गयी है।

यदि इतिहास को देखा जाए। आज यहाँ पर बलूचिस्तान की बात भी आयी थी। वहाँ पर एक ऊँझा घाटी है। उस घाटी में आज भी एक ऐसी प्रजाति है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके कबिलाई सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम उनको खदानों में स्थान दें, कैसे उनको जंगल-जमीनों में स्थान दें, तो जब हम विश्व-इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यह जानकर हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट के लोग, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से वहाँ की समस्याओं से ग्रसित हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों द्वारा वोट की राजनीति के आधार पर, जैसा कि इसमें उद्धृत है, चूँकि उसकी चर्चा हमारे विद्वान साथियों ने विभिन्न प्रकार से की है। हमारे बहुत से विद्वान साथियों ने इसकी चर्चा बहुत तरीकों से की है, इसलिए मैं उस चर्चा से अलग, उसके भाव पर जा रहा हूँ। उसके ऊपर

संवैधानिक दृष्टिकोण से चर्चा की गई है, लेकिन जब हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें उसके भाव का पता चलता है।

अधिष्ठाता महोदय, हमें बलूचिस्तान में भी देखने को मिला कि वहाँ एक 'ऊँझा घाटी' है। जब मैंने उस 'ऊँझा घाटी' के इतिहास को देखा, तो पाया कि 103 वर्षों पहले विगत 200 वर्षों तक वहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। 65 वर्ष की अवस्था में भी आज वहाँ की हमारी माताएं-बहनें प्रेग्नेंट होती हैं। जब हमने उसे और गहराई से देखा, तो पता चला कि आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा जो स्थापित मान्यताएँ थीं, जो प्रकृति प्रेम था, जो प्रकृति से आच्छादित रहन-सहन-चलन और खान-पान का तरीका था, उसी का आज वे लोग पालन कर रहे हैं। वे इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हम पीने के पानी के लिए आर.ओ. सिस्टम पर आ चुके हैं। आर.ओ. सिस्टम पर आने के बाद हमने कहा कि अब हमें स्प्रिंग-वॉटर चाहिए। स्प्रिंग-वॉटर के जरिए आज हम फिर से अपनी उस पुरातन आदिवासी संस्कृति पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि झरने का पानी सब से उपयुक्त है। यह झरने का पानी हमारे नॉर्थ-ईस्ट और बाकी के आच्छादित क्षेत्र जैसे जंगल, खाद्यान और पहाड़ों में बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, जब हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ एक ही बात आती है कि आज जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस चर्चा में एक विशिष्ट स्थान ज्ञान का था। हम उस ज्ञान के बल पर पूरे विश्व में अपना एक आधार रखते थे। उस ज्ञान के जरिए पूरे विश्व के प्रति हमारा एक दृष्टिकोण होता था। विश्व के सभी लोग हमारे उस ज्ञान का अनुकरण करते थे। यह आदिकाल की बात हो रही है। यह चर्चा करीब बारह करोड़ आदिवासियों से संबंधित है। जब आदिकाल और आदिवासियों की चर्चा होती है, तो विशाल भारत की चर्चा उसमें से अपने आप निकल आती है। उस विशाल भारत में ऐसी चीजें थीं, जो आज हमारे पास नहीं हैं, जैसे तक्षशिला, दक्षिण भारत की एक यूनिवर्सिटी और एलेग्जेन्द्रिया यूनिवर्सिटी थी, जो अरब से संबंधित थी। ये तीन यूनिवर्सिटीज़ ज्ञान का खजाना थीं, जिनमें सब से बड़ी दो यूनिवर्सिटीज़ मेरे क्षेत्र में थीं। वे दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ प्रकृति पर आधारित ज्ञान के आधार पर चलती थीं।

अधिष्ठाता महोदय, उस समय कोई डिग्री दिए जाने का चलन नहीं था। उस समय तो सिर्फ प्रकृति द्वारा पोषित ज्ञान ही था। आज जब हम उस प्रकृति द्वारा पोषित ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। वह प्रकृति द्वारा पोषित ज्ञान, हमारे शरीर विज्ञान का ज्ञान था। महर्षि सुस्रूत ने जंगलों में रहकर पूरे विश्व को शरीर विज्ञान का ज्ञान दिया था। विश्व को मेडिकल संस्कृत का ज्ञान भी महर्षि सुस्रूत ने ही दिया था। उस समय कोई डिग्री नहीं बाँटी जाती थी। वे जंगलों और पहाड़ों के बीच में रहते थे। आज हमारे सामने स्प्रिंग वॉटर का जो कॉन्सेप्ट है, उसी स्प्रिंग वॉटर को वे पीते थे। उसी को पीकर उन्होंने चिकित्सिकीय प्रणाली का सृजन किया। बाँस की मदद से ऑपरेशन किए जाते थे। सब से अधिक

बॉस असम की तलहटी में होता है। उस पर भी आज चर्चा की जा रही है कि उस पर भी उनका अधिकार होना चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, जब वे स्वयं इन सब ज्ञानों से परिपूर्ण थे, तब भारत अपने आप में महान था। आप मुझे समय की बंधियों में बाँध रहे हैं, इसलिए मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। जो चर्चा यहाँ चल रही है, यदि उसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो उसका समाधान अपने आप ही निकल जाएगा। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Tripathi, thank you. You mentioned about the traditional knowledge of our indigenous people. हमें इस धरोहर को रखना है। यह जो बिल हमारे विनसेंट पाला जी लाए हैं, उसके बारे में आपका कहना है कि यह बिल डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के जरिए और भी मजबूत होगा।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Shri Tripathi spoke well on the subject. He deserves to be congratulated by the House.

HON. CHAIRPERSON: Yes.

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill.

In fact, all the States of the Northeast are not having the benefit of the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution of India. Mizoram, Assam, Meghalaya and Tripura do have the benefit of the provisions of the Sixth Schedule. But other States in the Northeast, including Manipur, do not have the benefit of the Sixth Schedule. What I would like to say is that the provisions of the Sixth Schedule need to be amended as proposed by Shri Vincent Pala because of the changing economic and political situation. This demand has been made many years ago. But no amendment has been carried out so far.

I would like to stress one point here. In the case of Manipur, the Parliament enacted an Act called, the Manipur (Hill Areas) Autonomous District Councils Act, 1971. After the Act was enacted, the responsibility for the implementation of

this Act has been entrusted to the State Government. Now it is purely under the State Government. Due to paucity of fund, the District Councils are not able to function properly. Moreover, the Sixth Schedule is not extended to the State of Manipur. But we are having six District Councils created under the 1971 Act and they have been created for the districts of Senapati, Churachandpur, Tamenglong, Chandel, Sadar Hills and Ukhrul. These six District Councils have more than 1,000 Primary Schools under them and these schools are to be looked after by these Councils. Then, forest management, health services and a number of other development activities also have been entrusted to these District Councils. But to our surprise, the Government of India has not given proper funding to these District Councils and they have been entrusted to the State Government. As we know, the States in the Northeast like Manipur, Nagaland etc. have very limited resources. We cannot mobilize funds for development activities and because of lack of funding from the Centre, infrastructure development for schools cannot happen and even school buildings have not been properly constructed till today. So, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Home Affairs Shri Kiren Rijiju towards giving more funds to these six District Councils of Manipur. The Act is there, but fund is not there. That is the main problem.

Now, some States are having the benefit of the Sixth Schedule. Some States are having only Regional Councils and some States like Manipur are having local District Councils. But where should we take money for their developmental activities? Once the Central Government comes forward with certain specific policy and plan for the development of those States, which are not under the Sixth Schedule, then only they would be able to pick up the pace of developmental activities of their States with their counterpart States.

Further, I would like to make another point. Manipur has a border with Myanmar, which is a foreign country. We are facing a law and border problem there. Smuggling activities and communication problems are taking place there. We have six District Councils there. They have tried to ensure proper

administration and development, but without proper funding, they cannot do border fencing and other important things. Recently, a number of smuggled goods including drugs had been seized. Unwanted elements are also there. All these are to be curbed. For this purpose, the State Government, the Local Self Government and the District Council should be strengthened. Only then, proper administration can be ensured.

Sir, last but not least, once again, I would like to stress about the border problem that we are facing. There is an influx of illegal immigrants taking place in Manipur. To handle this problem, the police or the Central Forces alone cannot do anything until and unless there is cooperation extended from the local people mobilised by the local Self Government, the District Council. In this regard, I would request the Central Government to convene a special meeting of all the District Council Chairmen to chalk out a programme to control these problems, which we have been facing. Only then, we can have a better and normal situation in our State.

In the end, once again I would like to draw the attention of the Central Government to look into the matter, which we have pointed out.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ता श्री निनोंग इरिंग जी ने ज्यादातर विषय पर प्रकाश डाल ही दिया है। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूँ। यह उद्देश्यों और कारणों का कथन इसमें स्पष्ट दिया है कि छठी अनुसूची के अधीन आदिवासियों का रुढ़िजन्य जीवन का संरक्षण करने वाले विभिन्न उपबंधों के बावजूद यह अनुसूची कागजों तक सीमित रह गई। विभिन्न मंत्रों के आदेश, जो छठी अनुसूची के अधीन आदिवासियों को दी गई संवैधानिक गारंटियों के पूर्णरूपेण प्रतिकूल हैं, आदिवासियों पर थोपे जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप छठी अनुसूची के संवैधानिक रक्षोपाय और प्रयोजन हास्यमान हो रहे हैं।

मान्यवर, ये जो उद्देश्य हैं, ये कहीं न कहीं पूरे हो नहीं पा रहे हैं। जैसे निनोंग एरिंग ने कहा, ऐसी सरल भाषा में, उन्होंने बड़े सुंदर उदाहरण में बताया है कि यह एक शेर है, जिसके न दांत हैं और न पंजे हैं। हम जो इसका उद्देश्य चाह रहे थे, वह तो मान्यवर हो नहीं पा रहा है। जनजातियों की नाजुक आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को सुरक्षित करना इस विधेयक का, यह जो प्राइवेट मैनबर बिल है, इसका उद्देश्य था। मगर क्या यह संभव हो पाएगा? इस में पाला जी ने यह भी कहा है कि इसमें क्षेत्रीय संसाधनों पर, खान एवं खनिजों पर स्थानीय निकायों को अधिकृत किया जाए। उसमें जोड़ा गया है कि यह तभी संभव हो पाएगा, यदि विधान सभा की सहमति हो और राज्यपाल जी विशिष्ट आदेशों से इसे जारी करें। अब इसमें पाला जी ने यह सुझाव रखा है कि इस में चालीस से अधिक सदस्यों को बनाया जाए, इस समय तीस सदस्य हैं, इसे बढ़ा कर चालीस कर दिया जाए तो जो जिला परिषद है, उससे इनका यह मानना है कि इसमें बहुत सुधार आ जाएगा। मगर जो जमीनी स्थिति है, वह तो बहुत ही दयनीय है। अगर सबसे भ्रष्ट चुनाव कहीं हो रहा है तो वह यही है। सदन के जो सदस्य हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव के बहाने बार-बार पैसा वसूलते हैं। जब यह चुनाव होता है तो एक-एक वोट बड़ी मंहगी बिकती है। यह हम सब जानते हैं। हम सब इस बात से बहुत त्रस्त हैं। जब हम यह जान रहे हैं और पहचान रहे हैं, जब हम इस बात को अच्छी तरह से अनुभव किए हुए हैं कि मूल से, चुनाव से ही भ्रष्टाचार इस सदन में व्याप्त है, अगर ऐसे सदन को हम खनिज का और खानों का अधिकार दे देते हैं तो फिर यह जो हम चाह रहे हैं, जो विषय हम चाह रहे हैं कि हम इससे अपने जनजातियों को, अपने आदिवासियों को, अपने पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी भी कह चुके हैं कि यह कहीं न कहीं हमारे विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, हम चाहते हैं कि वहां की जनजातियाँ अपने संसाधनों पर पुनः हावी हो जाएं, मान्यवर यह संभव नहीं हो पाएगा। यह फिर से उसी भ्रष्टाचार में उलझ जाएगा। कुछ ही लोगों का इससे लाभ हो पाएगा।

मान्यवर, सदस्यों और अध्यक्ष का जब तक हम सीधा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं कराएंगे, तब तक यह चुनाव ऐसा ही रह जाएगा। अगर हम इस सदन से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जिला परिषद को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करें तो अध्यक्ष का चुनाव सीधा होना

चाहिए। जिस प्रकार से दलबदलू कानून से हम अपनी सरकार को यहां पर विधान सभाओं में और लोक सभा में सुरक्षित करते हैं, इसी तरह से हमें किसी न किसी तरह से ज़िला परिषद में भी अध्यक्ष का जो सदन है, जिन लोगों ने अध्यक्ष को वोट दे कर बनाया है, उसे हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। मान्यवर, हम सबको अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही दो साल समाप्त होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव तत्काल आ जाता है। जैसे ही प्रदेश की सरकार बदलती है, वैसे ही अविश्वास प्रस्ताव एकदम से लाया जाता है। इसे भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे किया जाएगा? विषय यही है। यदि हम सही में चाहते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें अपने संसाधनों पर अधिकार मिले, उन्हें अपना जो सामाजिक जीवन है, जो कि बहुत नाज़ुक है, जो उनका आर्थिक जीवन है, उनके खेतों में, उनके जीवन में हम बड़ी-बड़ी कंपनियां भेज रहे हैं, उनके वहां पर खनन का काम चल रहा है, उनके खेत उजड़ गए, जिन लोगों के खेतों के नीचे अरबों-करोड़ों रुपये की खनिज पड़ी हैं, वे बेचारे भूमिहीन मज़दूर हो जाते हैं। उनका सारा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम किसी भी प्रकार से इसे नियन्त्रित करें। मेरा ऐसा मानना है कि यह तभी हो पायेगा, जब हम एक ऐसी अविश्वास प्रक्रिया, जो यह अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है, उसे हम इस प्रकार से संरक्षित करें, जैसे दल-बदल कानून विधान सभाओं और लोक सभा में लाया गया है, तभी हम यह कर पायेंगे।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि खास तौर से पूर्वोत्तर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और वह यह है कि जो वहाँ की मतदाता सूची है, वही दूषित हो गयी है। मतदाता सूची में तमाम घुसपैठियों के नाम हैं। जिनका हम संरक्षण करने चले हैं, जिन जनजातियों का संरक्षण करने के लिए आज यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं और उनकी चिन्ता कर रहे हैं, क्या हम ऐसे विधेयक को पारित करके सच में उन्हें संरक्षित कर पा रहे हैं या हम यह पूरी सत्ता घुसपैठियों के हाथों में दे रहे हैं। ऐसे कानूनों के द्वारा हम उन घुसपैठियों के हाथों में वहाँ की खनिज और सारी सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा भी उन्हें सौंप रहे हैं। जब तक इस मतदाता सूची का नियमानुसार दृढ़ अनुपालन नहीं होगा, तब तक हम निश्चित रूप से ऐसे कदम को नहीं उठा सकते। इससे हमारी जनजातियों के हाथ से उनके प्रदेश का, उनके खेतों का, उनका जीवन जो है, वह उनके हाथों से निकल जायेगा। ये सारी बातें हैं। जनजातियों का जो वहाँ पर सन्तुलन है, जो उनकी जनसंख्या का सन्तुलन है, वह बिगड़ता जा रहा है। इस पर बड़ी गम्भीरता से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जिस विषय को हम लेकर चले हैं, जिस उद्देश्य को हम लेकर चले हैं, वह उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा, वह नष्ट हो जायेगा। मैं इस बात को कहकर अपना विषय समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : That is the beauty of democracy that you have different shades of opinion and we ventilate it democratically. Thank you, Bharatendra ji.

श्री हरिनारायण राजभर (घोसी) : मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके सम्बन्ध में विशेष बातें तो भाई शरद जी ने विस्तारपूर्वक अपने वक्तव्य में बतायी हैं। मैं कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूँगा। विमुख जातियाँ, वनवासी यानी आदिवासी, ये आदिवासी जातियाँ आदि भारत की जातियाँ हैं, मगर हमारी व्यवस्था ने इनको इस परिस्थिति में छोड़ दिया है कि इनका विकास कहाँ तक होगा। एक तरह से खूँखार जानवरों के बीच रहने की इनकी व्यवस्था कर दी है। ऐसा आज भी है। देश कितना आगे जा रहा है, हम समाज के बारे में चिन्ता करते हैं। हम यह भी नारा देते हैं कि हमारा विकास-सबका विकास, मगर मैं देख रहा हूँ कि इस नारे और इस आधुनिक युग में आदिवासी जनजातियों का विनाश होता जा रहा है। आप कहीं भी जंगलों में गये होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ इनका निवास रहता है। आप यह भी देखते होंगे कि इनके साथी बाघ, शेर आदि जंगली जानवर रहते हैं। जो इंसान को खाने वाले जानवर होते हैं, उनके बीच में इनको छोड़ दिया गया है। मुझे पता नहीं कि कब तक इनके लिए व्यवस्था होगी। अभी तो ऐसा होता है कि एक तरफ बाघ सोया है और दूसरी तरफ आदिवासी जनजातियों के लोग सोये रहते हैं। इनके विकास के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय सभापति : राजभर जी, हमारे एक पूर्व सांसद पहले कहा करते थे कि सभ्यता जंगल से ही शुरू हुई है और इस 21वीं शताब्दी में सभ्यता वहाँ पर भी शुरू होगी।

श्री हरिनारायण राजभर: मान्यवर, वह युग कब आएगा, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आज भारत इसी निष्पक्षता का इंतज़ार कर रहा है। हम लोग इतनी ही बात करना चाहते हैं।

मान्यवर, सारी बातें आ गई हैं, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: राजभर जी, आपको पूरा समय मिलेगा। अभी छः बज चुके हैं। अगली बार जब हम यह सब्जेक्ट कंटीन्यू करेंगे, तब आप इस पर आगे बोलिये।

The House stands adjourned to meet again on Monday, the 24th July, at 11.a.m.

18.00 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, July 24, 2017/Shravana 2, 1939 (Saka).*
